• वर्ष 28 • अंक 2-3
• जनवरी-जून 2016

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विकास

सदस्य

ABCI

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

●	संपादक-मंडल		1
●	संपादकीय	डॉ. रमाकांत गुप्ता	2
●	अनुचिंतन		5
●	भाषण		
	पैसा और शिक्षा	डॉ. रघुराम जी. राजन	6
●	लेख		
	मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विकास	नरेन्द्र पाल सिंह/वैभव सिंह	11
	एमएसएमई वित्तपोषण : संबंधित मामले एवं आने वाली चुनौतियां	टी. पी. मिश्रा	15
	भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	के. एल. बत्रा	22
	संविदा कृषि (Contract-farming) का परिचय एवं महत्त्व	दयानंद चौधरी	28
	रुपे कार्ड : वीजा, मास्टरकार्ड का देशी विकल्प	राजेश कुमार	32
	बैंकिंग क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियां और भारत में बैंकों का समेकन/विलयन	निधि शर्मा	37
	वर्तमान बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन के स्वरूप एवं उनका निदान	डी. के. मित्तल	43
	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और बैंक	आर. के. शर्मा	47
	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – एक समीक्षा	प्रदीप कुमार राय	50
	भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का परिचय एवं बैंकों को इससे लाभ	संतोष श्रीवास्तव	56
	रेग्युलेटर की नज़र से	डॉ. रमाकांत गुप्ता	58
	इतिहास के पन्नों से	डॉ. मीनू मंजरी	61
	घूमता आईना	के.सी. मालपानी	65
	लेखकों से/पाठकों से		68

संपादक–मंडल

प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्री गोपाल सिंह
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

राजेश कुमार
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई – 400 051

सदस्य

डॉ. ए.आर. जोशी
मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

श्री एल.एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

श्री जनमेजय पटनायक
उप महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीओटीसी, भोपाल

श्री ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

श्री राकेश चन्द्र नारायण
उप महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, डीईपीआर, मुंबई

डॉ. जवाहर कर्णावट
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री के.सी. मालपानी
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी कार्यालय

डिज़ाइन एवं लेआउट सहयोगी

सुश्री सोमा दास
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।
इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 022-26572801 फैक्स 022-26572812

Final Proof 18 August 2016

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

''तन्मित्रं यत्र विश्वासः
स देशो यत्र जीव्यते।।''

अर्थात जिस पर हम बिना झिझके संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं वही अपना सच्चा मित्र है तथा जहाँ पर हम काम करके अपना पेट भर सकते हैं वही अपना देश है। संस्कृत की यह उक्ति आज भी उतनी ही सार्थक है – हर देशवासी को काम करके जीवनयापन का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। आज 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'एमएसएमई' आदि के माध्यम से हर हाथ को काम देने का प्रयास सरकार कर रही है। रोजगार सृजन में इन योजनाओं के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुए इस अंक में ऐसे लेख शामिल किए जा रहे हैं। 'मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विकास' नामक लेख के आरंभ में ही विद्वान लेखकद्वय श्री. नरेंद्र पाल सिंह और श्री. वैभव सिंह ने लिखा है कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस योजना से निश्चित रूप से अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। इसी तरह से एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार सृजन और बैंक वित्त तीनों ही दृष्टियों से काफी महत्त्वपूर्ण है, जिसका ब्योरेवार विवेचन बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक श्री टी.पी. मिश्रा ने 'एमएसएमई वित्तपोषण : संबंधित मामले और आने वाली चुनौतियाँ' नामक अपने लेख में किया है। रोजगार सृजन में खेती के महत्त्व को देखते हुए 'संविदा कृषि का परिचय एवं महत्त्व' नामक अपने लेख में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक श्री दयानंद चौधरी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संविदा कृषि वर्तमान समय की आवश्यकता और स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में रोजगार सृजन के क्षेत्र से जुड़े ये तीनों लेख पत्रिका के पाठकों को पसंद आएंगे।

इस अंक में समसामयिक विषयों पर लेख शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नामक एक समसामयिक विषय पर लिखे गए अपने लेख 'भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक श्री के. एल. बत्रा ने 9 नवंबर 2015 से शुरू की गई वर्तमान एफ़डीआई नीति से पाठकों को रू–ब–रू कराया है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और बैंकों का समेकन भी ऐसे ही समसामयिक विषय हैं, जिनके बारे में पाठकों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए दो लेख शामिल किए जा रहे हैं। देश में प्रयुक्त कुल कार्डों में से लगभग एक तिहाई संख्या रुपे कार्ड की है, अतः इस विषय पर भी एक लेख शामिल किया गया है।

दिसंबर 2015 का अंक ''आधुनिक बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन'' नामक विषय पर निकाला गया विशेषांक था जिसमें बैंकों में जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इस विषय के महत्त्व को

देखते हुए इस अंक में भी इस विषय पर एक लेख शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा सूचना के अधिकार और जीआईएस से बैंकों को होने वाले लाभ जैसे रुचिकर विषयों पर भी लेख शामिल किए जा रहे हैं।

इस अंक में हमने 7 मई 2016 को नाडार विश्वविद्यालय, दिल्ली में 'पैसा और शिक्षा' विषय पर आदरणीय गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन के भाषण को शामिल किया है, जिसमें उन्होंने सुस्पष्ट मूल्यों के साथ धनार्जन करने और वैसे ही मूल्यों की स्थापना के लिए व्यय करने की सीख नई पीढ़ी को दी है और इसका अनुवाद भी ऐसा किया गया है कि वह अनुवाद जैसा न लगकर मूल लेख जैसा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे पाठक अवश्य पसंद करेंगे और इससे शिक्षा और धनोपार्जन के बीच के संबंधों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में उन्हें मदद मिलेगी।

साथ ही, इस पत्रिका के पाठकों से सुपरिचित हो चुकीं हमारे विभाग की सहायक प्रबंधक डॉ. मीनू मंजरी ने 'इतिहास के पन्नों से' नामक स्तंभ में ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के बारे में रोचक दास्तां पेश की है, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 1943 को लाहौर में की गई थी। देश–दुनिया की नवीनतम आर्थिक–वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है – पत्रिका के तकनीकी सहयोगी श्री. के.सी. मालपानी ने अपने लेख 'घूमता आईना' में। साथ ही जून 2015 से शुरू किए गए नए स्तंभ 'रेग्युलेटर की नज़र से' के तहत पेश है वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की कुछ पहलों की जानकारी।

कुल मिलाकर, इस अंक में नए, समसामयिक और रुचिकर विषयों पर लेख शामिल किए गए हैं। पिछले अंक में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे हमारा उत्साह बढ़ा। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव rajeshkumar5@rbi.org.in अथवा ramakantgupta@rbi.org.in नामक ई–मेल पते पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका के अगले अंकों को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।

(डॉ. रमाकांत गुप्ता)
महाप्रबंधक एवं प्रबंध संपादक

Final Proof 18 August 2016

Prof. (Dr.) T. R. Bhat, M. A., Ph.D.
Former Professor & Head,
Department of Hindi,
Karnatak University,
Dharwad - 580 003, (Karnataka)
Email : trbhatdwd@gmail.com

Residence :
"Prajnashree",
6th Cross, Kalyan Nagar
DHARWAD - 580 007, (Karnataka)
Ph : 0836 - 2448131
Cell : 0 94496 34716

31-5-16

संपादक महोदय,

आपकी ओर से "बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" विशेषांक प्राप्त। देखा, पढ़ा। सुंदर है। काफी नये-नये विषयों पर लेख लिखवाकर संपादित किया है। सभी विषय वाणिज्य या बैंक से संबंधित हैं। राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से आपका यह काम महत्वपूर्ण है। तकनीकी विषय होते हुए भी सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। सुनिश्चित रूप से इसका असर बैंक के कर्मचारियों पर पड़ता है। पूरे अंक में भाषा व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत है। लगता है कि भाषा के स्तर को बनाये रखने की कोशिश की जा रही है। आगे भी इसी प्रकार के प्रयास को जारी रखेंगे।

मेरी ओर से आपको इस सफल कार्य के लिए बधाई।

आपका विश्वासी,
टीआरभट

Ex Hindi Advisor to the Ministry of Finance (Dept. of Economic Affairs) Govt. of India, New Delhi
Ex Hindi Advisor to the Ministry of Communications & Information Technology (Dept. of Telecommunications) Govt. of India, New Delhi
Presently Hindi Advisor to Ministry of Parliamentary Affairs

Final Proof 18 August 2016

अ | नु | चिं | त | न

वर्ष 2015 का विशेषांक प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। मैं इस अंक को हमारे यहां बैंक के अधिकारियों को पढ़ने के लिए देता हूं, वे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तथा आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मेरे लिए तो अनेक जानकारियां मिलती हैं उनका लाभ उठाता हूँ। संपादकीय प्रेरणादायी है। संस्कृत का श्लोक जिसका अर्थ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में ''नहीं विघ्नबाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी कभी आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं''। उप गवर्नर श्री हारुन साहब का भाषण – ज्ञान में अग्रणी बने रहना काफी हद तक जोखिम को कम करता है।

● **डॉ. लक्ष्मीचंद जैन**
खरगौन, म.प्र.

विश्व में ऐसा कोई उपक्रम/व्यवसाय शायद नहीं जो जोखिम रहित हो। वित्तीय/आर्थिक क्षितिज में तो बैंकिंग परिवेश में हर पल जोखिम भरा है। बैंकिंग उद्योग की अन्य सभी विधाओं के विशेषांकों के समान ही ''आधुनिक बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन'' विशेषांक का प्रकाशन अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथा समीचीन है। वर्तमान घड़ी का बैंकिंग परिवेश प्रौद्योगिकीमय है। प्रत्येक पहलू पर जोखिम का स्पष्टीकरण किए हुए अक्तूबर–दिसंबर 2015 अंक पाकर प्रसन्नता हुई। अंक उत्कृष्ट लेखों से ओत–प्रोत है। पत्रिका का प्रथम आलेख उप गवर्नर श्री हारुन खान का शिक्षाप्रद व प्रशंसनीय है। इस अंक में वित्तीय व्यवसाय के भावी परिणामों की अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाकर सतर्कता बरतने हेतु आगाह करने वाला आलेख बड़ा रोचक तथा पठनीय लगा। सुश्री के.बी. लक्ष्मी देवी का लेख ''ऋण जोखिम प्रबंधन' और डॉ. चेतना पाण्डेय का ''प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनी के कार्य एवं उनकी सीमाएं'' तथा श्री जयमेजय पटनायक का लेख सारगर्भित हैं जिनसे आज के बैंकर अवश्य लाभान्वित होंगे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल का आलेख ''सरफेसी अधिनियम, 2002'' मार्गदर्शक है। इसी तरह श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव का ''बैंकिंग में मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन'' और श्री पी. अनवर बाशा का निबंध 'वर्तमान घड़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग की खामियां एवं उनका निस्तारण' अनुकरणीय, सराहनीय व उल्लेखनीय हैं। अंक मुखपृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक सुहावना और मनमोहक व सुंदर है, साथ ही इसके अन्य सभी आलेख संग्रहणीय, बहु–उपयोगी, मार्गदर्शी हैं। संपादक मंडल व प्रकाशक आदि सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाइयों से नवाज़ते हुए अगले अंक की प्रतीक्षा में!

● **हरिश्चंद्र सागरमल अग्रवाल**
अकोला, महाराष्ट्र

आपका अक्तूबर–दिसंबर 2015 का अंक मिला। धन्यवाद! विशेषांक की सुंदर प्रस्तुति हेतु संपादक मंडल को साधुवाद। 'बाजार जोखिम के प्रकार एवं सहायक तत्त्व' लेख द्वारा साधारण पाठक भी बाजार की व्यवस्था के बारे में जान सकता है। प्रयास बहुत अच्छा है। यह पत्रिका केवल बैंकिंग क्षेत्र के लोगों के लिए ही उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्था की लाइब्रेरी में यह पत्रिका सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका में शामिल है। हमारा अनुरोध है कि पत्रिका हमें नियमित रूप से भेजते रहें।

● **श्रीमती उमा सोमदेवे**
जबलपुर, म.प्र.

बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन (बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल) का अक्तूबर–दिसंबर 2015 विशेषांक प्राप्त कर अपार हर्ष का अनुभव हुआ। पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात ज्ञान में वृद्धि हुई। यद्यपि पुस्तक की संपूर्ण सामग्री पूर्णतः ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी थी परंतु जोखिम पर अधिक जोर होने के कारण – 'जोखिम का सामना – एक व्यावहारिक रास्ता', 'वर्तमान बैंकिंग में जोखिम के स्वरूप एवं उनका निदान', 'जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक', 'बढ़ता एनपीए – कारण एवं निवारण', 'सरफेसी अधिनियम, 2002 – एक परिचय', 'बैंकों में मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन' आदि लेख बहुत ही सराहनीय रहे क्योंकि वर्तमान में बैंकों में एन.पी.ए. बहुत ही बढ़ गया है। अतः मैं पुस्तक के लेखक, संपादक एवं प्रकाशक आदि समस्त स्टाफ सदस्यों का आभारी हूं तथा सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। अगले अंक की प्रतीक्षा में –

● **योगेन्द्र दत्त शर्मा**
जहांगीरबाद, उ.प्र.

बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन का अक्तूबर–दिसंबर 2015 अंक प्राप्त हुआ। डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा लिखित 'रेग्युलेटर की नजर से' लेख की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। पत्रिका का अंतिम (कवर) पेज भी देखते ही बनता है। शुभकामनाओं के साथ।

● **एस.सी.सिंहल**
मेरठ, उ.प्र.

पैसा और शिक्षा*

– डॉ. रघुराम जी. राजन

आज यहां वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को आज डिग्री प्राप्त करने के लिए बधाई। आपके शिक्षकों को, परिवारों को और मित्रों को भी बधाई जिन्होंने आपका ख़याल रखा है और आपको प्रोत्साहित किया है।

दीक्षांत समारोह के भाषण, दुनिया से सीधे दो–चार होने से पहले, आपके विचार करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपलब्ध कराने का एक मौका देते हैं। मैं, यहां दो मुद्दों पर चर्चा करूंगा – पहली बात आर्थिक दृष्टि से होगी जो अर्थशास्त्री के रूप में मेरे अनुभव पर आधारित होगी और दूसरी बात निजी विश्वविद्यालयों के बारे में होगी, जो ऐसे ही एक विश्वविद्यालय में 20 वर्षों से अधिक कार्य करने के मेरे अनुभव पर आधारित होगी। इस दीक्षांत भाषण की पोडियम बार अधिक ऊंची नहीं होने से मैं सहज एहसास के साथ अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। यदि आज से कुछ वर्षों के बाद आप यहां कहा गया मेरा एक भी शब्द याद कर पाएंगे तो मैं समझूंगा कि मैं दीक्षांत भाषण देने वाले औसत वक्ता से बेहतर हो चला हूं। अधिकांश लोगों को यह याद नहीं रहता है कि उनका दीक्षांत भाषण किसने दिया था। क्या कहा था की तो बात ही छोड़ दें।

प्रथम, आर्थिक दृष्टि से : हाल ही में प्रकाशित एक बहुत रोचक पुस्तक में हावर्ड विश्वविद्यालय के दार्शनिक माइकल सैंडेल ने उन बहुत सी चीजों का उल्लेख किया है जो आधुनिक समाज में पैसों से खरीदी जा सकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें बाजार[1] के बढ़ते प्रभाव के प्रति आवेश में लाना चाहते हैं। प्रोफेसर सैंडेल की चिंता सिर्फ कुछ मुद्रा के आदान–प्रदान की भ्रष्ट प्रकृति के बारे में नहीं है, बल्कि वह उनकी प्रभावशीलता के बारे में भी चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, क्या बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए पैसों का प्रलोभन देने से उनमें पुस्तकों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है? उन्हें पैसों की असमान उपलब्धता की भी फिक्र है, जिसके कारण पैसों के प्रयोग से होने वाला कारोबार स्वतः गैर–बराबरी वाला हो जाता है। अधिक व्यापक रूप से, सैंडेल को यह डर है कि बेनामी मौद्रिक लेनदेन बढ़ने से सामाजिक एकजुटता भंग होती है और वह समाज में पैसों की भूमिका को कम करने की पैरवी करते हैं।

सैंडेल की चिंताओं में पूर्णतः नवीनता तो नहीं है लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वे विचारणीय हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की सुनवाई हेतु आम जनता को दिए जाने वाले मुफ्त टिकटों को कतार में खड़े होकर प्राप्त करने के लिए कुछ कंपनियां बेरोजगार लोगों को पैसा देती हैं। उसके

* डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का 7 मई 2016 को शिव नाडार विश्वविद्यालय, दिल्ली में दीक्षांत भाषण।

[1] माइकल सैंडेल, 2012, ऐलन लेन, लंदन द्वारा लिखित पुस्तक 'व्हाट मनी कांट बाई : द मोरल लिमिट्स ऑफ द मार्केट/पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता : बाजार की नैतिक सीमाएं'।

3rd Proof 24 August 2016

बाद, वे कंपनियां इन टिकटों को खेमेबाजी में लगे लोगों को और कॉरपोरेट वकीलों को बेचती हैं जिनके लिए कारोबारी दृष्टि से इन सुनवाइयों का महत्त्व होता है, किंतु उनके पास कतार में खड़े होकर टिकट लेने का समय नहीं होता है। स्पष्टतः, प्रतिभागी जनतंत्र में सार्वजनिक सुनवाइयां महत्त्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। ये सुनवाइयां सभी नागरिकों को बराबरी से सुलभ होनी चाहिए। इसलिए इस सुलभता को बेचना जनतांत्रिक सिद्धांतों के तहत दोषपूर्ण मालूम पड़ता है।

यहां बुनियादी समस्या टिकटों की कमी की है। किसी विशिष्ट महत्त्वपूर्ण सुनवाई में रुचि रखने वाले सभी लोगों को उपलब्ध सीमित स्थान में जगह नहीं दी जा सकती है। इसलिए हमें 'प्रवेश टिकट' बेचना पड़ता है। या तो हम उन लोगों को सुनवाई में जाने की अनुमति दे सकते हैं, जो टिकट लेने के लिए अपना समय खर्च करते हैं – जो व्यक्ति सबसे अधिक समय तक कतार में खड़ा रहे उसे टिकट दिया जाए – या फिर पैसों के बदले में टिकट की बोली लगाई जाए। इनमें से पहले वाला उपाय न्यायसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि सभी नागरिकों के पास समय की एक समान उपलब्धता होती है। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है। क्या एक अकेली मां जिसके तीन बच्चे हों, जिस पर काम का बोझ होता है, उसके पास उतना अतिरिक्त समय उपलब्ध होता है जितना कि गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों के पास होता है? और क्या एक बड़े निगम की विधि सलाहकार यदि किसी मामले की सुनवाई के लिए काफी समय तक कतार में खड़ी रहे तो उससे समाज का अधिक भला होगा?

इस प्रकार से, यह तय करना कि प्रवेश टिकट समय के बदले दिया जाना बेहतर है या पैसों के बदले दिया जाना, इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। यदि हम समाज की उत्पादन संबंधी दक्षता में वृद्धि करना चाहते हैं तो लोगों की पैसे देकर टिकट खरीदने की इच्छा इस बात का तार्किक संकेत है कि कांग्रेस की सुनवाई सुलभ होने से उनको क्या लाभ होने वाला है। पैसों के बदले सीट के लिए बोली लगाना भी उचित है – वकील अपने मामलों के संक्षेप तैयार करने के माध्यम से समाज के प्रति अधिक योगदान करेगा, न कि कतार में खड़े होकर। दूसरी ओर, यदि इस बात को महत्त्व दिया जाता है कि नौजवान नागरिक, जो बहुत संवेदनशील होते हैं, यह देखें कि उनका लोकतंत्र कैसे कार्य करता है; यदि बेरोजगार किशोरों के साथ में कॉरपोरेट कार्यपालकों को कतार में खड़े करने के माध्यम से सामाजिक एकता को महत्त्व दिया जाता है तो शायद हमें लोगों को कतार में खड़े होकर अपना समय खर्च करने को बाध्य करना चाहिए और प्रवेश टिकटों को अहस्तांतरणीय बनाना चाहिए। और यदि हम यह सोचते हैं दोनों लक्ष्यों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए तो शायद हमें व्यस्त वकीलों के स्थान पर समय की अतिरिक्त उपलब्धता वाले लोगों की सेवाएं लेने वाले लोगों के प्रति उंगली तब तक नहीं उठानी चाहिए, जब तक वे सभी टिकट नहीं ले लेते हों।

सैंडेल को मानव अंगों की बिक्री के एक अन्य मामले की भी चिंता है। यदि पैसों के लिए फेफड़ा या गुर्दा बेचा जाए तो जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है। हालांकि, यदि कोई अज्ञात व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को गुर्दा दान करता है तो हमें खुशी होती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अंग के प्रत्यारोपण से हमें नाराजगी नहीं होती है– हम इस बारे में नहीं सोचते हैं कि अंग दानकर्ता को उनके गुर्दे के महत्त्व के बारे में गलत जानकारी दी गई है या उसे गुर्दे बेचने के लिए मूर्ख बनाया गया है। मुझे लगता है कि हमें अंग बेचने वाले के पछतावे के बारे में भी कोई चिंता नहीं होती – आखिर वे पैसों के बदले अपने बहुत महत्त्वपूर्ण अंग से अलग हो रहे होते हैं जो लौटने वाला नहीं है। हममें से शायद कोई इस काम के लिए राजी नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि इस संबंध में हमारे असहज होने का कुछ संबंध उन परिस्थितियों से है जिनमें इस तरह की बिक्री की जाती है। यदि लोगों को जीवित रहने के लिए अपने अंग बेचने पड़ें तो फिर हम किस तरह के समाज में जीवन यापन करते हैं? अंगों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने से हम बेहतर महसूस करते हैं, परंतु क्या इससे समाज में सचमुच बेहतरी आती है? संभवतः, इससे समाज को यह सुनिश्चित करने का संदेश जाता है कि लोगों को कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े कि उन्हें अपने अंग बेचने के बारे में सोचना पड़े। यदि समाज विद्यमान समस्याओं से विमुख हो जाए और या तो चोरी–छिपे ऐसी बिक्री जारी रहे या फिर लोगों को ऐसी गंभीर परिस्थितियों में डाला जाए कि वे इससे भी बुरे उपाय सोचने को विवश हो जाएं तो शायद ऐसा संदेश न जाए।

3rd Proof 24 August 2016

मैं यह भी मानता हूं कि हमारी असहजता का थोड़ा संबंध इस बात से भी है कि हम इसे गैर–बराबरी की अदला–बदली मानते हैं। बेचने वाला अपने शरीर का एक हिस्सा दे रहा है जो उसे वापस नहीं मिल सकता किंतु खरीदने वाला सिर्फ पैसा देता है, जो शायद उसने अच्छे शेयर के कारोबार से कमाया हो या ऐसे काम से कमाया हो जिसमें बहुत अधिक पैसा मिलता हो। यदि यह पैसा अपने फेफड़े के एक हिस्से को बेचकर या वर्षों के कठोर परिश्रम से जमा बचत से आता तो शायद हम इसे नैतिक रूप से अधिक बराबरी का सौदा मान सकते हैं। पैसे का बेनामी होना ही तो इसकी मुख्य विशेषता है। प्राप्त होने वाले पैसे का प्रयोग करने के लिए हमें उसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। चूंकि पैसे के बेनामी होने से इसका स्त्रोत छुप जाता है, इसलिए कुछ वस्तुओं के भुगतान के माध्यम के रूप में इसकी सामाजिक स्वीकार्यता कम हो सकती है।

प्रोफेसर सैंडेल ने हमें सोचने पर विवश कर दिया है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मौद्रिक लेनदेन पर रोक लगाने की बात बहुत हड़बड़ी में कही है, क्योंकि उनकी वास्तविक चिंता शायद पैसों के अनुचित वितरण से संबंधित है। ऐसा भी लगता है कि उन्होंने पैसे के बेनामी होने के महत्त्व को नजरअंदाज किया है। स्वतंत्र बाजार में खरीद के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत होती है। ऐसी खरीद के लिए आपको अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने, अच्छा पारिवारिक इतिहास होने, खान–पान का उचित ढंग आने या ठीक ढंग के फैशन के कपड़े पहनने या फैशन के अनुरूप दिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसे की कोई गंध नहीं होती, यह बराबरी लाने वाला महान कारक है। संपूर्ण इतिहास में अनेक लोग संसाधन जुटाने और उनका निवेश करने में सफल रहे हैं, जिससे वह संसार निर्मित हुआ है जिसमें हम जी रहे हैं। दलितों के लिए कारोबार शुरू करना आसान बनाने से उनका सामाजिक रुतबा बढाने में सचमुच अधिक मदद मिलेगी, क्योंकि सशक्त बनने में पैसा किसी भी अन्य सकारात्मक कदम की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। पैसा और संपत्ति के प्रयोग पर रोक लगाने की बजाय हमें इसके प्रयोग के बारे में समाज की सहनशीलता को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए।

इन सारी बातों में आप लोगों के लिए क्या सबक हो सकते हैं? पहला, सैंडेल की बातों के मेरे द्वारा लगाए गए अर्थ सहित सभी बातों के बारे में प्रश्न करने से मदद मिलती है, क्योंकि प्रश्न करने से ही स्पष्टता उत्पन्न होती है। दूसरा, मुक्त बाजारों के पक्ष में समाज के समर्थन और जनता के बीच संपत्ति और अवसरों के निष्पक्ष वितरण में बहुत मजबूत संबंध है,

प्रोफेसर माइकल सैंडेल

यदि आप मेरे लगाए गए अर्थ में यकीन करते हों। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आज देशों के बीच असमानता में कमी आ रही है तब भी देशों के भीतर असमानता बढ़ रही है। आज, ऐसा मालूम पड़ता है कि सुचारु बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं भी उन्हीं लोगों के पक्ष में हैं जिनके पास पहले से ही काफी पैसा है। कुछ हद तक इसका कारण यह है कि अच्छे वेतन वाले काम के लिए हुनर और क्षमताओं का होना बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है, और जिनका जन्म अच्छे माहौल में हुआ हो उनको ऐसे काम मिलने की संभावनाएं काफी बेहतर होती हैं। जिनको ऐसा काम मिल जाता है वे अलग–अलग प्रकृति के बहुत से व्यवसाय करने लगते हैं, जबकि अधिकांश आय सबसे अधिक सामर्थ्यवान कुछ उद्यमियों और सबसे बढ़िया कार्मिकों को (उदाहरण के लिए एप्प तैयार करने, वास्तुकला या अभिनय के बारे में विचार करें) प्राप्त होती है। इससे बचपन की शुरुआत में की गई तैयारियों का और सही बिरादरी में तथा सही माता–पिता के घर जन्म लेने का महत्त्व उभर कर सामने आता है। आय की असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के पास बहुत भारी आय के स्त्रोत हैं वहीं कुछ लोगों को दूसरे वक्त के भोजन के लाले पड़े हुए हैं।

हम सब मिलकर बाजार में भरोसा कायम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं; बिना भेदभाव के काम के बाजार, जिसमें बहुत से रोजगार के अवसर हों; और उन्नति करने के लिए समान अवसरों, जिसमें लिंग, जाति या परिवेश का कोई भेदभाव नहीं हो, की प्रभावी उपलब्धता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब उपायों से संपत्ति की कथित वैधता तथा इसे खर्च किए जाने वाले क्षेत्र के विस्तार के संबंध

3rd Proof 24 August 2016

में समाज की इच्छुकता में वृद्धि होगी। सुविचारित परोपकार के माध्यम से, जैसा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने से पता चलता है, महान संपत्ति के प्रति समाज की स्वीकार्यता को बढ़ाने में और मदद मिलेगी। अंततः, सफलता की बहुत संभावना के साथ प्रारंभ होने वाले आपके कैरियर में आप लोग सुस्पष्ट मूल्यों के सृजन के साथ धनार्जन करिए और वैसे ही मूल्यों की स्थापना के लिए व्यय भी करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका कामकाज अधिक आनंददायक होगा बल्कि आप लोग इस आर्थिक स्वतंत्रता को भी मजबूती प्रदान करेंगे, जिसका हम कभी–कभी सही मूल्य नहीं समझ पाते हैं।

मैं निजी शिक्षा के अपने मुद्दे की ओर पुनः रुख करता हूं। पूरी दुनिया में निजी शिक्षा खर्चीली है, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान कार्य वाले विश्वविद्यालयों में, जो निरंतर और महंगी होती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेहद महत्त्वपूर्ण संसाधन के रूप में अच्छे प्राध्यापकों की कमी है। इसके समाधान के लिए दो विकल्पों का प्रस्ताव किया जाता है। इनमें एक है प्रौद्योगिकी। सबसे बढ़िया प्राध्यापकों के व्याख्यानों को क्यों न नेट के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रसारित किया जाए? इसमें समस्या यह है कि ऐसी कक्षाएं सैद्धांतिक रूप से तो आकर्षक प्रतीत होती हैं किंतु इनके पूर्ण होने की दर बहुत कम है। हम ऐसे पाठ्यक्रमों को शायद इसीलिए पूर्ण नहीं कर पाते क्योंकि हम सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में जाकर अनुशंसित पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। हमारे जीवन में अनेक ऐसी अन्यमनस्कताएं होती हैं जिनकी वजह से अन्य बाध्यताओं के बिना हम पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को अभी भी न सिर्फ यह निर्धारित करने की जरूरत है कि विद्यार्थियों को किस तरह प्रतिबद्ध बनाएं बल्कि यह भी निर्धारित करने की जरूरत है कि किस तरह विश्वविद्यालय समुदाय तथा परिवेश की तरह सीखने में मदद उपलब्ध करायी जाए।

दूसरा समाधान है कि अनुसंधान को समाप्त कर दिया जाए और ऐसे शिक्षक रखे जाएं जो अनुसंधान कार्य न करें। आखिरकार, ऐसे शिक्षकों को पीएच.डी. की उपाधियों की जरूरत नहीं होती और ऐसे बहुत से लोग उपलब्ध भी होंगे। तथापि, यह मालूम पड़ता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यार्थी अपनी स्नातक उपाधियां भी, जिनमें विद्यार्थी बहुत कम अनुसंधान कार्य करते हैं, सिर्फ शिक्षण कार्य करने वाले महाविद्यालयों की अपेक्षा अनुसंधान कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों से प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। आइए पता करें कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जाने वाली मूलभूत सामग्री के बारे में अनुसंधान कार्य करने वाले प्राध्यापकों को अधिक जानकारी होती है, अक्सर उनकी विशेषज्ञता सीमित दायरे में होती है। न ही यह आवश्यक है कि अनुसंधान करने से कोई अच्छा शिक्षक बन जाता हो। किसी विषय की बहुत गहन स्तर पर जानकारी होने से कभी–कभी उसकी व्याख्या करना अधिक दुष्कर कार्य बन जाता है। हालांकि, मेरा मानना है कि अच्छे अनुसंधान के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। अमूमन सभी अनुसंधानकर्ता जीवनपर्यंत जिज्ञासु बने रहते हैं और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को दर्शाने के लिए निरंतर अपनी शिक्षण सामग्री को अद्यतन करते रहते हैं। मेरा यह अनुमान है, हालांकि इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कि इसी कारण से अनुसंधान कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने को सिर्फ शिक्षण कार्य करने वाले महाविद्यालयों में अध्ययन करने की तुलना में आमतौर पर अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अनुसंधान कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों में आपको अधिक चुनौतीपूर्ण अद्यतन सामग्री पढ़ाई जाती है।

मूलभूत और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उच्च गुणवत्ता–युक्त अनुसंधान कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों में शिक्षा फिलहाल खर्चीली बनी रहने वाली है। ऐसा निश्चित रूप से तब तक जारी रहेगा जब तक हम प्रौद्योगिकी और जनता को बेहतर तरीके से एकीकृत करना न सीख लें। सभी पात्र लोगों तक शिक्षा की उपलब्धता के विस्तार की जरूरत को देखते हुए हमें उपाधियां प्राप्त करना वहनीय बनाना होगा। विद्यार्थियों को ऋण प्रदान करना समाधान का एक अंग हो सकता है किंतु इस बारे में सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास संसाधन उपलब्ध होंगे वे पूरा ऋण चुकाएंगे, पर जो विद्यार्थी विपरीत समय का सामना कर रहे होंगे या जो कम वेतन वाली सरकारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए ऋण का कुछ हिस्सा माफ करना पड़ सकता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अनैतिक संस्थाएं सूचना से वंचित विद्यार्थियों को शोषण का शिकार न बना सकें क्योंकि ऐसी संस्थाएं विद्यार्थियों को बेकार की उपाधियां प्रदान करती हैं और उन पर भारी कर्ज का बोझ डाल देती हैं। समाधान का

दूसरा हिस्सा परोपकार है, जो सिर्फ ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने वालों की ओर से न हो बल्कि विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को भी इसमें योगदान करना होगा। विश्वविद्यालय को संसाधन लौटाना आने वाली पीढ़ियों के लिए लागत में कमी लाने का एक जरिया हो सकता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा उपाधि हासिल करने के समय संस्थापकों से मिली छूट के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम भारत में भूतपूर्व छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय को संसाधन प्रदान करने की मजबूत परंपरा विकसित करेंगे।

आप लोगों ने मेरी बातें सुनने के लिए बहुत धैर्य का परिचय दिया है। मैं अब अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। भारत में बेहतरी की दिशा में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग हमारे देश, विश्व और इसमें अपने स्थान को निर्धारित करने के काबिल होंगे। सब प्रकार से खुद के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें। परन्तु, इस बात का ध्यान रखें, जिसे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों और आधुनिक व्यवहार मनोवैज्ञानिकों दोनों ने कहा है कि निजी संकीर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति अधिक संपत्ति की प्राप्ति, तेजी से पदोन्नति होने या प्रसिद्धि बढ़ने – मात्र से आपको क्षणिक आनंद के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मैं खुश रहने का रहस्य जानने का दावा नहीं करता किंतु यह स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि यदि आपको कार्य करना पसंद है, यदि आप किए जाने वाले कार्य में खुशी महसूस करते हैं तो इन बातों का महत्त्व बहुत कम रह जाता है, आपको अपना लक्ष्य सचमुच कब प्राप्त होता है या सचमुच प्राप्त होता है, या नहीं।

आप जिस यात्रा का चयन करते हैं उसमें स्वयं का नियंत्रण कहीं अधिक है। सर्वाधिक आनंददायी यात्राएं अक्सर वे हुआ करती हैं जिनके लक्ष्य व्यापक हों और आप अन्य लोगों को अपने साथ लेकर चलते हों, विशेष रूप से उन लोगों को जो आपकी सहायता के बिना यात्रा करने में असमर्थ हों। ऐसा करते हुए आप संसार को एक बेहतर और अधिक स्थिर स्थान बना पाएंगे।

धन्यवाद! आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं और मैं यह आशा करता हूं कि आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त हो।

❍❍❍

बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन का अक्तूबर–दिसंबर 2016 अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है जो 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली' विषय पर आधारित होगा। इसके लिए आपसे निम्नलिखित विषयों पर लेख आमंत्रित हैं –

- मोबाइल बैंकिंग
- इंटरनेट बैंकिंग
- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)
- मोबाइल वैलेट– भारत में मोबाइल वैलेट का विकास
- भारत में भुगतान प्रणाली का प्रादुर्भाव और विकास
- भारत में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की भूमिका और उसके कार्य
- भारत में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) की भूमिका और उसके कार्य
- भारत में आईडीआरबीटी (IRDBT) की भूमिका और उसके कार्य
- भुगतान प्रणाली – विजन दस्तावेज़
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड

आलेख भेजने की अंतिम तिथि – 15 अक्तूबर 2016 है। आलेखों को rajeshkumar5@rbi.org.in तथा somadas@rbi.org.in पर ई–मेल किया जा सकता है।

3rd Proof 24 August 2016

मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विकास

आर्थिक एवं राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत जिस आत्मविश्वास के साथ 25 सितंबर 2014 को की गयी है, उससे निश्चित रूप से अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण क्षेत्र महत्त्वपूर्ण होता है। भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास और रोजगार के लिए अधिकांशतः विनिर्माण पर ही आश्रित हैं। देश में बुनियादी ढाँचे का विकास एक बड़ी चुनौती है, यह चुनौती महानगरों के साथ–साथ छोटे शहरों में भी है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को आवश्यक सहूलियतें देने का भरोसा देते हुए बुनियादी ढाँचे को नयी तकनीक और सोच के साथ विकसित करने पर बल दिया है। यह एक चुनौती भरा काम है क्योंकि देश में बुनियादी ढाँचे की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। एक तो इस ढाँचे का निर्माण किसी दूरदर्शी नजरिये से नहीं किया गया और दूसरा उसके रखरखाव की ओर तथा विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

नरेन्द्र पाल सिंह[1]

वैभव सिंह[2]

हमारी अर्थव्यवस्था जो पारम्परिक रूप से कृषि आधारित रही है अब विनिर्माण की ओर निरंतर बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था में 16 प्रतिशत का योगदान करती है, लेकिन रोजगार और विकास में इसका योगदान इसकी वास्तविक क्षमता से कहीं कम है। कठोर एवं निषेधात्मक श्रम कानून, कुशल श्रम बल की तुलना में अकुशल श्रम बल की अधिकता, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव और तकनीक प्रयोगधर्मिता की कमी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो इसके मुख्य कारण हैं। सरकार द्वारा लालफीताशाही से मुक्ति के साथ ही सरकारी नीतियों में स्पष्टता लाने और कारोबार की जटिलताओं को दूर करने का वायदा किया गया है।

'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत देश के निर्धन एवं मध्यम वर्ग को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने को प्राथमिकता दी गई है, ताकि इनकी क्रय शक्ति बढ़ जाए तथा साथ ही एक नया बाजार भी तैयार हो जाए। विदेशी उद्यमियों के समक्ष कौशल विकास की प्रतिबद्धता को भी रखा गया है, जिसमें आईटीआई जैसे प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगपतियों द्वारा गोद लेने का आह्वान किया गया है, ताकि वे अपनी आवश्यकतानुरूप मानव संसाधन को विकसित कर सकें। संसाधन, विविधता और उपलब्ध श्रम बल के अलग–अलग कौशल और उनकी योग्यता इस बात को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि छोटे और बड़े दोनों उद्योग राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग, जो कि मुख्य रूप से हमारे पारंपरिक कौशल और ज्ञान पर आधारित हैं, कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह गरीबी निवारण और आय व धन के न्यायपूर्ण वितरण में भी मदद करता

[1] एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद – 246763 (उप्र) email - drnps62@gmail.cpm
[2] प्रोबेशनरी ऑफिसर, भारतीय स्टेट बैंक, तेजू (अरुणाचल प्रदेश) email - vaibhabsingh1991@gmail.com

Final Proof 18 August 2016

है, साथ ही विशाल उद्योग रोजगार के अवसर के साथ निर्यात को भी बढ़ाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है और घरेलू उत्पादों के लिए मांग में बढ़ोतरी होती है।

इस अभियान को सफल बनाने में नौकरशाही की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही, श्रम सुधारों, बैंकिंग सुविधाओं में विस्तार और नये भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए बिना 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। कॉरपोरेट जगत भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार से पारदर्शी नीति, बैंकिंग सुविधाओं, श्रम सुधार, जीएसटी पर अमल, सिंगल विंडो क्लियरेन्स जैसे अहम कदमों की मांग कर रहा है। सरकार यदि कौशल विकास, सेक्टर आधारित नीति और कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान करती है तो भारत में तेजी से निवेश बढ़ेगा। निवेश और उद्यमियों की समस्याएं दूर करने के लिए सरकार द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 'मेक इन इंडिया' प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया गया है, इस प्रकोष्ठ में आठ लोगों को रखा गया है जो 'मेक इन इंडिया' पोर्टल के जरिये आने वाली समस्याओं को 72 घण्टे के अंदर जवाब देंगे, जो समस्याएं इस प्रकोष्ठ से हल नहीं होंगी उन्हें उद्योगों से संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाएगा, इसके लिए इन मंत्रालयों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आने वाले एक दशक में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा ग्रामीण युवाओं को सशक्त एवं कौशल से परिपूर्ण कर रोजगार के लायक बनाया जाएगा। यह नीति अपने आप में ऐसी पहली नीति है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए नियमन, आधारभूत संरचना, दक्षता विकास, तकनीक, वित्त की उपलब्धता, बाहर होने के तरीके और क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य मूलभूत कारकों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

विनिर्माण नीति के लिए केंद्रित क्षेत्र

सरकार, भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है–

- रोजगार बढ़ाने वाले उद्योग जैसे कपड़ा और वस्त्र, चमड़ा और फुटवियर, रत्न और गहने तथा प्रसंस्करण उद्योग।
- कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे मशीन टूल्स, भारी विद्युत उपकरण, हैवी ट्रांसपोर्ट अर्थमूविंग और खनन उपकरण।
- कूटनीतिक महत्त्व के उद्योग जैसे ऐयरोस्पेस, जहाजरानी, आईटी, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण, रक्षा उपकरण और सौर ऊर्जा।
- ऐसे उद्योग, जहाँ भारत प्रतिस्पर्धियों से आगे है, जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण।
- लघु एवं मध्यम उद्योग।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

भारत सरकार ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सड़क, पुल, बिजली, रेल नेटवर्क, बैंकिंग सुविधाएं, वेयरहाउस समेत तमाम फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नेटवर्क खड़ा करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, इसके लिए भूमि की पहचान का काम राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकार पानी की जरूरतें, विद्युत कनेक्शन, भौतिक आधारभूत संरचना, उपयोगिता संपर्क पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन और अधिगृहीत भूमि के

Final Proof 18 August 2016

मालिकों की बसावट और पुनर्वास पैकेज का मूल्य वहन करेगी, भारत ऐसा हब होगा जहाँ कार से लेकर सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट से लेकर सबमरीन और फार्मास्यूटिकल से लेकर पोर्ट और पेपर से लेकर पावर तक बनेगा। आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निवेशकों को भी फायदा होगा। 'मेक इन इंडिया' को सफल बनाने के लिए सरकार ने www.makeinindia.com नाम से एक वेबसाइट लांच की है, यह निवेशकों के लिए गाइड का काम करेगी।

'मेक इन इंडिया' के नारे को हकीकत में बदलना है तो श्रम कानूनों में सुधार एवं बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है। देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है, इसमें शिक्षित युवा शक्ति की संख्या भी अच्छी खासी है, किंतु इन शिक्षित लोगों में अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास कोई हुनर नहीं है। हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को शिक्षा तो दी, मगर कोई कौशल प्रदान करने में पहल नहीं की, जिससे कि वे किसी उद्योग व व्यवसाय में नौकरी पा सकें या अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकें। युवकों में हुनर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बाजार में माँग हो। सीआईआई की नवीनतम इंडिया स्किल रिपोर्ट, 2015 के अनुसार हर साल सवा करोड़ युवा 'रोजगार बाजार' में आते हैं, लेकिन आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं होने के चलते इनका श्रम बेकार जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक आने वाले युवाओं में 37 प्रतिशत ही रोजगार के योग्य होते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार उच्च वृद्धि वाले 22 क्षेत्रों को वर्ष 2022 तक लगभग 34 करोड़ कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ–साथ 15 करोड़ श्रमिकों को अपनी कुशलता में गुणात्मक सुधार लाना होगा। आंकड़े यह भी बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत केवल 15 प्रतिशत श्रमिकों को उनके काम से संबंधित प्रशिक्षण मिला होता है। वर्तमान 11 हजार सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों में सिर्फ 55 लाख व्यावसायिक सीटें प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं, इससे जाना जा सकता है कि कुशल श्रम आपूर्ति का पक्ष कितना कमजोर है, यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी उद्योग और व्यापार धंधों को जरूरत हो और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। यही वजह है कि 44 प्रतिशत कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने वाले और 60 प्रतिशत टेक्सटाइल से जुड़े कौशल की ट्रेनिंग लेने वाले खाली बैठे हैं।

श्रम कानूनों को सरल व कारगर बनाने और सरकारी पर्यवेक्षकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए फैक्ट्रियों की जाँच प्रणाली को पारदर्शी बनाने का वायदा भी सरकार द्वारा किया गया है। व्यापक असंगठित क्षेत्र वाले और संगठित क्षेत्र के भीतर भी असंगठित कार्यबल की बड़ी तादाद वाले देश में आर्थिक प्रगति और निवेश में तेजी लाने के लिए श्रम सुधारों के वायदों को पूरा करना आसान नहीं होगा, जिसके लिए सबसे पहली जरूरत कौशल विकास की है। जहाँ तक बैंकिंग सुविधाओं का सवाल है, इसके विस्तार में अभी भी काफी गुंजाइश है, जिसके विस्तार के बिना 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को सफल बनाना नामुमकिन है।

इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल कार्यबल का 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है। कुल कार्य बल का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा कृषि श्रमिकों का है, मगर कृषि क्षेत्र की धीमी विकास दर की वजह से इन श्रमिकों का बड़ा हिस्सा हर वर्ष रोजगार की तलाश में शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाता है। कमजोर स्थिति, कम मेहनताना और सामाजिक सुरक्षा का अभाव असंगठित क्षेत्र के इन रोजगारों की मुख्य विशेषताएं (कमियां) हैं। भारत में गैर कृषिगत क्षेत्र में कार्यरत हर चार में से तीन लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र के इन कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत किसी लिखित अनुबंध के दायरे में नहीं आते और इनमें से 72 प्रतिशत को सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ नहीं मिलता। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की एक बड़ी तादाद अशिक्षित या स्कूल को बीच में ही छोड़ने वालों की है, इनके पास न तो कोई औपचारिक प्रशिक्षण है और न ही कोई कौशल, इस वजह से कमाई की इनकी क्षमता भी कम रह जाती है। असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह औपचारिक जामा पहनाने में तो अभी वक्त लगेगा

मगर इन श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में आज सबसे बड़ी जरूरत 'कौशल विकास' बन गया है।

'मेक इन इंडिया' के तहत प्रदत्त छूटें

'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कारोबारी जगत को कुछ छूटें प्रदान की हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 से अगले चार वर्षों के दौरान कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है। सरकार का तर्क है कि बाकी देशों, खासकर प्रतियोगी एशियाई देशों, के मुकाबले भारत में कॉरपोरेट टैक्स ज्यादा है इसलिए इसमें कमी लाना जरूरी था। सरकार ने करदाताओं और कर वसूली प्रशासन के अनुपालन भार को हल्का करने के लिए सम्पत्ति कर समाप्त कर दिया है, इसकी जगह सरकार ने एक करोड़ से ज्यादा आय वालों पर दो प्रतिशत 'सेस' (Cess) लगा दिया है। सरकार का कहना है कि सम्पत्ति कर से जहाँ एक हजार करोड़ रुपये बचते थे वहीं दो प्रतिशत सैस से लगभग 9 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अतिरिक्त मूल्यह्रास की सुविधा भी प्रदान की है। एक अप्रैल 2015 को या उसके बाद आन्ध्र प्रदेश या तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में कारखाना लगाने वालों को 35 प्रतिशत तक के अतिरिक्त मूल्यह्रास के साथ नये प्लान्ट और मशीन लगाने पर 15 प्रतिशत का निवेश भत्ता भी मिलेगा, यह भत्ता 31 मार्च 2020 तक नये प्लान्ट व मशीन लगाने पर मिलेगा। अब यदि कोई व्यक्ति 50 लोगों को नियमित रूप से कर्मचारी के रूप में रखता है तो उसे धारा 80 (जेजेए) के तहत छूट मिलेगी। अप्रवासियों को रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं की फीस पर कर की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी है। सर्विस टैक्स में भी बड़े बदलाव हुए हैं जो तीन चरणों में लागू होंगे। बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्त प्रदान करने में कोताही न बरतें, साथ ही बड़े उद्योगों को भी ब्याज में निर्धारित छूट प्रदान करें।

भारत के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में योगदान बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी कम है। देखा जाए तो इसी क्षेत्र के कारण पूरे एशिया के कई देश निर्धनता को कम करने में सफल रहे हैं। यह प्रतिशत चीन में 32, मलेशिया में 23.97, इण्डोनेशिया में 23.70, जर्मनी में 21.82, सिंगापुर में 18.76, जापान में 18.19, श्रीलंका में 17.71, तुर्की में 17.60, बांग्लादेश में 17.55, पाकिस्तान में 13.89, ब्राजील में 13.13, अमेरिका में 12.90 है और इसके बाद भारत का नम्बर 12.89 प्रतिशत के साथ आता है। जहाँ तक चीन का सवाल है, वर्ष 2011 में दुनिया में उत्पादित कुल कम्प्यूटरों का 90.6 प्रतिशत, एयर कण्डीशनर का 80 प्रतिशत, मोबाइल फोन का 70.6 प्रतिशत, जूतों के निर्माण का 63 प्रतिशत, सीमेन्ट उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सेदारी चीन की थी। 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत भी अगले एक दशक के दौरान भारत में 9 करोड़ रोजगार पैदा होने की संभावना है। आने वाले समय में अकेली रिलायन्स इंडस्ट्री 1.25 लाख रोजगार पैदा करेगी तथा साथ ही 1.80 लाख करोड़ का निवेश भी करेगी। अतः सरकार को चाहिए कि वह ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी कर एवं शुल्क ढाँचा, बैंकिंग सुविधाओं, ई–गवर्नेंस के माध्यम से कुशल तथा समयबद्ध प्रशासन और लॉजिस्टिक्स के साथ लागत प्रभावी विश्वसनीय ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार करे।

चीन ने निर्यात आधारित उद्योगों के जरिये पिछले दशक में चौंकाने वाली तरक्की की है, अब उसने अपनी अर्थव्यवस्था के घरेलू पक्ष पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। चीन में जीवन स्तर बढ़ने के साथ–साथ मजदूरी भी बढ़ी है जबकि वहाँ कारोबार करने में दूसरी समस्याएं भी पेश आ रही हैं। ऐसे में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दूसरे देशों में निवेश की संभावनाएं खोज रही हैं। सरकारी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से औद्योगिक विकास के अपने खतरे हैं और कई अर्थव्यवस्थाएं ये खतरे झेल चुकी हैं। लेकिन यह भी सही है कि तेजी से विकास करने के लिए यह सबसे प्रभावशाली रणनीति है। अच्छी बात यह है कि सरकार निवेशकों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के बजाय बेहतर और चुस्त व्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है। यदि यह योजनानुरूप कार्यान्वित हो जाए तो हमारे राष्ट्रीय विकास में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

❍❍❍

एमएसएमई वित्तपोषण : संबंधित मामले एवं आने वाली चुनौतियां

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका

भारत एक विकासशील देश है और इसके वास्तविक विकास का आधार प्राथमिक क्षेत्र के प्रमुखतः कृषि एवं अनुषंगी क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है। भारी मात्रा में बढ़ती जा रही आबादी भारत के वास्तविक विकास में रुकावट रही है। अभूतपूर्व दर से बढ़ती हुई यह आबादी विकास कार्यों के मार्ग में बड़ी अड़चन सिद्ध हो सकती है। प्राथमिक क्षेत्र, विशेष रूप से भारत में कृषि क्षेत्र, अनिश्चित वर्षा पर निर्भर रहता है जिससे इस क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। इसी वजह से कृषि क्षेत्र से अधिक कमाई न होने के कारण ग्रामीण और अर्ध–शहरी आबादी बड़े पैमाने पर शहरों और महानगरों में स्थानांतरित होती रही है। इस पृष्ठभूमि में न केवल बढ़ती हुई आबादी के लिए नौकरी और रोजगार के अधिक अवसरों के सृजन की दृष्टि से, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास की दृष्टि से भी एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

एमएसएमई क्षेत्र वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है क्योंकि देश के उत्पादनों, निर्यातों और रोजगार–निर्माण में इसका प्रमुख योगदान है। एक तरह से यह क्षेत्र देश के विकास का इंजन है। भारत में बड़ी कंपनियों की तुलना में एसएमई क्षेत्र का महत्त्व इस तथ्य से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि 4थी अखिल भारतीय एमएसएमई गणना के अनुसार इस क्षेत्र ने देश के जीडीपी में 17%, निर्माण क्षेत्र में 45%, निर्यात में 40% के योगदान के साथ 6000 उत्पादों के निर्माण और 26 मिलियन उद्यमों के माध्यम से लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। यह क्षेत्र देश का सबसे बड़ा दूसरा रोजगार सृजनकर्ता क्षेत्र है।

टी. पी. मिश्रा
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा

इसके महत्त्व को देखते हुए पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने इसके विकास हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सेवा क्षेत्र को एमएसएमई क्षेत्र में शामिल करने के लिए उद्योग शब्द के स्थान पर उद्यम शब्द को मान्यता देते हुए 2006 से एमएसएमई अधिनियम पारित किया गया। ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण के माध्यम से एसएमई क्षेत्र ऋण –जोखिम को कम करने के महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। सीजीटीएसएमई के छत्र तले योजनाबद्ध ऋण प्रदान करना बैंकों और उधारकर्ताओं के लिए भी एक बेहतर जोखिम–कवर उपलब्ध कराता है। एमएसएमई गणना से यह भी पता चलता है कि केवल 5.2% इकाइयों (रजिस्टर्ड एवं गैर–रजिस्टर्ड) ने संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ऋण का लाभ उठाया था। अधिकांश इकाइयों, बल्कि उनमें से 93% इकाइयों, ने या तो वित्तपोषण का लाभ नहीं उठाया या फिर वे स्व–वित्त पर निर्भर रहीं। हाल ही में किए गए एक वर्गीकरण के अनुसार मध्यम क्षेत्र को किए गए वित्तपोषण का समावेश प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है और इसलिए एसएमई क्षेत्र में ऋण –नियोजन को काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

Final Proof 18 August 2016

भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के उन्नयन के लिए विविध कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क) इस क्षेत्र की ओर वित्तपोषण का प्रवाह बढ़ाने के लिए एपेक्स स्तर पर केंद्रीय रेशम बोर्ड, अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सेरिकल्चर बोर्ड, केवीआईबी, कॉयर बोर्ड, इत्यादि जैसी एजेंसियों की स्थापना की गई है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को विभिन्न लक्ष्य एवं उपलक्ष्य दिए हैं।

ग) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की मानीटरिंग तथा उनके उन्नयन के लिए और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली पीएमईजीपी, एनआरएलएम, केवीआईसी जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अनुपालन के लिए अग्रणी बैंक एवं डीआईसी को सुगठित किया गया है।

घ) सरकार द्वारा ऐसे बाध्यकारी प्रावधान किए गए हैं कि बड़े उद्योगों द्वारा एसएमई इकाइयों को आपूर्त किए गए कच्चे माल के लिए विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का भुगतान किया जाए। बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे बड़े उद्योगों को दी गई वित्त–सीमा का कुछ हिस्सा एसएमई इकाइयों को ऐसे भुगतान हेतु आरक्षित रखें।

ङ) एसएसआई इकाइयों के विकास के लिए सात मुद्दों के कार्यक्रम के अंतर्गत एसएमई इकाइयों के लिए विशेष एसएमई शाखाएं खोली गई हैं।

च) एसएमई इकाइयों को आवधिक/परियोजना वित्त उपलब्ध कराने के लिए सिडबी, एसएफसी तथा एक्ज़िम बैंक, आदि जैसी आवधिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

छ) बैंकों से वित्तपोषण संबंधी विविध आवेदन फार्मों को एस. एल. कपूर समिति ने सरलीकृत कर दिया है।

ज) एसएसआई क्षेत्र को पर्याप्त एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नायक समिति की सिफारिशों का कड़ा अनुपालन किया जाता है।

झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एसएमई क्षेत्र को 10 लाख रु. तक के संपार्श्विक–मुक्त ऋण उपलब्ध कराएं।

ञ) सीजीएफटीएसएमई द्वारा गारंटीकृत एसएमई क्षेत्र को 100 लाख रु. तक की ऋण–सीमा प्रदान की जा सकती है।

एसएमई इकाइयों/उद्योगों के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

1. यह इकाई कम पूंजी से प्रारंभ की जा सकती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक अनुकूल है।
2. रोजगार निर्माण की दृष्टि से अधिक संभावना वाले क्षेत्र, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कुशल एवं अकुशल कामगारों (कर्मकारों), का समावेश हो सकता है।
3. इकाई प्रायः स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों तथा कच्चे माल का उपयोग करती है, जिससे उत्पादन की लागत अत्यंत कम रहती है।
4. ऊर्जा की लागत अत्यंत कम रहती है।
5. ग्रामीण और अर्धशहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम।
6. सीजीएफटीएसएमई द्वारा गारंटीकृत एसएमई क्षेत्र को 100 लाख रु. तक की ऋण–सीमा प्रदान की जा सकती है।

एसएमई क्षेत्र के लिए आधारभूत संसाधन एवं संस्थागत सहयोग

I. **एनएसआईसी** : भारत सरकार ने हायर पर्चेज एग्रीमेंट या पट्टे पर मशीनरी उपलब्ध कराने, तथा तैयार माल की बिक्री के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास संगठन (एसआईडीओ) की स्थापना की है। एसआईडीओ ने एसएसआई इकाइयों के संबंध में व्यवहार्यता–अध्ययन,

उत्पाद–चयन, मशीनरी प्राप्त करने और अन्य सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग सभी राज्यों में एसआईएसआई (लघु उद्योग सेवा संस्थान) की स्थापना की है।

II. **राज्य सरकार** : राज्य सरकारें भी एसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अन्य लाभ उपलब्ध करा रही हैं। सरकार द्वारा पूंजी निवेश सब्सिडी, पॉवर सब्सिडी, पिछड़े क्षेत्रों में सेपरेट सब्सिडी, विविध कर–अवकाश, जनरेटर, औद्योगिक शेड खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक एंटरप्रेन्योर को रियायती दरों पर भूमि भी उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, सरकार प्रथम बार साहस कर रहे एंटरप्रेन्योर को सीड पूंजी या मार्जिन राशि और कुछ वर्षों तक बिक्री–कर से छूट आदि सुविधा भी देती है।

III. **राज्य वित्त निगम** : यह मध्यम स्तर की इकाइयों को आवधिक वित्तपोषण उपलब्ध कराता है। मध्यम स्तर की इकाइयों को आस्थगित भुगतान गारंटी भी उपलब्ध कराई जाती है। निगम शेयर को अंडरराइट करना, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का संवितरण आदि सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। जिन इकाइयों की मालियत 100 लाख को पार कर जाती है, वे निगम से वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं रहती हैं।

IV. **तकनीकी परामर्श संगठन** : टीसीओ नई इकाइयों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने का कार्य करता है। विभिन्न राज्यों में टीसीओ का प्रवर्तन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों तथा बैंकों द्वारा किया जाता है।

V. **जिला उद्योग केंद्र** : राज्य उद्योग आयुक्त के नियंत्रण के अंतर्गत सभी जिलों में डीआईसी का गठन किया गया है। वे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं, जिन्हें कच्चे माल की कमी हो उनके संबंध में नियत कोटा निर्धारित करते हैं तथा वित्तीय सहयोग के लिए बैंकों और एसएफसी को आवेदनों की सिफारिश करते हैं।

VI. **वाणिज्यिक बैंक** : बैंकों द्वारा शेड तथा मशीनरी, उपकरण आदि की खरीद के लिए कम मार्जिन एवं दीर्घ भुगतान अवधि के लिए आवधिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। निर्धारित सीमा तक के ऋणों के लिए बैंकों द्वारा बिना संपार्श्विक–जमानत के भी ऋण प्रदान करने पर विचार किया जाता है। वे नायक समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्त प्रदान करते हैं।

सूक्ष्म, लघु उद्योग तथा मध्यम उद्यम की परिभाषा : लघु एवं अनुषंगी उद्योग

लघु उद्योग की इकाइयां वे हैं, जो माल के निर्माण, प्रसंस्करण और उन्हें सुरक्षित रखने अथवा उत्पादन, खनन आदि हेतु प्रयुक्त मशीनरी की मरम्मत का कार्य करने वाली सेवा–आपूर्ति एवं मरम्मत वर्कशॉप से संबद्ध कार्य कर रही हों और जिनका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश (मूल लागत) 100 लाख रु. से अधिक न हो। इन इकाइयों को लघु उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट मदों, जैसे कि होज़री, हैंड टूल्स, ड्रग्स एवं औषधियों तथा स्टेशनरी आदि के संबंध में एसएसआई में वर्गीकरण के प्रयोजन से 100 लाख रु. की निवेश सीमा को बढ़ाकर 500 लाख रु. किया गया है।

टिप्पणी : इस शर्त के अधीन कि ऐसी इकाई किसी अन्य उपक्रम की अनुषंगी या उसके स्वामित्व की नहीं है या अन्य द्वारा नियंत्रित नहीं की जा रही है।

1. स्वामित्व/स्वामी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के खंड 1 के अंतर्गत दर्शाया गया है।
2. अनुषंगी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड 47 के अंतर्गत दर्शाया गया है।
3. किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के अंतर्गत नियंत्रित से तात्पर्य है:
   क) जहां दो या अधिक औद्योगिक उपक्रम एक ही स्वामित्व में स्थापित किए जाते हैं।
   ख) जहां दो या अधिक औद्योगिक उपक्रम साझेदारी में स्थापित किए जाते हैं और एक या अधिक साझेदार कॉमन साझेदार होते हैं।
   ग) जहां औद्योगिक उपक्रम कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं

और अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा धारित इक्विटी उसकी कुल इक्विटी होल्डिंग के 24% से अधिक होती है इसलिए नियंत्रित इकाई कहलाती है।

4. प्लांट एवं मशीनरी की मूल लागत की गणना करते समय टूल्स, जिग्ज, डाई, मोड्यूल्स और रखरखाव के स्पेयर पार्ट्स तथा उपभोक्ता वस्तुओं की लागत को शामिल नहीं किया जाना है।
5. प्लांट एवं मशीनरी की संस्थापना, शोध–कार्य की लागत, डेवलपमेंट उपकरण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जनरेटर सेट की लागत, ट्रान्सफार्मर, बैंक प्रभार, सेवा प्रभार, केबल की लागत, वायरिंग, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स (मशीनों में जड़ी हुई नहीं) गैस उत्पादक प्लांट की लागत, परिवहन प्रभार (एक्साइज़ व बिक्री कर को छोड़कर), तकनीकी ज्ञान प्रभार, मूल्यांकन प्रभार, विधिक प्रभार, स्टोरेज टंकी, आग नियंत्रक उपकरणों की लागत, आदि को प्लांट एवं मशीनरी की लागत में शामिल नहीं किया जाना है।
6. महत्त्वपूर्ण मशीनरी के मामले में आयात ड्यूटी–शिपिंग प्रभार, विधिक प्रभार, बिक्री कर, पोर्ट पर अदा किया गया क्षतिपूर्ति प्रभार, कस्टम क्लियरिंग प्रभार, आदि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम

ऐसा औद्योगिक उपक्रम, जो किसी पार्ट, घटक, सब–एसेम्बिलिंग टूलिंग्स के निर्माण–कार्य या मध्यस्थी या सेवाप्रदाता के कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं और निर्माण या सेवा कार्य का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसी अन्य एक या अधिक औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध करा रहे हैं या कराना चाहते हैं और जिनका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश, चाहे स्वामित्व पर या पट्टे पर हो या हायर पर्चेज़ पर हो, 100 लाख रु. से अधिक नहीं हो। अनुषंगी इकाई पैरेंट (Parent) इकाई की सहायक नहीं होनी चाहिए या उसके स्वामित्व की या उसके नियंत्रण के तहत नहीं होनी चाहिए।

अति लघु उद्यम

अति लघु उद्यमों के मामले में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश–सीमा 25 लाख रु. तक की है, चाहे इकाई किसी भी जगह स्थित हो।

महिला उद्यम

महिला उद्यम अर्थात सेवा से संबंधित या व्यवसाय उद्यम की ऐसी लघु इकाई/उद्योग, जिसका प्रबंध किसी महिला द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रा. लिमिटेड कंपनी के साझेदार/शेयरधारक/निदेशक के रूप में या को–ऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसमें उसका हिस्सा 51% से कम न हो।

सेवा एवं व्यवसाय लघु उद्योग (उद्योग संबंधी) उद्यम (एसएसएसबीएफएस)

सेवा एवं व्यवसाय उद्यम, जिसमें भूमि और भवन सहित अचल आस्तियों में निवेश 5 लाख रु. तक का हो, एसएसएसबीएफएस कहलाता है। यह सीमा सितम्बर 2000 से बढ़ाकर 10 लाख रु. की गई है।

दस्तकार, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

गांवों और 50,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों के दस्तकार (चाहे किसी जगह में हों) या लघु औद्योगिक गतिविधियों से संबद्ध यूनिट (जैसे कि निर्माण, प्रसंस्करण, परिरक्षण व सेवा आपूर्ति के कार्य से संबद्ध यूनिट) जो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और/ या मानव–निपुणता का उपयोग कर रहे हैं।

मध्यम उद्यम

वर्तमान में एक लघु औद्योगिक इकाई (एसएसआई) में ऐसे उपक्रमों को शामिल किया जाता है, जिनके प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रु. से अधिक न हो, सिवाय कुछ अपवादात्मक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े उद्योगों के, जैसे कि होज़री, हैंड टूल्स, दवाइयां और फार्मास्यूटिकल, स्टेशनरी एवं खेल–कूद से जुड़ी वस्तुएं, जिनके लिए निवेश–सीमा 5 करोड़ रु. तक बढ़ाई गई है। प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा एसएसआई से अधिक एवं 10 करोड़ रु. तक हो, ऐसी इकाइयों को मध्यम (एमई) उद्यम माना जाता है।

एसएमई इकाइयों की विफलता से संबद्ध मसले

इस क्षेत्र में निहित कई लाभों के बावजूद ये पर्याप्त फले–

Final Proof 18 August 2016

फूले नहीं हैं, जिसके निम्नलिखित कुछ कारण हैं:

1. बैंकों द्वारा एसएमई उद्यमों के वित्तपोषण के आवेदनों को मंजूर करने में कई बार अनुचित विलम्ब किया जाता है, जिस वजह से कई बार मशीनरी एवं उपकरणों के मूल्य में तथा आयातित मशीनरी के मामले में विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं कई अन्य संसाधनों एवं भूमि आदि का उपयोग नहीं हो पाता है।
2. कई बार बैंक उद्यमियों की आवश्यकता से कम ऋण मंजूर करते हैं, परिणामस्वरूप उन्हें ऋण की आवश्यकता की पूर्ति बाहरी स्रोतों से करनी पड़ती है या अपने प्रोजेक्ट में कटौती करनी पड़ती है। कम वित्तपोषण एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने की अनिश्चितता से उत्पन्न असुरक्षा भी इस क्षेत्र के विकास में बाधक बनती है।
3. कई इकाइयां जानबूझकर अनुषंगियों का प्रवर्तन करती हैं, जो एसएमई के विकास को अवरुद्ध करते हैं।
4. निधियों की कमी के कारण आदेश को ईओक्यू (किफायती मात्रा में आदेश) के अनुरूप नहीं दे पाते हैं और इससे उन्हें उच्च लागत वहन करनी पड़ती है, जिससे उत्पाद की लागत भी प्रभावित होती है।
5. कई बार एसएमई इकाइयां ऐसी बाज़ार–स्थिति में होती हैं कि वे बाज़ार से अपनी इक्विटी ला नहीं पाती हैं या निधियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इनका पूंजीगत आधार भी कमजोर होता है और निधियों के अभाव का उन्हें सामना करना पड़ता है।
6. कई बार इकाइयां किसी प्रमुख स्थान पर नहीं होतीं बल्कि सुदूर स्थान पर होती हैं, जिससे कई बार उन्हें बिजली, परिवहन, रोड जैसे संसाधन सुलभ नहीं होते हैं।
7. अब भी एसएमई क्षेत्र की कई इकाइयां कम पूंजी के कारण पुरानी टेक्नॉलाजी पर आश्रित होती हैं और उन्हें प्रायः प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पर्याप्त निधियां प्राप्त नहीं होती हैं। उनके उत्पाद भी विश्व के बाज़ार में कम स्वीकार्य होते हैं और प्रायः उत्पादन की अधिक लागत के कारण वे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं।
8. वैश्वीकरण के कारण इनकी मार्केटिंग भी मुश्किल होती हैं। वे विपणन योग्य नहीं होती हैं और बाज़ार में टिक नहीं पाती हैं।
9. प्रायः उद्यमी की शैक्षणिक योग्यताएं और ज्ञान कम होते हैं। कई बार उद्यमी को उत्पादन, विपणन, लेखा कार्य आदि सभी कार्य खुद ही करने पड़ते हैं।
10. इन इकाइयों के लिए एक और समस्या होती है ऋण की विलंब से वसूली, जिनसे उनकी कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है। इन उद्यमियों में तदर्थ निधियों की मांग लगातार बनी रहती है और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु हमेशा संसाधनों की कमी बनी रहती है।
11. कई बार कार्यानुभव कम होने के कारण उद्यमियों द्वारा अल्पावधि निधियों का दीर्घावधि उपयोग में निवेश कर दिया जाता है।
12. परिचालन–पूर्व के खर्चों, आकस्मिक ऋणों एवं मोरेटोरियम अवधि की गणना उचित रूप से नहीं की जाती है।

एसएमई को वित्तपोषण से संबंधित चुनौतियां

पूरे विश्व में एसएमई क्षेत्र को आयोजनकर्ताओं, नीतियां बनाने वालों और नियामकों द्वारा प्राथमिकता दी जाती रही है, क्योंकि यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, आय में वृद्धि करने, विकास को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान प्रतिकूलताओं और धीमे आर्थिक विकास की स्थिति में बैंकों के लिए यह क्षेत्र अपने वित्तपोषण योग्य संसाधनों के नियोजन तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है और इस क्षेत्र के महत्त्व तथा उपलब्ध अवसरों को देखते हुए यह बैंकों की कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन रहा है। तथापि, इनकी सफलता (अनुपालन) हेतु कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में उद्यमियों को मंजूरी की सूचना दे दी जानी चाहिए। 5 लाख रु. तक की सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटान दो सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए। 5 लाख रु. से 25 लाख रु. तक के आवेदनों का निपटान 4 सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए

और 25 लाख रु. से अधिक के आवेदनों का निपटान 8 सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए।

2. उद्यमियों को आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रदान किया जाए। प्रोजेक्ट का उचित मूल्यांकन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाता है। कम वित्तपोषण या अधिक वित्तपोषण न हो इसका ध्यान रखा जाए।
3. उद्यमियों के लिए सरल एवं मानक आवेदन फार्म का उपयोग किया जाए। आवेदन पत्रों के प्रारूप शाखाओं में तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. एसएमई उद्यमियों का कोई आवेदन–पत्र बिना उच्चाधिकारियों की सहमति के अस्वीकृत न किया जाए।
5. 10 लाख रु. तक के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति का आग्रह न रखा जाए। सीजीटीएसएमई द्वारा कवर किए गए ऋणों के मामलों में 100 लाख रु. तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति का आग्रह न रखा जाए। केवल जिस भूमि पर प्लांट एवं मशीनरी स्थापित किए जाते हैं, उसे ही प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाए।
6. उद्यमियों की आवधिक ऋण तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु एक ही बैंक द्वारा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि मॉनिटरिंग अच्छी तरह हो सके।
7. 200 लाख रु. तक के सभी ऋणों हेतु निर्धारित क्रेडिट रेटिंग मॉडल अपनाया जाए ताकि यह सरलता एवं सुलभता से किया जा सके।
8. चूंकि एसएमई प्राथमिकता–प्राप्त ऋणों का एक हिस्सा है, इन इकाइयों को ऋण देकर प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत एएनबीसी के 40% के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को ऑफ बैलेंसशीट एक्सपोज़र के ऋण के बराबर की राशि या एएनबीसी का 7.5%, इनमें से जो भी कम हो, का लक्ष्य पूरा करना है।
9. किसी भी उद्यमी को कोई बीमा उत्पाद या थर्ड पार्टी उत्पाद लेने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए।
10. बैंक द्वारा दिए गए ऋणों का उचित क्षेत्र (Sector) में वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि बैंक द्वारा ब्याज की उचित दर लगाई जा सके।
11. प्रत्येक शाखा द्वारा शाखा में ग्राहक चार्टर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और प्रत्येक उत्पाद की विशिष्टताओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों को भी दर्शाया जाए।
12. अन्य श्रेणियों के अनुरूप एसएमई उद्यमियों के लिए भी उच्च ऋण इक्विटी अनुपात स्वीकार किया जाए क्योंकि फर्स्ट हैंड उद्यमी होने के कारण वे दीर्घावधि स्रोतों से इक्विटी में अंशदान करने तथा कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन निकालने में सक्षम नहीं होते हैं।
13. सभी पात्र मामलों में प्रोजेक्ट का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नकदी–प्रवाह विवरण के आधार पर व्यवहार्यता रिस्ट्रक्चरिंग की जाए।
14. जिन सही मामलों में यह पाया जाए कि ऋण की वसूली में

Final Proof 18 August 2016

विलंब हो रहा है, बैंक प्राप्तियों में 90 दिनों से अधिक तक ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।

15. यह एक नेमी लक्षण है कि प्राप्तियोग्य राशियां ब्लॉक हो जाती हैं। अतः उद्यमी प्रायः अलग–अलग स्रोतों से कार्यशील पूंजी की तलाश में रहते हैं।
16. अपूर्ण प्रोजेक्ट के मामले में पर्याप्त मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जानी चाहिए। यदि डीसीसीओ में रिस्ट्रक्चरिंग के रूप में परिवर्तन संभव न हो तो ऐसा परिवर्तन ग्राहक के अनुरोध पर दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रोजेक्ट वित्तपोषण में किया जाना चाहिए।
17. चूंकि उद्यमियों को इस क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी नहीं होती है, बैंकों को चाहिए कि वे टीयूएफ, सीआरएलसीएसएस के तहत उन्हें ब्याज की दरों, सब्सिडी आदि के संबंध में शिक्षित करें।
18. सीजीएफटीएसएमई के अंतर्गत प्रस्तावों का शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए, क्योंकि जोखिम को ट्रस्ट द्वारा निपटाया जाता है और सीजीएफटीएसएमई द्वारा पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं के लिए गारंटीकृत एसएमई ऋणों को शून्य जोखिम वेटेज दिया जाता है।
19. वर्तमान में एमएसई के अंतर्गत मानक अग्रिमों के लिए निर्धारित प्रावधान की आवश्यकताएं कमर्शियल रियल एस्टेट में 1.00% के पेटे 0.25% तथा अन्य मामलों में 0.40% है जो कि बैंकों के लिए कम प्रावधान के रूप में एक रिवार्ड है।
20. बैंकों को उद्यमियों की ऋण की मांग पूरी करने के लिए विशेषीकृत और कार्यदक्ष कर्मचारियों सहित प्रोसेसिंग कक्ष की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे प्रावधानों के साथ–साथ शाखाओं को उद्यमियों की ऋण तथा तदर्थ आवश्यकताओं के लिए अपने ऋण प्राधिकारों का उपयोग करना चाहिए।
21. निर्यात ऋणों के संबंध में ईसीजीसी से खरीदारवार पालिसी या डबल्यूटीपीएसजी ली जानी चाहिए।
22. ईसीजीसी/सिबिल/एमआईआरए/डीएंडबी रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए।
23. उद्यमियों को बैंकों की वित्तीय सुविधाओं के संबंध में शिक्षित करने के प्रयोजन से कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के आयोजन में एसएमई चेम्बर्स, एसोसिएशन, एनएसआईसी, एसआईएसआई तथा बैंकों के प्रशिक्षण केंद्रों एवं प्रबंधन संस्थानों व अन्य संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से जुड़ना चाहिए।
24. एसएमई उत्पादों की खरीद के संबंध में सरकारी नीतियों का सही मायनों में अनुपालन किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्यों को पूरा न किए जाने पर सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य जनहित के संगठनों के लिए दंड का प्रावधान लेखापरीक्षा रिपोर्ट में होना चाहिए।
25. उद्यमियों को शिक्षित किए जाने के कार्य को बैंकों और अन्य संगठनों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) की गतिविधियों के रूप में माना जाना चाहिए।
26. उद्यमियों की ऋणों की मांग संबंधी आवेदन के प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की दृष्टि से प्रत्येक बैंक द्वारा आवेदन पत्र के फार्म, जांच–सूची एवं अपेक्षित दस्तावेजों की सूची आदि को वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
27. स्टाफ की जिम्मेदारी के मानदंड काफी दशकों पूर्व क्रेता–बाज़ार के परिवेश में तैयार किए गए थे, अतः अब उनमें वर्तमान कार्य–परिवेश की दृष्टि से सुधार किया जाना चाहिए।

बैंकों के लिए एसएमई क्षेत्र में व्यवहार्य व्यवसाय की काफी अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। अब बैंकों के सामने यह चुनौती और अवसर भी है कि वे अपने उत्पादों को विभिन्न एमएसएमई उद्यमियों की मांग के अनुरूप किस प्रकार कस्टमाइज़ करते हैं। यह एक सर्वसामान्य बात है कि इस क्षेत्र में विकास की दर बैंकों की ऋण दर से हमेशा उच्च रही है। अतः बैंकों को इस बात पर अपने विश्वास को दृढ़ करना होगा कि यह क्षेत्र अधिक लाभदायी और टिकाऊ तथा एनपीए की कम संभावनाओं वाला है। ○○○

भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि:

''मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति के कारकों की पहचान जरूरी है.''

मुद्रास्फीति का दबाव तब और ज्यादा हो जाता है, जब आपूर्ति से जुड़े संकट पैदा हो जाते हैं, ऐसे में मौद्रिक नीति कीमतों के दबाव को कम करने में ज्यादा प्रभावकारी नहीं रह पाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के पूंजी प्रवाह के दौर में वापस लौटने एवं वाणिज्यिक बैंकों को भी मुनाफा और आस्ति की गुणवत्ता में कमी के बाबत सतर्क रहने की बात कही है।

चालू वित्तीय वर्ष 2015–2016 की मध्यावधि आर्थिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गयी थी किंतु नवीनतम मध्यावधि समीक्षा में यह अनुमान 7.00 से 7.3 प्रतिशत का ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सरकार का अनुमान है कि आर्थिक वृद्धि में गिरावट का यह सिलसिला अब रुकेगा और दूसरी छमाही में वृद्धि दर 6 प्रतिशत के आसपास रहेगी।

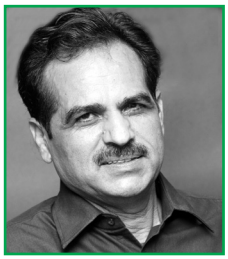

के. एल. बत्रा
वरिष्ठ प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

- वर्ष 2015–2016 में 7.00 से 7.1 प्रतिशत आर्थिक विकास का अनुमान है।
- जीडीपी वृद्धि 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- जितनी मंदी आनी थी वह आ चुकी है, अब वृद्धि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है।
- मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां निवेशक का विश्वास बढ़ाने के लिए सहयोगी होंगी।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है।
- मुद्रास्फीति में नरमी रहने से भारतीय रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति नरम करने में आसानी होगी।
- रबी की अच्छी फसल की संभावना से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रहेगी।
- सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रहने की उम्मीद है।
- चालू खाता घाटा और व्यापार घाटा दोनों ही पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है।
- सख्त मौद्रिक नीति और ऊँची उधारी लागत से निवेश के प्रवाह पर असर पड़ेगा।
- वैश्विक एवं घरेलू कारणों जनित जोखिम से प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रभावित हो सकता है।
- सोने के आयात को घटाने के लिए गोल्ड लिंक्ड डिपॉजिट, गोल्ड लिंक खाते और पेंशन प्लान शामिल किया गया है, आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि:

  ''ऐसी योजनाएं निवेशकों को सोने की खरीददारी किये बिना ही इससे जुड़े लाभ उपलब्ध करा सकेंगी.''

Final Proof 18 August 2016

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने से उद्योग जगत में निराशा थी। हालांकि रेपो और सीआरआर की दरों को भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) ने उपयुक्त माना है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों और सुधारों से कारोबारी धारणा को प्रोत्साहित करने, निवेश के माहौल को सुधारने में मदद मिलेगी।
- भविष्य में महंगाई का दबाव घटने के साथ मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव आ सकेगा।

आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि:

''वित्तीय प्रसार एवं उदार मौद्रिक नीति को धीरे–धीरे समाप्त किया जाना आवश्यक है, अन्यथा मुद्रा प्रसार की स्थिति विकराल रूप ले रही है और महंगाई समूची अर्थव्यवस्था के उत्पादों एवं सेवाओं पर छा रही है,'' विवाद का विषय यह है कि ''क्या उक्त उदार एवं प्रसारवादी नीतियों से वापसी का उपयुक्त समय आ पहुँचा है?'' यदि इस वापसी में अवांछित शीघ्रता बरती गई, तो उच्च विकास की वापस लौटती दर फिर से रुक सकती है। मंदी से प्रभावित होने के जो संकेत आर्थिक विकास की धीमी दर से मिले थे, वे पुनः हावी हो सकते हैं।

बैंकिंग की दुनिया से जुड़े होने के नाते अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुके हैं और उन पर चर्चा हमारी रुचि का विषय है। वैश्विक मंदी के दुष्प्रभावों से उबरने का प्रयास करता हुआ आर्थिक जगत आज भी चर्चा एवं चिंता का विषय है। अमेरिका एवं यूरोप के देशों में मंदी के बाद भी सामान्य स्थिति लौट नहीं सकी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी वित्तीय संस्थाओं पर कड़े सरकारी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रहेंगे जो कि हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किए भी गये हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनज़र वर्तमान आर्थिक परिवेश में भारत की भूमिका वैश्विक आर्थिक प्रबंधन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होकर उभरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान भारत की यह बदली हुई भूमिका पुनः प्रकाश में आई जब पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को विकासशील के बजाए विकसित राष्ट्र कहकर संबोधित किया गया। इसमें संदेह नहीं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यह देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले इंजन के रूप में उभर कर सामने आया है। आने वाले वर्षों में अपनी जनसंख्या के युवा एवं कार्यशील वर्ग के आकार में अभूतपूर्व एवं अप्रतिम वृद्धि के कारण भारत के विश्व का सबसे तेज विकास दर हासिल करने वाला देश बनकर सामने आने के पूरे आसार हैं।

वैश्वीकरण के इस दौर में किसी भी देश की आर्थिक नीतियां काफी हद तक वैश्विक गतिविधियों से प्रभावित होती है। आने वाले दिनों में संतुलित आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता देकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को नया संतुलन दिया जाना समयोचित होगा।

ऐसा माना जा रहा है कि विश्व स्तर पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के समय में भारत को भी दौड़ में शामिल होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में विगत दिनों यह मुद्दा विवादित रहा है। लेकिन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में बढ़ता जा रहा है, जो स्वागतयोग्य है।

एफडीआई नीति का अर्थ है –

- किसी देश की एक कम्पनी द्वारा दूसरे देश में उत्पादन (सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन) व वितरण में सीधे निवेश करना या
- उस देश की किसी कम्पनी को खरीदना या
- कम्पनी द्वारा उस देश में अपने पहले से स्थित कारोबार का विस्तार करना।

इस प्रकार के निवेश अधिकांशतः बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए जाते हैं। इसमें ये कम्पनियां श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी तीनों अपने साथ लाती हैं अथवा ला सकती हैं।

एफडीआई के कारण

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कई कारणों से किया जाता है, जैसेः

- सस्ती मजदूरी का लाभ उठाना,
- खनिज संसाधनों का लाभ लेना,

- बाजार में अपनी पैठ जमाना,
- किसी देश की सरकार की उदार नीतियों का लाभ उठाना, आदि।

भारत में एफडीआई के उद्देश्य

वास्तव में एफडीआई से निवेशक और जहां निवेश किया जा रहा है दोनों को ही लाभ मिलता है। भारत में एफडीआई का आगमन स्वतंत्रता के साथ ही शुरू हो गया था और उदारीकरण की प्रक्रिया से पूर्व हमारे देश में एफडीआई में निरपेक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। लेकिन इस वृद्धि से अन्य क्षेत्रों विशेषकर खनन व पेट्रोलियम की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र ही ज्यादा लाभान्वित हुआ था। ऐसा हमारी आयात प्रतिस्थापन नीति के कारण हुआ था। लेकिन 1990 तक बिगड़ चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1990 के दशक के आरंभ में अनेक सुधारवादी कदम उठाए गए जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नीतियों के चलते भारत ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य है :

- अपेक्षाकृत कम समय में भारत को विश्व के शीर्ष औद्योगिक देशों में शामिल करना,
- सतत औद्योगिक क्रियाकलापों में निवेश के लिए बृहद स्तर पर अवसरों का सृजन करना,
- आम जनता के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना,
- विदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना,
- विदेशी पूंजी के आगमन के मार्ग को सरल बनाना,
- भारत के आयात को कम करना,
- निर्यात को बढ़ाकर व्यापार घाटे को कम करना,
- घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने का मार्ग प्रशस्त करना,
- आम जनता को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, और
- सतत व समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करना।

भारत में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई संस्थाओं का गठन हुआ है/सक्रिय हैं, जैसे–

- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी),
- औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग,
- निवेश आयोग,
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निगरानी के लिए सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी),
- भारतीय रिज़र्व बैंक,
- वित्त मंत्रालय, आदि।

वर्तमान एफडीआई नीति

वर्तमान एफडीआई नीति जो 9 नवम्बर 2015 से लागू की गई है, उसके अनुसार निम्न क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह एफडीआई की अनुमति है:

- सरकारी/निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित समस्त लॉटरी व्यवसाय,
- कैसिनों आदि सहित जुआ और सट्टा,
- चिट फंड,
- हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआरएस) में व्यापार,
- रियल इस्टेट व्यवसाय या फार्म हाउसों का निर्माण,
- तम्बाकू और तम्बाकू के स्थानापन्न, सिगार, बीड़ी, सिगरेट आदि के उत्पाद,
- निजी क्षेत्र के निवेश के लिए न खोले गये क्षेत्र/गतिविधियां जैसे – परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भिन्न)।

9 नवंबर 2015 से भारत सरकार ने खुदरा व्यापार में 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देकर इस क्षेत्र को एफडीआई निषिद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया है, तथापि यह अनुमति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन है। इसके अंतर्गत स्वतः मार्ग के

Final Proof 18 August 2016

अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों में शत–प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है जबकि सरकारी मार्ग के अंतर्गत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक रखी गई है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ते कदम

- भारत में वर्ष 2000 से 2015 तक की अवधि में कुल 2,53,502 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। वर्ष 2014–2015 में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 46,847 मिलियन अमेरिकी डालर है। इसके बावजूद अन्य विकासशील देश जैसे – चीन, वियतनाम, थाईलैण्ड, इंडोनेशिया आदि की तुलना में यह राशि कम है।

विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए इसमें बढ़ोत्तरी की जरूरत है एवं भारत में इसकी अपार संभावनाएं भी हैं। भारत में एफडीआई प्रवाह तकनीकी सहयोग की अपेक्षा वित्तीय सहयोग के रूप में अधिक है। ऐसा वित्तीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में प्रदान की गई छूटों के कारण है। एफडीआई की इस प्रवृत्ति का प्रभाव वित्तीय क्षेत्र में अधिक सकारात्मक दिखता है, जबकि तकनीक क्षेत्र में कम है। इसी कारण भारत सॉफ्टवेयर क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में अभी भी प्रमुख आयातक देश बना हुआ है। वित्तीय क्षेत्र में एफडीआई के सकारात्मक प्रभाव के कारण देश की आर्थिक वृद्धि और सकल पूँजी निर्माण दर में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात एवं बचत में अपेक्षानुसार वृद्धि नहीं हुई है। अभी इस दिशा में और सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 'स्रोत केंद्रों' पर नजर डालने से मालूम होता है कि भारत में इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत में एफडीआई करने वाले देशों की संख्या काफी बढ़ गई है, जबकि उदारीकरण के पहले यह सिर्फ 29 तक सीमित थी। भारत में दोहरे कराधान एवं औपचारिकताओं की पूर्ति में देरी के कारण अभी भी भारत में एफडीआई करने वाले देशों की कमी है, जिसे बढ़ाया जाना भारत के लिए हितकर होगा। भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति निम्न सारणी से स्पष्ट होती है:

भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(01 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2015 की स्थिति)

क्र	क्षेत्र	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डालर में)	कुल संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रतिशत
1.	सेवा क्षेत्र (वित्तीय एवं गैर वित्तीय)	32,351	19.0
2.	दूरसंचार	12,552	07.0
3.	निर्माण कार्य	11,433	07.0
4.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर	11,205	07.0
5.	आवास/सम्पदा	11,113	07.0
6.	रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर अन्य रसायन	9,844	06.0
7.	औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल्स	9195	05.0
8.	बिजली क्षेत्र	7,299	04.0
9.	ऑटोमोबाइल उद्योग	6,758	04.0
10.	मेटलर्जिकल उद्योग	6,041	04.0

भारत में राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति

(01 अप्रैल 2000 से 30 सितंबर 2015)

क्र	भारतीय रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	सम्पर्क में रहने वाले राज्य	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रतिशत
1.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	60,272	33

2.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली संलग्न क्षेत्र एवं हरियाणा का हिस्सा	35,256	19
3.	बंगलुरु	कर्नाटक	10,199	06
4.	अहमदाबाद	गुजरात	8,521	04
5.	चेन्नै	तमिलनाडु, पुदुचेरी	9,341	05
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	7,244	04
7.	कोलकाता	प. बंगाल, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,017	01
8.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	1,181	01
9.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	880	01
10.	भोपाल	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़	886	01
11.	पणजी	गोवा	768	0.4
12.	जयपुर	राजस्थान	631	0.3
13.	कानपुर	उत्तर प्रदेश (नोएडा को छोड़कर), उत्तराखण्ड	337	0.2
14.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	300	0.2
15.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	73	0.1
16.	पटना	बिहार, झारखण्ड	34	0
17.		कोई क्षेत्र दर्शित नहीं	45,765	25
18.		अनिवासी जमा योजना	121	–

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ

- एफडीआई के कारण कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तथापि इसमें और प्रगति की अपेक्षा है।
- रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
- किसानों को उनके उत्पाद की उपयुक्त कीमत मिलने लगी है।
- भण्डारण क्षमता बढ़ी है।
- अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री की बरबादी रुकी है।
- अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लाभ भारत को मिला है।
- भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
- पूंजी प्रवाह तेज हुआ है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि यहां एफडीआई प्रवाह में बढ़ोत्तरी के सम्यक प्रयास किए जाएं।

वर्तमान में भारत में अन्य देशों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नानुसार है :

भारत में अन्य देशों की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भागीदारी

क्र.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देश	मिलियन अमेरिकी डॉलर में	कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्रतिशत
1.	मॉरीशस	64,169	38.00
2.	सिंगापुर	17,153	10.00
3.	यूनाइटेड किंगडम	15,896	09.00
4.	जापान	12,313	07.00
5.	संयुक्त राज्य अमेरिका	10,564	06.00
6.	नीदरलैंड	7,109	04.00
7.	साइप्रस	6,400	04.00
8.	जर्मनी	4,621	03.00
9.	फ्रांस	2,927	02.00
10.	संयुक्त अरब अमीरात	2,243	01.00
11.	अन्य देश	27,012	16.00

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में इसकी संभावनाओं को देखते हुए जरूरी है कि भारत में एफडीआई नीति में कुछ सुधार किए जाएं। इस दृष्टि से निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हैं:

- तकनीक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अधिकाधिक एफडीआई बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के प्रावधानों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- एफडीआई प्रवाह के द्वारा निर्यात में वृद्धि के लिए टैरिफ दर को कम किया जाए क्योंकि विश्व के अन्य देशों की तुलना में यह दर भारत में अधिक है।
- नये क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोलने हेतु समीक्षा की जाए एवं उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए, जैसा कि अभी हाल में रिटेल सेक्टर में 49 प्रतिशत की एफडीआई हेतु मंजूरी दी गई है।
- → कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ाना होगा और इसके लिए प्रोत्साहन देना होगा।
- → पर्यटन, ऊर्जा, वस्त्र आदि क्षेत्रों में एफडीआई की बहुल संभावनाएं हैं, इसलिए नीति निर्धारण के माध्यम से इन्हें आकर्षित किया जाए।
- → राज्यवार विषमताओं को दूर करने के लिए गहन अध्ययन किया जाए एवं ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां एफडीआई के ज्यादा मौके हों एवं तदनुसार नीति निर्धारित की जाए।
- → कीमतों को घटाने के लिए ब्याज दर घटानी होगी और मौद्रिक नीति को एफडीआई के अनुकूल बनाना समय की मांग है।
- → इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र विशेष में एफडीआई से भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा हो तो उन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति न दी जाए, इस संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति निर्धारित की जाए।

इस प्रकार समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक दौर में यदि हमने समयानुकूल निर्णय नहीं लिए तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की दौड़ में पिछड़ जाएंगे और यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होगी।

अतः सकारात्मक रुख अपनाते हुए एवं समयोचित निर्णय लेते हुए अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत करना चाहिए, बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत की अखंडता एवं संप्रभुता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

❍❍❍

संविदा कृषि (Contract-farming) का परिचय एवं महत्त्व

संविदा कृषि का उन्नयन, विशेषज्ञों की रुचि, सरकारी तंत्र की पहल एवं किसानों की इसके प्रति रुचि एवं जागरूकता भारतीय कृषि तथा अर्थव्यवस्था की तकदीर बदल सकती है। सेवा क्षेत्र हो या आईटी, सबका जीवन आधार कृषि क्षेत्र ही है। इसके महत्त्व को समझें, बैंकिंग संस्थाएं प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि ऋण देने में, एनपीए तथा वसूली की आशंका से झिझक रही हैं। यह एक मजबूत चैनेल फाइनेंस है, जिसमें हर कड़ी की मजबूती एक दूसरे पर निर्भर होती है।

संविदा कृषि का परिचय

संविदा खेती में किसानों के साथ एक अनुबंध होता है, जिसके तहत पहले से तय कीमतों पर फसलें कंपनियाँ खरीदती हैं। इस अनुबंध में एक शर्त गुणवत्ता की भी होती है, जिसका निर्धारण खरीदने वाली कंपनी ही करती है। बहुत बार कंपनी उपज को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है, कहकर नहीं भी खरीदती या बहुत कम भाव में खरीदने का प्रयास करती है। कभी–कभी किसान भी अधिक मूल्य में मंडी में या किसी दूसरे को अपना उत्पाद बेच देते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि संविदा खेती का अभी कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। हमारे देश में खेती हमेशा जीविका चलाने का साधन और जीवन का एक हिस्सा रही है, पर यह कभी वस्तु, बाजार या व्यवसाय नहीं रही। समय बदल गया है। आज यदि खेती को व्यवसाय के रूप में नहीं किया जाएगा तो लोगों का खेती व्यवसाय से भरोसा समाप्त हो जाएगा। लोग नौकरी या शहर की ओर अन्य व्यवसाय के लिए पलायन करेंगे। संविदा खेती का मूल आधार ही लाभ है। भारत की नई राष्ट्रीय कृषि नीति के मसौदे में फसलों के विविध–उत्पाद (डाइवर्सीफिकेशन) की व्यवस्था की गई है। इसके तहत किसान नकद फसलों का उत्पादन करेंगे। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्यात होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फसल विविधीकरण के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, जिसकी आपूर्ति निजी क्षेत्र करेगा। संविदा कृषि में बड़ी–बड़ी कंपनियाँ बैंकों की मदद से खेती में अधिक से अधिक पूँजी लगाकर किसानों की मदद से अधिक और उन्नत पैदावार प्राप्त कर सकेंगी। इससे बैंकों का कृषि ऋण देने में विश्वास जगेगा। इसमें सभी का हित एक दूसरे पर निर्भर है।

दयानंद चौधरी
मुख्य प्रबंधक एवं केंद्र प्रभारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल

संविदा कृषि के मूल तत्त्व

- **त्रिपक्षीय समझौता** – इसमें किसान, कृषि–उत्पाद क्रेता तथा वित्तपोषक संस्थाएं शामिल हैं।
- **संविदा अवधि** – इसकी अवधि एक वर्ष से पाँच वर्ष तक हो सकती है। यदि पारदर्शिता हो, पारस्परिक आय का वितरण हो तथा नियम अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता हो तो लंबी अवधि का करार तीनों पक्षों के लिए लाभकारी है।
- **तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग** – लघु एवं सीमांत किसानों के पास पूँजी का अभाव होता है। संपार्श्विक सुरक्षा कम होने के कारण बैंक नयी तकनीक (जोखिम कृषि) के लिए

Final Proof 18 August 2016

पर्याप्त ऋण मुहैया करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। किसान बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जो उनके जीवन यापन में ही खर्च हो जाता है। ऋण एनपीए हो जाता है। किसान अपनी उन्नति की आशा छोड़ जीवन यापन की अन्य राह पर चल पड़ता है।

संविदा खेती में संविदाकार कृषक को नयी तकनीक के साथ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से या स्वयं वित्तीय सुविधा प्रदान कराने की व्यवस्था करता है, जिससे उसे उन्नत और अधिक पैदावार मिले। इसमें उत्पाद का मूल्य पहले से तय होता है। अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से किसान को अधिक मूल्य मिलता है, जो दोनों के लिए फायदेमंद है।

- **कृषि उत्पाद का विवरण –** संविदाकार ही मांग, मूल्य एवं क्षेत्र के अनुसार कृषि उत्पाद का प्रकार, रखरखाव एवं गुणवत्ता तय करता है, जिससे भविष्य के मतभेद से बचा जा सके।
- **मतभेद समाधान व्यवस्था –** किसानों एवं संविदाकर्ता के मध्य उत्पाद की गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारण पर मतभेद हो सकता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा अवरोध या चुनौती यही है। पूर्व निर्धारित मध्यस्थ व्यवस्था व मूल्य निर्धारण में लचीलापन लाना ही इसका समाधान है। इसके लिए ही स्पष्ट समयबद्ध सरकारी कानून, जो दोनों पक्षों का संरक्षण करे और व्यवस्था में विश्वास पैदा करे, आवश्यक है।

इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए संविदा खेती का आधुनिक प्रारूप इस प्रकार है:–

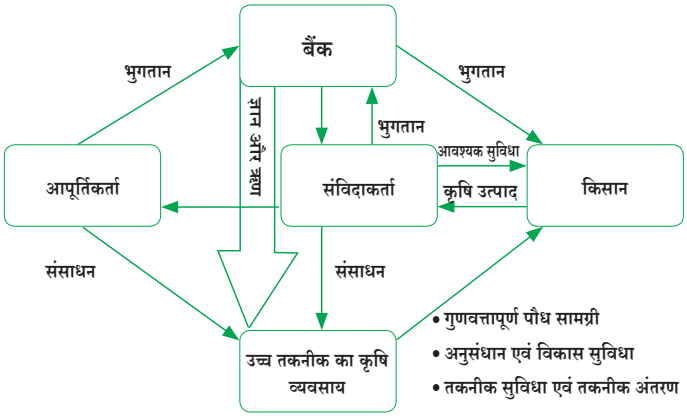

संविदा कृषि के फायदे

किसान को लाभ	संविदा क्षेत्र के निजी क्षेत्र/कंपनी को लाभ
अपने उत्पाद के लिए अग्रिम तयशुदा मूल्य	व्यवधानमुक्त सतत कच्चे माल की आपूर्ति
विश्वस्तरीय तकनीक तथा मशीन की सुविधा	लंबी अवधि की योजना बनाना आसान
बिना मूल्य के द्वार तक तकनीकी सलाह	लंबी अवधि का करार एवं संबंध
लागत मूल्य की वापसी	समर्पित व सुनियोजित आपूर्तिकर्ता
निरंतर फसल की देखरेख	बाजार के उतार–चढ़ाव से बचाव
उच्च तकनीक उच्च पैदावार	समय एवं मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता
• स्वस्थ पौध की सुविधा	उच्च उत्पाद की प्राप्ति
• नव कृषि अनुसंधान का उपयोग	केंद्रीकृत प्रबंधन के कारण उत्पाद एवं मांग का सही आकलन कर उत्पाद के चुनाव की स्वतंत्रता
• आसानी से उपलब्ध आधुनिक कृषि मशीन	
सबसे बड़ी बात फसल उपज पश्चात मंडी या भाव की चिंता नहीं रहती है।	पूर्व निर्धारित मूल्य पर प्राप्त कच्चे माल के कारण अपने उत्पाद का सही मूल्य निर्धारण एवं बाजार की प्रतिस्पर्धा से मुकाबले की क्षमता पर आत्मविश्वास।

भारत में संविदा कृषि के उदाहरण

i. सबसे पहला कदम पेप्सी फूड्स लि. ने बढ़ाया। कंपनी ने 22 करोड़ की लागत से टमाटर फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाया। टमाटर की पूरी मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाने पर

Final Proof 18 August 2016

पेप्सी ने संविदा कृषि की शुरुआत की। कंपनी ने पंजाब के संगरूर जिले में संविदा कृषि पर आधारित अनुबंध के तहत किसानों से कृषि समझौते किए। उन्हें बाजार मुहैया करने के साथ पैदावार में सुधार संबंधी उपाय भी सुझाए। किसानों को उचित मूल्य और आसान खरीददार मिला।

ii. उत्तराखंड में संविदा पर खेती की योजना पर सरकार विचार कर रही है। मंडुवा, रामदाना आदि पारंपरिक उत्पादों से बनने वाली नमकीन, बिस्कुट आदि पर प्रदेश सरकार वैट में छूट देने की योजना भी बना रही है। पलायन के चलते प्रदेश में पर्वतीय जिलों में व्यापक स्तर पर खेत बंजर हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार अब संविदा पर खेती कराने पर भी विचार कर रही है।

iii. एग्रो शेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड – गुजरात के कच्छ एवं सुरेंद्रनगर जिले में वर्षों से लगभग 5000 एकड़ में आर्गेनिक काटन एवं सीसम के बीज की खेती से किसानों को साधारण काटन के बनिस्बत 7% से 8% तक के अधिक मूल्य की प्राप्ति हो रही है।

iv. दूध क्रय हेतु अमूल एवं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एवं महाराष्ट्र में गन्ना कॉपरेटिव सोसाइटी संविदा कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के सफल उदाहरण हैं।

निजी कंपनियां एवं संविदा कृषि

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	कृषि उत्पाद	राज्य
1.	पेप्सीको इंडिया	आलू, टमाटर, मिर्च, सूर्यमुखी, पाम–आइल	पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्रप्रदेश
2.	अपाची कॉटन कंपनी	कॉटन	तमिलनाडु, कर्नाटक
3.	कार्गिल इंडिया प्रा. लि.	गेहूं, जौ, सोयाबीन	मध्यप्रदेश
4.	एस्कार्ट्स लि.	बासमती चावल	पंजाब
5.	हिंदुस्तान लिवर लि.	गेहूं	मध्य प्रदेश
6.	आईटीसी – आईबीडी	सोयाबीन	मध्य प्रदेश
7.	मेरिको लि.	सूर्यमुखी	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक
8.	महिंद्रा शुभ सर्विसेज लि.	विविध उत्पाद	महाराष्ट्र, पंजाब

इस प्रकार नाबार्ड ने भी विभिन्न राज्यों का सर्वेक्षण कर राज्यवार संविदा खेती उपलब्ध करायी है।

संविदा कृषि में नाबार्ड की पहल

- नाबार्ड ने संविदा कृषि हेतु व्यावसायिक फसल के विकास और विपणन में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को विशेष पुनर्वित्त पैकेज दिया है।
- बैंकों द्वारा ऋण भुगतान का 100% पुनर्वित्त (जिनका नेट एनपीए 5% से कम है)।
- भुगतान की मियादी सुविधा (3 वर्ष)।
- संविदा कृषि के तहत उत्पादन ऋण हेतु उच्च वित्त–मान।
- कृषि निर्यात जोन हेतु संविदा कृषि ऋण के लिए पुनर्वित्त का विस्तारीकरण सुविधा।

संविदा कृषि और मुद्रास्फीति नियंत्रण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी संकेत दिये हैं कि भारत सरकार संविदा कृषि के तहत फल एवं सब्जी क्रय को कृषि अधिप्राप्ति नियम से मुक्तकर खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित

Final Proof 18 August 2016

करे। कोल्ड चेन सुविधा को विकसित करने से खाद्यान्न क्षय पर नियंत्रण होगा।

कृषि उत्पाद विपणन कमेटी अधिनियम (APMC Act, 2003)–

इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को संविदा कृषि समझौता को पंजीकरण करने को कहा गया है। इसके तहत किसानों को उनके अधिकार संविदा मतभेद निराकरण प्रक्रिया एवं विभिन्न नियम एवं शर्तों को बताया गया है, जिससे उनका हित संरक्षित होता है।

भारत में संविदा कृषि की परिस्थितियाँ एवं भविष्य

- असफलता के अध्ययनों से पता चला है कि बाजार में लाभकारी क्रय–विक्रय के अनुकूल अवसर मिलने पर कंपनियां और किसान दोनों संविदा का उल्लंघन करते हैं।
- कंपनियाँ मूल्य गिरने पर संविदागत उत्पाद को गुणवत्ता के आधार पर अस्वीकार कर देती हैं जबकि मूल्य चढ़ने पर किसान संविदा तोड़कर मुक्त बाजार में उप–विक्रय (side-selling) का रास्ता अपना लेते हैं।
- कंपनियां सौदा–व्यय घटाने के लिए मध्यम एवं बड़े किसानों को वरीयता देती हैं। वे पाँच एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि 85 प्रतिशत भारतीय किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं।
- इन परिस्थितियों में यदि 10–15 किसान आपस में समूह बनाकर कंपनियों से संविदा पर हस्ताक्षर करते हैं, तो किसानों का हित संरक्षित रहता है तथा कंपनी का प्रबंधन–व्यय बचता है। यह दोनों के लिए लाभकारी है। थाईलैंड में यह काफी सफल हुआ है। वास्तव में थाईलैंड सरकार ने इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शामिल किया है।

संविदा कृषि की सफलता के प्रमुख सूत्र

- किसान क्लब बनाकर कंपनियों से बेहतर सौदा कर सकते हैं।
- किसानों और संविदाकार दोनों को वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो।
- संविदा का महत्त्व एवं इसके दीर्घावधि लाभ की समझ विकसित हो।
- यह पारदर्शी हो।
- सब के लिए स्पष्ट नियम एवं शर्तें हों जिनका उन्हें ज्ञान हो।
- वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की इसमें अहम भूमिका है। क्योंकि संविदा तब ही टूटती है, जब कोई पक्ष तत्काल वित्तीय हानि को सहन करने में अपने को असमर्थ पाता है। बैंक अल्पावधि के लिए अवरुद्ध वित्तीय प्रवाह हेतु उन्हें कार्यशील पूंजी देता है तथा उच्च तकनीक पर आधारित कृषि यंत्र/प्रोजेक्ट हेतु दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है।

भारत में कृषि संविदा की आवश्यकता

भारतीय कृषि पारंपरिक और आधुनिकीकरण के मोड़ पर खड़ी है। बड़े और प्रगतिशील किसान उच्च तकनीक पर आधारित कृषि अपनाने को आगे आए हैं। इनका जुड़ाव अधिक आय अर्जित करने और जोखिम सहन करने के कारण है। लघु और सीमांत किसान में जोखिम सहने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। लोकतांत्रिक सरकार के कारण कम पढ़े लिखे किसान सब्सिडी के मायाजाल में फंसे रहते हैं तथा बैंकों से प्राप्त ऋण का सही उपयोग करने में असमर्थ हैं, फलतः ऋण माफी की आस लगाए रहते हैं। बैंकों का विश्वास किसान ऋण की वापसी पर कम होता जा रहा है। वे विशेष समझौते के तहत ऋण वसूलते हैं, फिर ऋण देते हैं। पुनः ढाक के तीन पात।

सभी बैंकों को उच्च तकनीक युक्त कृषि ऋण वितरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए संविदा कृषि एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक उन्नति तथा भारतीय कृषि के तकनीकी विकास के लिए संविदा कृषि की भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार, रिज़र्व बैंक तथा सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक यदि इस ओर ध्यान दें तो कृषि की ओर युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा, रोजगार सृजित होगा तथा कृषि उत्पाद निर्यात में आशातीत बढ़ोत्तरी होगी।

संविदा कृषि वर्तमान की आवश्यकता और स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला है।

○○○

रुपे कार्ड : वीजा, मास्टरकार्ड का देशी विकल्प

सूचना प्रौद्योगिकी ने आज के युग में वित्तीय लेन–देन के तरीकों का कायापलट कर दिया है। आज पूरे विश्व में वित्तीय लेन–देन इस प्रकार हो रहा है जैसे हम अपने पड़ोस की बैंक की शाखा में साधारण बैंकिंग लेन–देन कर रहे हों। आज का वित्तीय लेन–देन कहीं भी, कैसे भी, कभी भी की अवधारणा पर काम कर रहा है। वित्तीय लेन–देन बैंक की शाखा से निकलकर जैसे ही एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्री–पेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड आदि के रूप में बाहर आया वैसे ही पूरे विश्व में इस बाजार को हासिल करने की होड़ मच गई। भारत की विशाल आबादी तथा इसकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व को इस हेतु अपनी तरफ आकर्षित किया।

बैंकिंग लेन–देन हेतु खातेदार को जारी किए जा रहे कार्ड के बारे में बात करें तो इस बाजार में वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस तथा भारतीय पेमेंट कार्ड रुपे का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में हो रहे नित नए नवोन्मेष के कारण बैंकिंग क्षेत्र में आ रही नई–नई प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग परिचालन को भी काफी प्रभावित किया है। कुछ साल पहले तक रुपे कार्ड क्या है? और इसके उपयोग से देश को क्या फायदे हैं? ज्यादातर भारतीय नागरिकों को नहीं पता था लेकिन प्रधानमंत्री जन–धन योजना के लागू होने के उपरांत बैंकों द्वारा खोले गए खातों में रुपे कार्ड जारी होने से भारतीय पेमेंट सिस्टम में इसकी उपस्थिति जबर्दस्त तरीके से देखने को मिली है। परिणामस्वरूप वीजा, मास्टरकार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी विदेशी वित्तीय सेवाप्रदाता कंपनियों के मुख्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है।

राजेश कुमार
सहायक प्रबंधक, राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक

इकोनामिक टाइम्स की 16 दिसंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जारी किए गए कुल कार्ड की संख्या 63.366 करोड़ है जिसमें रुपे कार्ड की कुल संख्या 22.2 करोड़ है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में रुपे पेमेंट कार्ड 26 मार्च 2012 से ही जारी किया जा रहा है।

प्लास्टिक पेमेंट कार्ड के प्रकार – पूरे विश्व में उपयोग हो रहे प्लास्टिक पेमेंट कार्ड की बात की जाए तो अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न नामों से प्लास्टिक पेमेंट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। ये प्लास्टिक पेमेंट कार्ड विभिन्न रूपों मसलन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्री–पेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड इत्यादि नामों से पूरे विश्व में धड़ल्ले से उपयोग किए जा रहे हैं। इन प्लास्टिक कार्ड को बैंक अपने खातेदार को उनकी वित्तीय लेन–देन संबंधी गतिविधियों में सुविधा प्रदान करने के लिए जारी करते हैं। खातेदार इन कार्डों का उपयोग एटीएम से पैसा आहरित करने, बाजार में किसी भी प्रकार की खरीदारी करने और उसका पेमेंट बिक्री केंद्र (POS) पर करने, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन खरीदारी करने तथा विदेश भ्रमण के दौरान इनका उपयोग करने के लिए करता है।

अगर हम अपने बैंक द्वारा जारी किए गए एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड का अवलोकन करें तो पाएंगे कि कार्ड के दाहिने तरफ कोने में वीजा (VISA), मास्टर कार्ड (Master

Final Proof 18 August 2016

Card), अमेरिकन एक्सप्रेस (American Express) या रुपे (Rupay) लिखा होता है। इन प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहे वित्तीय लेन–देन को एक प्लेटफॉर्म पर निपटाने में वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस तथा भारत का घरेलू पेमेंट कार्ड रुपे आदि वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियां अपने ब्रैंड नाम से भुगतान निपटान उत्पाद प्रदान कर रही हैं। बदले में बैंक अपने खातेदार द्वारा किए गए वित्तीय लेन–देन संबंधी गतिविधियों के लिए इन कंपनियों को पूर्व निर्धारित दर पर फीस या कमीशन प्रदान करते हैं।

इन प्लास्टिक पेमेंट कार्ड के उपयोग हेतु अलग–अलग देशों ने भिन्न–भिन्न भौगोलिक क्षेत्र की सीमा भी निर्धारित की हैं जैसे चीन का यूनियन पे (UnionPay), जापान का जेसीबी (JCB), आदि। अगर हम विश्व में उपयोग किए जा रहे प्लास्टिक पेमेंट कार्ड की बात करें तो निःसंदेह वीजा, मास्टरकार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस की स्वीकार्यता पूरे विश्व में है। भारत की बात करें तो रुपे पेमेंट कार्ड के आगमन से पूर्व वीजा तथा मास्टर कार्ड की ही बादशाहत कायम थी।

भारत विश्व का छठा देश है जिसके पास अपना घरेलू पेमेंट गेटवे सिस्टम है। विश्व के अन्य देश हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, सिंगापुर और ब्राज़ील। विश्व तथा भारत में उपयोग होने वाले प्रमुख प्लास्टिक पेमेंट कार्डों की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे।

वीजा पेमेंट कार्ड (VISA) – वीजा बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है जो वित्तीय लेन–देन के त्वरित निपटान हेतु अपना गेटवे प्रदान करती है। इसका मुख्यालय फोस्टर सिटी, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह पूरे विश्व में वीजा ब्रैंड के क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान कराता है। वीजा ग्राहकों के लिए न तो कार्ड जारी करता है और न ही ऋण प्रदान करता है या फीस से संबंधित दर या प्रभार फिक्स करता है बल्कि यह वित्तीय संस्थाओं (बैंकों) को वीजा ब्रैंड के पेमेंट उत्पाद मुहैया कराता है ताकि वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को इस पेमेंट उत्पाद से संबंधित क्रेडिट, डेबिट, प्री–पेड कार्ड तथा गिफ्ट कार्ड मुहैया करा सके।

वीजा पेमेंट कार्ड सन् 1958 से अमेरिका में उपयोग किया जाने वाला पेमेंट कार्ड है। प्रारंभिक रूप में इसका उपयोग अमेरिका में तत्कालीन बैंकों द्वारा आपस में हो रहे वित्तीय लेन–देन के लिए किया जाता था। धीरे–धीरे इसकी उपयोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी बढ़ती गयी। वर्तमान में वीजा पेमेंट कार्ड पूरे विश्व में उपयोग किया जा रहा है और माना यह जाता है कि यह पेमेंट कार्ड पूरे विश्व में वित्तीय लेन–देन के लिए उपयोग होने वाले कार्ड के बाजार में सबसे अग्रणी है।

वीजा कार्ड ने पे वेव (PayWave)* नाम का संपर्कविहीन कार्ड विकसित किया जिसे बिना किसी बिक्री केंद्र (POS) में स्वाईप किए ही वित्तीय लेन–देन हो जाता है। इसके उपयोग के लिए किसी भी प्रकार का स्मार्ट कार्ड रीडर या पिन की आवश्यकता नहीं होती है।

मास्टर पेमेंट कार्ड (Master Card) – यह भी वीजा की तरह की एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयार्क, अमेरिका में स्थित है। मास्टरकार्ड (MasterCard) कैलिफोर्निया में परिचालित बैंकों द्वारा साझे रूप से सन् 1966 में जारी किया गया। प्रारंभिक रूप में इसे इंटरबैंक/मास्टर चार्ज (Interbank/Master Charge) के नाम से जाना जाता था जिसे बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी वीजा पेमेंट कार्ड के प्रतिद्वंदी के रूप में लांच किया गया था। सन् 1966 से 1979 तक इसे इंटरबैंक या मास्टरचार्ज के नाम से जाना जाता था। सन् 1979 में इसका नामकरण मास्टर कार्ड कर दिया गया। सन् 1990 में मास्टर कार्ड ने यूरो पे इंटरनेशनल (Europay International) के साथ साझीदारी कर मैस्ट्रो (MEASTRO) नामक विश्व का पहला वैश्विक ऑनलाइन डेबिट कार्ड शुरू किया।

मास्टर कार्ड ने भी पे पास (Paypass)* नाम का संपर्कविहीन कार्ड विकसित किया जिसे बिना किसी बिक्री केंद्र (POS) में स्वाईप किए ही वित्तीय लेन–देन हो जाता है। इकोनामिक टाइम्स की दिनांक 16 दिसंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस कंपनी द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की कुल संख्या लगभग 18 करोड़ है जो कि भारत में जारी कुल कार्ड का लगभग 28% है।

* इस तरह के पेमेंट कार्डों का प्रचलन भारत में अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

अमेरिकन एक्सप्रेस (AMERICAN EXPRESS) – अमेरिकन एक्सप्रेस भी उपर्युक्त की तरह एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। अमेरिकन एक्सप्रेस मुख्य रूप से चार्ज कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा ट्रेवलर्स चेक के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1850 में हुई तथा इसका मुख्यालय न्यूयार्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में क्रेडिट कार्ड से लेन–देन में इसकी भागीदारी 24% है। कार्ड के परिचालन नेटवर्क में विश्व में इसका चौथा स्थान है। ट्रवेलर्स चेक प्रदान करने में यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है।

अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी एक्सप्रेस पे (ExpressPay)* नाम का संपर्कविहीन कार्ड विकसित किया जिसे बिना किसी बिक्री केंद्र (POS) में स्वाईप किए ही वित्तीय लेन–देन हो जाता है। इसके उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के स्मार्ट कार्ड रीडर या पिन की आवश्यकता नहीं होती है।

रुपे पेमेंट कार्ड (Rupay) – यह भारत का घरेलू पेमेंट गेटवे है जिसे वित्तीय साक्षरता के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साझा सहयोग से 26 मार्च 2012 को लांच किया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी खुदरा पेमेंट (कार्ड पेमेंट) से संबंधित कार्यों के लिए एक नोडल संस्था है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बड़े बैंक हितधारक हैं। कुछ लोगों का विचार है कि रुपे कार्ड वीजा तथा मास्टर कार्ड जैसे विदेशी पेमेंट गेटवे प्रदान करने वाली कंपनियों के एक विकल्प के रूप में लांच किया गया। लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इसके आने से वित्तीय साक्षरता के साथ–साथ देश के धन का उपयोग भी देश में ही हो रहा है तथा वह अर्थव्यवस्था को विकसित करने के काम आ रहा है।

पहला रुपे डेबिट कार्ड गोपीनाथ पारसीक जनता सहकारी बैंक द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया। इसका उपयोग पहले एटीएम से पैसे निकालने में ही किया जाता था तथा इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित था। 8 मई 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया और धीरे–धीरे इसका दायरा बढ़ाकर घरेलू बैंकिंग लेन–देन में पूरे देश में लागू कर दिया गया। 5 अप्रैल 2013 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे कार्ड की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए डिस्कवर फाइनैंशिअल सर्विसेस (Discover Financial Services, DFS) के साथ भारत के बाहर के लेन–देन हेतु इसके वैश्विक पेमेंट गेटवे के प्रयोग हेतु टाई–अप किया है। 1 जुलाई 2015 को एनपीसीआई ने रुपे कार्ड की एशिया में स्वीकार्यता हेतु जापान क्रेडिट ब्यूरो (Japan Credit Bureau, JCB) के साथ भागीदारी भी की है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की योजना भविष्य में भारतीय नागरिकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने की भी है। कुछ साल पहले तक देशी बैंक वीजा तथा मास्टर कार्ड को प्रति वर्ष 200–300 करोड़ रुपये क्रेडिट और डेबिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस के तौर पर भुगतान करते थे क्योंकि बैंकों के पास इन विदेशी कंपनियों के पेमेंट गेटवे का उपयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रुपे कार्ड नामक घरेलू पेमेंट गेटवे के विकसित हो जाने से यह धन विदेशों में जाने से बच सकता है जिसके कारण विदेशी कार्ड कंपनियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। उनका तर्क है कि प्रतिस्पर्धा की इस रेस में उनका मुकाबला किसी कंपनी से न होकर भारत सरकार से है जो कि भारत जैसी खुली अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए अच्छी बात नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की वेबसाइट पर दिनांक 18 दिसंबर 2015 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,12,201 एटीएम मशीनों में तथा 11,56,562 बिक्री केंद्र (POS) पर रुपे कार्ड मौजूद हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा ई–कामर्स वेबसाइटों पर इसके माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है।

देशी कार्ड रुपे तथा विदेशी कार्ड वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस में अंतर

रुपे पेमेंट के आने से भारत में पेमेंट गेटवे प्रदान करने वाली विदेशी कार्ड कंपनियों वीजा मास्टर कार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस के बीच काफी मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अपना घरेलू पेमेंट गेटवे इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में बैंक तथा उसके ग्राहकों को निम्नांकित रूप से सहयोग प्रदान करेगा –

* इस तरह के पेमेंट कार्डों प्रचलन भारत में अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

क्र.	विषय	भारतीय बैंकों तथा ग्राहकों को फायदा
1.	प्रक्रिया शुल्क	रुपे कार्ड द्वारा भारत में की गई लेन–देन से संबंधित प्रक्रिया अपने देश में ही होती है जबकि विदेशी कार्ड द्वारा किया गया लेन–देन विदेश में होता है जिससे विदेशी बैंकों को ज्यादा फायदा होता है और भारतीय ग्राहकों का जोखिम स्तर भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 2000 रुपए के लिए रुपे कार्ड द्वारा किए गए लेन–देन पर बैंक 2.45 रुपये का शुल्क देता है जबकि वीजा या मास्टर कार्ड इसी लेन–देन के लिए बैंक से 3.25 रुपये का शुल्क वसूलते हैं।
2.	त्वरित लेन–देन	रुपे कार्ड के लेन–देन का निपटान घरेलू पेमेंट गेटवे द्वारा भारत में ही होता है इसलिए इसका त्वरित निपटान होता है जबकि विदेशी कार्ड का निपटान विदेश में होने के कारण उतना त्वरित नहीं होता है।
3.	अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता	रुपे कार्ड की स्वीकार्यता अभी पूरे विश्व में नहीं है लेकिन NPCI इस संबंध में विदेशी एजेंसियों से साझेदारी कर रहा है। आशा है भविष्य में यह वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा सकेगा। विदेशी कार्ड की स्वीकार्यता सभी देशों में है।
4.	तिमाही फीस	बैंक वीजा और मास्टर कार्ड के लिए तिमाही आधार पर शुल्क का भुगतान करते हैं जबकि रुपे कार्ड के लिए यह फीस लागू नहीं होती।
5.	कार्ड का प्रकार	रुपे कार्ड अभी तक केवल डेबिट कार्ड ही जारी कर रहा है जबकि वीजा और मास्टर कार्ड डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करते हैं। भविष्य में रुपे कार्ड द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी योजना है।
6.	प्रवेश शुल्क	अंतरराष्ट्रीय कार्ड हेतु त्वरित निपटान के लिए पेमेंट गेटवे नेटवर्क पर बने रहने के लिए सभी बैंक विदेशी कार्ड एजेंसी को प्रवेश शुल्क देते हैं जबकि रुपे कार्ड पर यह लागू नहीं होता है।
7.	सदस्य बैंक	रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश में कारोबार कर रहे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्राइवेट बैंकों तथा शहरी, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना और रुपे पेमेंट कार्ड – प्रधानमंत्री जन–धन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में निवास करने वाले सभी परिवारों हेतु एक बैंकिंग खाता सुनिश्चित करना है। इसका

Final Proof 18 August 2016

आरंभ वित्तीय समावेशन के लिए ही किया गया है ताकि भारत के सभी नागरिक के पास बैंक में एक खाता अवश्य हो। प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों से संबंधित 9 दिसंबर 2015 की प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि इस तारीख तक कुल 19.52 करोड़ खाते खुले हैं और इनमें से कुल 16.67 करोड़ खातों में रुपे कार्ड जारी कर दिया गया है। 26 मार्च 2012 से जारी किए जा रहे इस कार्ड की प्रगति में यह एक उल्लेखनीय कदम है। अगर इसी गति से सभी खातों में रुपे कार्ड जारी किया गया तो जल्द ही रुपे कार्ड दुनिया का सबसे ज्यादा जारी किया जाने वाला प्लास्टिक कार्ड हो जाएगा (कृपया सारणी देखें)।

09.12.2015 की स्थिति के अनुसार खोले गए खाते
(सभी आंकड़े करोड़ में)

बैंक का नाम	ग्रामीण	शहरी	कुल	रुपे कार्ड की संख्या	आधार सीडेड	खाते में शेष	शून्य शेष खाते का%
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	8.44	6.83	15.27	13.50	7.06	21772.65	33.75
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3.01	0.50	3.51	2.53	0.99	4756.91	31.45
निजी बैंक	0.44	0.29	0.73	0.64	0.23	1166.20	40.89
कुल	11.89	7.63	19.52	16.67	8.28	27695.76	33.60

(सभी आंकड़े http://www.pmjdy.gov.in से लिए गए हैं)

विश्व की कुल जनसंख्या और रुपे पेमेंट कार्ड की सार्थकता

दिसंबर 2015 तक विश्व की संपूर्ण जनसंख्या लगभग 7.3 अरब थी। अगर विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की गणना करें तो यह लगभग 131 करोड़ है। चीन की जनसंख्या उपर्युक्त माह में लगभग 137 करोड़ के आसपास है। पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या तथा चीन की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः लगभग 18% तथा 19% है। यदि भारत और चीन की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो इनका प्रतिशत संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 37% हो जाएगा। भविष्य की बात करें तो भारत के सभी नागरिकों के खाते में अगर रुपे कार्ड जारी कर दिया जाए और सभी नागरिक एक ही पेमेंट गेटवे के अंतर्गत रख दिए जाए तो रुपे कार्ड की संख्या लगभग 131 करोड़ हो जाएगी। आज भारत के नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे वीजा, मास्टर कार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस के कारण विदेशों में जा रहा धन भारत में ही रहेगा और इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और देश में विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

अमेरिका की जनसंख्या और रुपे पेमेंट कार्ड से तुलना – अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला एक विकसित देश है। इसकी अर्थव्यवस्था काफी पहले से ही विकसित है और दुनिया के अधिकांश देश इसके केंद्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व की गतिविधियों पर नजर लगाए रहते हैं ताकि फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में कमी या बेशी से होने वाले वित्तीय प्रभावों से बचने के लिए समय पर कदम उठा सकें और इन देशों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस देश में वित्तीय लेन–देन में प्लास्टिक कार्ड का प्रयोग काफी पहले से किया जा रहा है। वीजा, मास्टर कार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड इस देश की अर्थव्यवस्था की ही देन हैं। अगर हम अमेरिका की जनसंख्या पर गौर करें तो इसकी कुल जनसंख्या दिसंबर 2015 तक लगभग 32.8 करोड़ थी। अगर यह मान लिया जाए कि अमेरिका के सभी नागरिकों के पास ये कार्ड (वीजा, मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस) हैं तो भी रुपे कार्ड जारी होने की संख्या के आधार पर कुछ ही वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी होगी।

अंत में उक्त आंकड़ों के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रुपे कार्ड भारत में विकसित एक घरेलू पेमेंट गेटवे है जिसका उपयोग अभी तक केवल भारतीय ग्राहक ही कर रहे हैं लेकिन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा इसके वैश्विक उपयोग एवं स्वीकार्यता हेतु विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है और निगम की योजना भविष्य में वीजा, मास्टर कार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस के एकाधिकार को खत्म कर रुपे को पूरे विश्व में प्रयोग किए जाने हेतु सक्षम बनाए जाने की है।

साभार https://en.wikipedia.org/wiki/

❍❍❍

Final Proof 18 August 2016

बैंकिंग क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियां और भारत में बैंकों का समेकन/विलयन

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। पेड़ के पुराने पत्ते झड़ते हैं, तो उनके स्थान पर नई कोपलें पल्लवित होती हैं। पानी अनवरत रूप से बहता रहे, तो मन–मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है, परंतु वही पानी एक स्थान पर रुक जाए, तो कीचड़ बन जाता है, अनेक बीमारियों के पनपने का स्थान और स्रोत बन जाता है। प्रकृति का यह नियम हमारी अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन अर्थात बैंकिंग क्षेत्र पर भी पूर्णतः लागू होता है। यदि हम बैंक के पारंपरिक रूप का विहंगावलोकन करें, तो यह एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसका मूलभूत कार्य जनता से जमा लेना और जनता को ऋण देना है। इस पारंपरिक स्वरूप को बदलते समय, परिवेश और परिस्थितियों ने बहुत विकसित और नवोन्वेषी कर दिया है। अब बैंक जमा लेने और ऋण देने के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अन्य अनेक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। एटीएम, ई–बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भुगतान की विभिन्न ई–सुविधाएं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक ट्रंकेशन आदि बैंकिंग के विकास के विभिन्न सोपान हैं। वास्तव में अब बैंक शाखा केवल शाखा न रहकर एक ऐसी 'वन–स्टॉप–शॉप' बन गई है, जहां एक ही छत के नीचे आपको आपकी आवश्यकता की प्रत्येक सुविधा 'कस्टमाइज़्ड' रूप में उपलब्ध है। और अब तो वह समय आ गया है, जब बैंकिंग 'Branchless', 'Cashless' और 'Boundaryless' की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हो रही है।

निधि शर्मा
सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर

भारतीय बैंकिंग की संरचना विविधतापूर्ण है। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक बहु–आयामी भारतीय बैंकिंग उद्योग के घटक हैं। आज जिस तेजी से उदारीकरण और वैश्वीकरण हो रहा है, उसी तेजी से अर्थव्यवस्थाएं सीमाओं को लांघकर एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं और एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं। आज विश्व के एक कोने में कोई अर्थव्यवस्था डगमगाती है, तो उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए आज बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष जो समस्याएँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे केवल किसी देश विशेष से संबद्ध न होकर वैश्विक चुनौतियाँ हैं, जिन्हें निम्नानुसार क्रमबद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं:

1. बैंकिंग क्षेत्र का वैश्वीकरण : आज का दौर वैश्वीकरण का दौर है जिसमें बैंकों को इस क्षेत्र के वैश्विक खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। आज के भारतीय बैंकिंग जगत को देखें, तो यहां 41 विदेशी बैंक कार्यरत हैं जो राष्ट्रीयकृत तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए एक चुनौती हैं। विदेशी बैंक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा संरचना के साथ मैदान में उतरे

Final Proof 18 August 2016

हैं। अतः इस चुनौती का सामना सभी भारतीय बैंकों के लिए अत्यंत गंभीर चुनौती है।

इतना ही नहीं, अब बैंकिंग भी चारदीवारी से बाहर निकलकर अंतरराष्ट्रीय मैदान में आ गई है। आज का ग्राहक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बन गया है और उसकी मांगों का दायरा भी विस्तृत हो चुका है। अब बैंकों को भी ग्राहकों की बढ़ती मांग के अनुपात में अपने फलक को बढ़ाना होगा, तभी वे इस खेल के मैदान में लंबी पारी खेलने में सफल होंगे।

2. साइबर क्राइम नामक ई–चुनौती का सामना : सूचना प्रौद्योगिकी के इस स्मार्ट युग में एक ओर जहां बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी बदलाव एवं सुधार आ गए हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक स्मार्ट चुनौतियाँ भी सामने खड़ी हो गई हैं। हमारा ग्राहक तो स्मार्ट हुआ ही है लेकिन अपराधी भी स्मार्ट हो गए हैं तथा उनके लूटने के तरीके और उपकरण भी अल्ट्रा–स्मार्ट हो रहे हैं। अपराधी कंप्यूटर के कुछ बटनों को दबाने मात्र से करोड़ों रुपए कुछ पलों में ही एक खाते से दूसरे और फिर तीसरे खातों में अंतरित कर देते हैं और ये खाते केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय भी हो सकते हैं। डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों की क्लोनिंग, ई–बैंकिंग के पासवर्डों की हैकिंग आदि आज मामूली बातें हो गई हैं। साइबर क्राइम एक ऐसी चुनौती है, जिसका सामना आज विश्व के सभी देश और अर्थव्यवस्थाएँ कर रही हैं।

3. विभिन्न डिलिवरी चैनलों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 90 के दशक में कंप्यूटरीकरण के साथ ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया, परंतु आज भी विकासशील देशों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग निर्बाध रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष एक अन्य महत्त्वपूर्ण चुनौती है – अपने सभी डिलिवरी चैनलों को कभी भी, कहीं भी और किसी भी माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए समेकित करना। भारत तथा अन्य विकासशील देशों में यह एक सामान्य समस्या है क्योंकि बैंकों में जिन स्टाफ–सदस्यों के पास अनुभव और बैंकिंग का अच्छा ज्ञान है, वे प्रौद्योगिकी में उतने निपुण नहीं हैं और परिणामस्वरूप ज्ञान और तकनीक के बीच एक दूरी अभी बनी हुई है, जिसे दूर किए बिना आज के जागरूक और डिमांडिंग ग्राहक को संतुष्ट कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

4. वित्तीय संकट के पश्चात लागू कड़े विनियमों का अनुपालन: 2008 के वित्तीय संकट के पश्चात तथा वर्तमान परिदृश्य में पश्चिमी देशों का उनके अनुमानित वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु संघर्ष, मध्य पूर्व (Middle East) में अस्थिरता, चीन की अर्थव्यवस्था की मंथर गति होना, आदि चिंता के विषय हैं। इस वैश्विक चुनौतीपूर्ण समय में, जब एक बैंक या वित्तीय संस्था की विफलता पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है, स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु कड़े विनियम लागू किए जा रहे हैं। ऋण और जमा वृद्धि में निरंतर गिरावट के कारण बैंकिंग क्षेत्र में अल्प वृद्धि, आस्तियों के स्तर और लाभप्रदता में गिरावट, आदि वैश्विक चुनौतियाँ हैं जिनके लिए बैंकिंग क्षेत्र को तैयार करने हेतु विनियामक संस्थाओं ने पूंजी पर्याप्तता नियमों को और कठोर कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) द्वारा अधिदेशित संशोधित पूंजी नियमों – बासेल II (Basel II) का भारतीय बैंकों के लिए 31 मार्च 2009 तक पूर्णतः अनुपालन करना आवश्यक था। बासेल II के अनुसार जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) 8% होना चाहिए, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसे 31 मार्च 2009 तक इसे 9% करने के लिए बैंकों को आदेश जारी किए थे। बासेल II के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब बासेल III को 01 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू कर 31 मार्च 2019 तक इसे पूर्णतः लागू करने विषयक आदेश जारी कर दिए हैं।

इस प्रकार के नियम बैंकों को पर्याप्त पूंजी कुशन प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम हैं। इन कठोर नियमों और विनियमों का अनुपालन करना तथा अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता बनाए रखना सभी बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।

5. बाह्य और आंतरिक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना : आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है तथा बैंकिंग क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। डार्विन का सिद्धांत 'Survival of the fittest' यहां भी

अक्षरशः लागू होता है। आज भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा केवल आपस में ही नहीं है, अपितु विदेशी एवं निजी बैंक भी इस दौड़ में तेजी से शामिल हो रहे हैं और भारतीय बैंकों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए द्वार खोल दिए हैं। विदेशी बैंकों को शाखाओं अथवा अनुषंगी के रूप में भारत में स्थापित होने की अनुमति दे दी गई है। ये विदेशी बैंक एवं नई पीढ़ी के निजी बैंक उन्नत तकनीक के साथ बाज़ार में उतरे हैं तथा ऐसे में भारतीय बैंकों को अपने अस्तित्व को बचाने एवं प्रगति के लिए तथा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जो ग्राहकों की बदलती एवं बढ़ती मांगों के अनुरूप हो। जो बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे, वे इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे। कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपने अस्तित्व को बनाए रखना बैंकों के लिए एक मुख्य चुनौती है।

6. प्रतिभा–प्रतिधारण : बैंकिंग जगत में पिछले दशक में व्यापक बदलाव हुए हैं। अब तक जो बैंकिंग 3–6–3 (3% की दर पर जमा लेकर 6% की दर पर ऋण दो तथा 3 बजे अपने घर जाओ) के ढर्रे पर चल रही थी, अब एकाएक 24 X 7 हो गई। परिवर्तन के इस दबाव के अनुसार जो पुराने कर्मचारी स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र ने एक समय ऐसा भी देखा जब स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वालों की संख्या बहुतायत हो गई। ऐसे में अपने अनुभवी और प्रतिभावान कर्मचारियों को प्रतिधारित करना, उनके अनुभव का अपनी संस्था के लाभार्थ उपयोग करना तथा उन्हें बदलते दौर के साथ बदलने के लिए प्रेरित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

7. अधिक जानकारी युक्त एवं कम निष्ठावान ग्राहकों को प्रतिधारित करना : आज का ग्राहक जागरूक ग्राहक है। उसे पता है कि उसकी आवश्यकता क्या है। वह इंटरनेट, मोबाइल तथा अब 'सेल्फी' के दौर का ग्राहक है। आज प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकता तथा मांग भिन्न–भिन्न है और बैंकों से उनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। इस ई–बैंकिंग तथा प्लास्टिक मनी के युग के ग्राहकों को अपने साथ जोड़कर रखना प्रत्येक बैंक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

आज 'जो दिखता है, वो बिकता है'। ऐसे में अपने ग्राहकों की दिन–प्रतिदिन बढ़ती और बदलती मांगों को पूरा कर उन्हें अपने साथ बनाए रखना प्रत्येक बैंक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

8. जोखिम प्रबंधन : जैसे–जैसे बैंकिंग का परिदृश्य बदल रहा है, वैसे–वैसे बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम भी अपना स्वरूप बदल रहे हैं। यह समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो यह एक संकट बनकर अनेक बैंकों को दिवालिया कर चुकी है।

एक ओर जहां बैंकिंग की ई–प्रणालियों के बढ़ते वर्चस्व के कारण जोखिम काफी हद तक बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर इसके प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पूंजी बनाए रखना तथा अपने तुलन पत्र को सुदृढ़ करना भी एक चुनौती है। अनर्जक आस्तियों का बढ़ता प्रतिशत प्रत्येक बैंक के लिए सिरदर्द का कारण बनता जा रहा है। यह एक ओर बैंकों की लाभप्रदता के लिए ग्रहण है, वहीं दूसरी ओर बैंकों के अस्तित्व तक पर एक प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। अतः जोखिम का कुशलतापूर्वक प्रबंधन आज एक विश्वस्तरीय चुनौती बनकर सामने आई है।

9. लाभप्रदता तथा अंशधारकों की अपेक्षाएं : कड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में लाभप्रदता का मार्जिन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है और बैंकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। आज का अंशधारक भी बहुज्ञ व्यक्ति है, जो बैंकों की गतिविधियों में पर्याप्त दिलचस्पी लेता है और बहुत ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्मता से इन पर नजर लगाए बैठा है। उसे अपने धन का पूरा रिटर्न चाहिए और वह भी लाभ के साथ। अतः उसकी इस कसौटी पर खरे उतरना भी बैंकों के लिए एक चुनौती है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र का फलक बहुत विस्तृत है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो ब्रिटिशकाल में परंपरागत रूप वाली बैंकिंग सुधारों के विभिन्न सोपानों को पार करती हुए राष्ट्रीयकरण और फिर

निजीकरण तथा अब विदेशी बैंकों के भारत में आगमन की साक्षी है। समय के साथ-साथ बैंकिंग उद्योग ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकों की कार्य-प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इन सब परिवर्तनों के होते हुए भी कुछ मूलभूत तत्त्व जैसे बैंकों के प्रति लोगों की आस्था तथा विश्वास यथावत् कायम है। और यही बैंकों के लिए सबसे बड़ा अवसर और चुनौती है। अब बैंकों ने अपना केंद्र बिंदु उत्पाद के स्थान पर उपभोक्ता को बना लिया है। ग्राहक जितना अधिक संतुष्ट होगा, बैंक उतना ही सफल होगा।

भारत में बैंकों का समेकन/विलयन

आज जब सम्पूर्ण विश्व का बैंकिंग क्षेत्र बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और बैंकिंग पर्यवेक्षी संस्थाएं पूर्ण सावधानी के साथ इनकी निगरानी कर रही हैं, उस समय प्रत्येक देश और विशेषकर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों की गुणवत्ता और परिमाण बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। अन्य सभी व्यावसायिक कंपनियों की भांति बैंक भी विभिन्न जोखिमों से स्वयं को बचाना चाहते हैं तथा उपलब्ध अवसरों से अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, अतः पिछले कुछ समय में विश्व में बैंकिंग क्षेत्र में समेकन और अधिग्रहण का प्रचलन बढ़ता नजर आ रहा है। भारत का बैंकिंग क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली

भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक 1935 से भारतीय बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण और विनियमन कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली को मुख्यतः दो कालों में विभक्त किया जा सकता है – उदारीकरण से पहले का दौर तथा उदारीकरण के बाद का दौर। उदारीकरण से पहले के दौर में भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1993 में सरकार द्वारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नैशनल बैंक का समेकन किया गया तथा यह राष्ट्रीय बैंकों के बीच एकमात्र समेकन था, जिसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से कम होकर 19 रह गई।

उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को विस्तार देने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी तथा विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी।

दिसंबर 1997 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर नरसिंहम कमेटी स्थापित की गई। इस समिति ने 23 अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार बैंकों के आकार और परिचालन को सुदृढ़ करने हेतु समेकन/विलयन किए जाएँ। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के समेकन की सिफारिश की, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपेक्षित शक्ति का संचय कर सकें। समिति के अनुसार 2 से 3 बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर के 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक तथा अनेक स्थानीय बैंक होने चाहिए, ताकि सुदूर स्थानों को भी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सके।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अब तक जो प्रमुख समेकन/विलय हुए हैं, उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है:

1) टाइम्स बैंक लि. का एचडीएफसी बैंक में विलयन (2000),
2) आईसीआईसीआई बैंक लि. में बैंक ऑफ मदुरै का विलयन (मार्च 2001),
3) बनारस स्टेट बैंक लि. का बैंक ऑफ बड़ौदा में समेकन (2000),
4) ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. का अधिग्रहण (2004),
5) सेंचुरियन बैंक का बैंक ऑफ पंजाब में समेकन (2005), आदि।

समेकन/विलयन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां दो या अधिक कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ''Merger means combing two commercial companies into one.''

एक अन्य परिभाषा के अनुसार, ''Merger is the fusion of two or more existing companies. All assets, liabilities and the stock of one company stand transferred to

Final Proof 18 August 2016

Transferee Company in consideration of payment in the form of :

- Equity shares in the transferee company,
- Debentures in the transferee company,
- Cash, or

A mox of the above modes.''

अतः स्पष्ट है कि समेकन करने वाली कंपनी लक्षित कंपनी की आस्तियों और देयताओं का अधिग्रहण कर लेती है। समेकित की जाने वाली कंपनी के अंशधारकों को उनके वर्तमान कंपनी के शेयरों के स्थान पर समेकन करने वाली कंपनी के शेयर प्रदान किए जाते हैं। समेकन/विलयन की प्रक्रिया में दो स्थितियाँ हो सकती हैं–

1) कंपनी का आमेलन (Absorption of the company) – जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को अपने में समाहित कर लेता है अथवा

2) समेकन (consolidation) – जिसमें दो या अधिक बैंक मिलकर एक नए बैंक का निर्माण करते हैं।

1991 में वित्तीय क्षेत्र में होने वाले सुधारों ने भारत में बैंकिंग की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था नियमों और विनियमों की श्रृंखलाओं से मुक्त होकर विश्व के उन्मुक्त आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ने के लिए बेताब हो उठी। विनियमन मुक्त वातावरण में भारतीय बैंक धीरे–धीरे 1) समेकन/विलयन और अधिग्रहण, 2) परिचालनों के वैश्वीकरण, 3) नई तकनीकों के विकास तथा, 4) बैंकिंग के वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर होने लगे। जैसे–जैसे हम बैंकिंग के वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर हो रहे थे, वैसे–वैसे हमारे लिए यह आवश्यक था कि हमारे मैदान में बड़े और मजबूत खिलाड़ी हों ताकि भारतीय बैंक एक अचूक, लंबी बेहतरीन और अर्थपूर्ण पारी खेल सकें और इसके लिए बैंकों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक था। कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में समेकन/विलयन इस दिशा में एक अहम कदम है और आज के दौर में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है।

समेकन/विलयन की आवश्यकता : किसी बैंक का समेकन/विलयन किए जाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिन्हें निम्नानुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है –

1) बैंक का कमजोर होना : यदि किसी बैंक का तुलन पत्र अपेक्षाकृत कमजोर है तथा बैंक हानि का सामना कर रहा है, बैंक की अनर्जक आस्तियां उसके लाभ को कम कर रही हैं और बैंक की स्थिति में सुधार आने के स्थान पर वह उत्तरोत्तर गिरावट दर्ज करने लगता है, उस समय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, उसका तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ बैंक में समेकन कर दिया जाता है, ताकि कमजोर बैंकों को स्थिरता प्रदान की जा सके और उसके जोखिमों का विशाखन किया जा सके।

2) बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा : प्रतिस्पर्धा के इस दौर में नित्य नवीन खिलाड़ी नई–नई तकनीकों से युक्त होकर बाजार में उतारे हैं, जिनके सामने टिके रहना परंपरागत बैंकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, अतः समेकन/विलयन को इस समस्या के समाधान के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

3) अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने भी समेकन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों का आकार अंतरराष्ट्रीय बैंकों की तुलना में काफी छोटा है। अतः यह आवश्यक है कि इन्हें समेकित कर दिया जाए, ताकि छोटे बैंक एवं बड़े बैंक मिलकर और अधिक बड़े हो जाएँ। भारत वर्ष में ऐसे बैंक फैले हुए हैं, अतः समेकन से वे जहां एक बड़े और मजबूत बैंक बनेंगे, वहीं दूसरी ओर देश भर में बैंक शाखाओं का नेटवर्क और अधिक विस्तार पकड़ेगा।

4) नवीन सेवाएँ और उत्पाद : नवोन्मेषी वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की बढ़ती मांग क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के समेकन/विलयन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण है।

5) बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश संबंधी कठोरता में कमी आने से इस क्षेत्र में नित्य नवीन विदेशी तथा निजी बैंक प्रवेश कर रहे हैं और बहुत से बैंक प्रवेश करने के प्रबल इच्छुक हैं। अतः बैंकों की संख्या को सीमित/मर्यादित करने के लिए कमजोर बैंकों का समेकन/विलयन एक सुरक्षित और प्रभावशाली उपाय है।

6) सकारात्मक समन्वय : 'एक और एक ग्यारह' की कहावत के अनुसार जब दो कंपनियाँ मिलकर एक हो जाती हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे परिचालनगत लागत

में कटौती, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, उत्पादों में विविधता, लाभप्रदता में वृद्धि, आदि। अतः ये सब घटक भी समेकन/विलयन के महत्त्वपूर्ण कारण हैं।

प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी अवश्य होती है। अतः समेकन/विलयन की क्रिया के भी कुछ प्रभाव और परिणाम अवश्य होते हैं, यथा –

1) कार्यनिष्पादन में सुधार : समेकन/विलयन का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम है – कार्यनिष्पादन में सुधार। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और उसका प्रभावशाली तरीके से समावेशन, अवसरों में वृद्धि, बाजार संभावनाओं में वृद्धि, आदि के कारण बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं इससे बैंक की बाजार में स्थिति भी सुदृढ़ होती है।

2) विविधीकरण (Diversification) : जब दो बैंक समेकित होकर एक होते हैं, उस समय उनके निवेश तथा आस्ति, आदि के पोर्टफोलियो में विविधता आती है, जिस कारण जोखिम भी वितरित हो जाता है, जबकि अकेले बैंक के पास विविधता के अधिक विकल्प नहीं होते हैं। समेकन/विलयन के पश्चात बैंक ऋण पोर्टफोलियो में भी विस्तार कर सकता है, क्योंकि अब वे लगभग उतनी ही शेयर पूंजी से अधिक प्रकार के ऋण प्रदान कर अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं।

3) उत्पादों में विविधता : जब दो बैंक मिलकर एक होते हैं, उस समय उनके उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के परिणाम में भी वृद्धि होती है और इसका सीधा लाभ उनके ग्राहकों को प्राप्त होता है।

4) ग्राहक सूची में विस्तार : समेकन/विलयन का एक अन्य सकारात्मक परिणाम यह होता है कि दोनों बैंकों के ग्राहकों की सूची भी समेकित हो जाती है। आज के युग में जहां एक–एक ग्राहक का अस्तित्व बहुत महत्त्वपूर्ण है, वहाँ इसे एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है।

5) लागत में कमी : समेकन/विलयन से दोनों सहभागियों की परिचालनात्मक लागत में कमी आती है तथा नए निवेश से बैंक की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

6) लाभप्रदता में वृद्धि : जब समेकन/विलयन के परिणामस्वरूप परिचालनात्मक लागत में कमी आएगी, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव बैंक की लाभप्रदता पर पड़ेगा।

7) कुशलता में वृद्धि : समेकन/विलयन के परिणामस्वरूप बैंक के कौशल में वृद्धि होती है क्योंकि यदि अधिग्रहण करने वाला बैंक अधिक कुशल है, तो वह अपने प्रबंध कौशल, नीतियों, तथा अन्य परिचालनगत कुशलताओं से बैंक के समग्र कौशल में वृद्धि कर देता है। इसके अतिरिक्त दोनों को एक–दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे नए–नए विचार और योजनाएँ पल्लवित और पुष्पित होती हैं।

समेकन/विलयन के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे जॉब सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न, कार्यभार की मात्रा में वृद्धि, कर्मचारियों की मनोदशा में गिरावट तथा उनमें चिंता और तनाव में वृद्धि, आदि। इन सभी का समग्र प्रभाव कार्यनिष्पादन पर पड़ना स्वाभाविक है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समेकन/विलयन का मुख्य उद्देश्य गलाकट प्रतिस्पर्धा में कमी करना तथा अर्थव्यवस्था के वर्तमान बाजार के हितों की रक्षा करना है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि समेकन/विलयन देश के विकास और प्रगति के लिए तभी लाभकारी है, जब यह स्वस्थ आपसी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखे क्योंकि तभी देश का बाजार वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो पाएगा क्योंकि अब बैंकों को राष्ट्रीय नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय बाजार को अपना लक्ष्य बनाना होगा। भारतीय बैंकों ने विश्व आर्थिक संकट के समय अपनी शक्ति का लोहा सारे विश्व से मनवाया है और अब समय है कि अपनी उस शक्ति तथा ब्रैंड नाम का सही दिशा में प्रयोग करते हुए खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर और अधिक ऊंचाइयों को छूते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करने का।

किसी ने सच ही कहा है –

''अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला
जिस दिये में जान होगी, वह दिया रह जाएगा।''

❍❍❍

Final Proof 18 August 2016

वर्तमान बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन के स्वरूप एवं उनका निदान

बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों ने बैंकिंग पर दूरगामी प्रभाव डाले हैं... बैंकिंग सोच बदली है... बैंकिंग का तरीका बदला है। यह सच है कि बैंकिंग कारोबार में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन यह भी सच है कि बैंकिंग कारोबार में जोखिम भी बेतहाशा बढ़ा है... जो स्वाभाविक भी है। जिस तरह से किसी भी कारोबार में जोखिम होता है, उसी तरह से बैंकिंग में भी जोखिम होगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस जोखिम को कम कैसे किया जाए।

प्रसिद्ध प्रबंधन शास्त्री पीटर ड्रकर ने एक जगह पर लिखा है: ''हम भविष्य के बारे में केवल दो चीजें आंक सकते हैं, एक वे जिनके बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता और दूसरी वे जिनके बारे में आज की गणना सही नहीं बैठती''।

जाहिर है, भविष्य में होने वाली घटनाओं पर मानव का नियंत्रण नहीं हो सकता, पर विषम परिस्थितियों को अपने वश में किए जाने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। आप चक्रवाती तूफान पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने जहाज की पाल को हवा के अनुकूल जरूर कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हमारे लिए यह जानना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि ''जोखिम है क्या?'' विशेष रूप से बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में जोखिम का क्या अर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि यदि रोग का पता चल जाए तो उसका निदान काफी आसान हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमें विभिन्न जोखिमों के बारे में सही–सही जानकारी मिल जाए तो उसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है।

डी. के. मित्तल
वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
विजया बैंक

जोखिम एक ऐसी संभावना है जिसमें अनपेक्षित घटना (Unexpected incident) होने पर बैंक/वित्तीय संस्था के हितों (Interest) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव बहुस्तरीय (Multilevel) होता है और इसके परिणाम भी दूरगामी होते हैं। बिना जोखिम उठाए अच्छे प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिफल जोखिम का परिणाम होता है (Return is the reward of risk)। एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो जोखिम प्रबंधन (Risk Management) और प्रतिफल (Return/reward) के बीच संतुलन बना कर चलता है।

जोखिम प्रबंधन को सामान्यत: 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

1. गैर वित्तीय जोखिम 2. वित्तीय जोखिम

बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में गैर वित्तीय जोखिम (Non financial risk) का आशय ऐसे जोखिमों से होता है जो तकनीकी विकास (Technological Upgradation), नवोन्मेषी पद्धतियों (Innovative methods), विपणन (Marketing) और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से संबंधित होते हैं। इनमें परिवर्तन होने पर बैंकों के ऋण जोखिम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई तकनीक पुरानी (Obsolete) पड़ जाती है तो उससे भी वित्तीय गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।

Final Proof 18 August 2016

उदाहरण के लिए कोलकाता जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध था परंतु 'पॉलीथीन सैक' आ जाने से जूट के बोरों की मांग कम हो गई और अब यह उद्योग बंदी की कगार पर है। जब उद्योग बंदी की हालत में होंगे तो बैंकों का पैसा वापस कैसे आएगा।

कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनका संबंध एक संस्था/बैंक तक सीमित नहीं होता है, वे पूरे उद्योग को प्रभावित करते हैं, जैसे सरकार द्वारा लिए गए निर्णय। उदाहरण के लिए प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए सरकार ने ईंट–भट्ठों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे ईंट–भट्ठों का उद्योग समाप्त हो गया। चूंकि गैर वित्तीय जोखिमों पर संस्था/बैंक का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा माथापच्ची करना मुझे उपयुक्त नहीं लगता। हमें समस्या की जड़ में जाना होगा। इसलिए इस जोखिम के मूल यानि वित्तीय जोखिम पर विचार करना होगा।

वित्तीय जोखिम को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे ऋण जोखिम (Credit risk), तरलता जोखिम (Liquidity risk), ब्याज दर जोखिम (Interest rate risk), परिचालन जोखिम (Operational risk) और आकस्मिक जोखिम (Incidental risk arising out of contingent liability)। विषय की तह में जाने के लिए प्रत्येक बिन्दु पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस क्रम में सबसे पहले ऋण जोखिम पर चर्चा करना उपयुक्त रहेगा।

ऋण जोखिम

बैंकों की आमदनी का जरिया होता है कम ब्याज पर जनता से राशि जुटाना और जरूरत मंदों को अधिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना। यह तो हुई पारम्परिक तरीके की बात। अब बैंक निवेश भी करते हैं और निवेश भी बैंक की कमाई का जरिया होता है। ऋण जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का सबसे बड़ा जोखिम होता है। यदि कोई उधारकर्ता नियत समय पर ऋण की शर्तों के अनुसार ऋण अदायगी नहीं करता है तो बैंक के समक्ष जोखिम उठ खड़ा होता है। अमूमन बैंक अपनी तरल आस्तियों का 40 भाग अग्रिमों में और 10 प्रतिशत भाग प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इस तरह के निवेश से बैंकों को जहाँ विभिन्न सांविधिक अपेक्षाएं (एसएलआर/सीआरआर) पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है वहीं इस निवेश से सुनिश्चित आय प्राप्त करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन हेतु बैंकों को अपनी आस्तियों की गुणवत्ता (Quality of Assets) पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके ऋण गैर उत्पादक आस्तियों में तब्दील न होने पाएं, क्योंकि जैसे ही कोई ऋण खाता एनपीए की कैटेगरी में आता है तो उसकी आस्तियों को अनर्जक (Non earning) मान लिया जाता है... यह मान लिया जाता है कि इन आस्तियों से तात्कालिक आधार पर ऋण की अदायगी की संभावना नहीं है। जब ऋण वापस नहीं आता है तो बैंकों में नकदी प्रवाह (Cash flow) रुक जाता है। इससे बैंकों की परिचालन क्षमता/लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम के 3 सिद्धांत होते हैं – चयन (Proper selection of the borrower), सीमांकन (Limit/Exposure) एवं विविधीकरण (Diversification)। ऋण देने में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह होती है कि ऋण किसे दिया जा रहा है और किस उद्देश्य

Final Proof 18 August 2016

से दिया जा रहा है। क्या ऋण लेने वाले का मन्तव्य (Intention) सिर्फ ऋण लेना है? क्या बैंक से ली गई ऋण राशि से वह इतनी आमदनी जुटा पाएगा कि वह बैंक की किस्त मय ब्याज चुका दे? अस्सी के दशक में दिये गए ऋण मेलों की विफलता का कारण यही था कि इनमें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया था कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण राशि का क्या करेगा और बैंकों के ऋण की भरपाई (Repayment) कैसे होगी। बैंकों को इस बारे में विशेष रूप से सजग रहना होता है। ऋण जोखिम को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि एक ही प्रकार के कार्यों के लिए ऋण न दिये जाएं... एक ही घराने को ऋण न दिये जाएं। अंग्रेजी में इसे keeping the eggs in different baskets कहा जाता है।

तरलता जोखिम

बैंकों की आस्तियों और देयताओं के प्रवाह (Flow) में असंतुलन के कारण जो जोखिम उत्पन्न होता है उसे तरलता जोखिम/अर्थ सुलभता जोखिम कहा जाता है। बैंक सामान्यतः बचत खाते से निधियाँ जुटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनकी निधियों पर लागत (Cost of fund) कम हो जाती है परंतु हमेशा ऐसा करना संभव नहीं होता। बैंकों को जमाराशियाँ जुटाने के लिए सावधि जमा का सहारा लेना पड़ता है और कभी–कभी तो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी जारी करने पड़ते हैं।

जमाएं जुटाना जितना सरल है उनका विनियोजन (Deployment) उतना ही मुश्किल। यदि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल सही तरह से नहीं होता है तो यह रकम बैंक के लिए भार बन जाती है और बैंक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए बैंकों का काफी समय इस माथापच्ची में गुजर जाता है कि कितनी राशि, कितने समय के लिए विनियोजित की जाए। सामान्यतः बैंक जमाओं का विनियोजन/निवेश विभिन्न समयावधियों के लिए करते हैं पर उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अल्पकालिक आधार पर प्राप्त की गई जमाओं का उपयोग अल्पकालिक अवधि के ऋणों/निवेश के लिए किया जाए और दीर्घकालिक आधार पर प्राप्त की गई जमाओं का उपयोग दीर्घकालिक ऋणों/निवेश के लिए किया जाए। ऐसा करने पर भी यदि आस्तियों/देयताओं के बीच असंतुलन आता है तो उसे कम से कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में यह असंतुलन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

आस्ति देयता प्रबंधन में यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं होती कि आस्तियों और देयताओं में असंतुलन (Mismatch) है। असंतुलन तो होगा ही। महत्त्वपूर्ण यह है कि असंतुलन कितना है और इसे किस हद तक बर्दाश्त (Tolerance level) किया जा सकता है। तरलता जोखिम को कम करने के लिए सबसे सरल उपाय यह है कि आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता चार्ट (Maturity Pattern) बनाए जाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर देयताओं की पूर्ति आसानी से की जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नांकित परिपक्वता चार्ट बनाने का सुझाव दिया है

1 दिन से 14 दिन	15 दिन से 28 दिन
29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक 6 माह तक
6 माह से अधिक 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक

यदि 1 वर्ष की अवधि वाली आस्तियों और देयताओं में असंतुलन नजर आए तो इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए। इसी तरह से 1 दिन से 14 दिन और 15 दिन से 28 दिन वाले असंतुलन (मिस्मैच) पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ब्याज दर जोखिम

यूं तो बैंक की ब्याज दर बैंक की माली हालत (Financial Health) पर आधारित होनी चाहिए लेकिन आज के मुक्त (Deregulated) माहौल में आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर बाजार (Market) से प्रभावित होती है। इसलिए बैंकों की पूरी कोशिश रहती है कि ब्याज जोखिम नियंत्रण में रहे। यह फार्मूला ब्याज देने और ब्याज लेने दोनों पर लागू होता है। वित्तीय संस्था होने के नाते ब्याज दर कई तरह से बैंकों को प्रभावित

करती है। ब्याज दर जोखिम का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक होता है– आस्तियों और देयताओं की समय–समय पर नई कीमत आंकना – जिसे प्राइसिंग जोखिम (Pricing risk) कहते हैं। इसके अलावा आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता (Maturity Pattern of Assets & Liabilities) अवधि में जो अंतर होता है उसके कारण ब्याज जोखिम उत्पन्न होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई बैंक अल्पकालिक जमाओं से दीर्घकालिक ऋण देता है और इसी बीच ब्याज की दरें गिर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक को गिरी हुई जमा ब्याज दर का लाभ नहीं मिल पाएगा और उसे तयशुदा लाभ (ऋणों से प्राप्त ब्याज राशि – जमाओं पर देय ब्याज) प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि कोई ऋण दीर्घकालिक आधार पर नीची दरों पर दिया जाता है और बाजार में जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो बैंक को बढ़ी हुई दरों पर बाजार से राशि जुटानी होगी जिससे बैंक को नुकसान होगा।

परिचालनात्मक जोखिम

बैंकों में आंतरिक देखरेख में कमी होने से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रबंधन या बाहरी लोगों की वजह से उत्पन्न हुए जोखिम, बाह्य घटनाओं (External factors) के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को परिचालनात्मक जोखिम कहा जाता है। प्रक्रियागत कमियां (Procedural lapses), व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विताएं (Professional competitions), विनिमय जोखिम (Exchange Risk of Currency) आदि भी परिचालनात्मक जोखिम की श्रेणी में आते हैं। बासेल समिति के अनुसार परिचालनात्मक जोखिम वह है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बैंक को हानि पहुंचती है। इस जोखिम पर नकेल कसने के लिए ही समिति ने आंतरिक निरीक्षणों की अपरिहार्यता (Indispensability) पर काफी बल दिया था।

आकस्मिक जोखिम

जब से बैंकों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शुल्क आधारित गतिविधियों (Fee based activities) में वृद्धि की है तब से आकस्मिक जोखिमों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। सभी प्रकार की गैर निधि आधारित गतिविधियों से बैंक को जो आय प्राप्त होती है वह इसी श्रेणी में आती है। गैर निधि आधारित कारोबार में आकस्मिक जोखिम की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। यदि बैंक किसी प्रकार की गारंटी देता है तो उसमें ऋण जोखिम, नकदी जोखिम और ब्याज जोखिम स्वयमेव सन्निहित (Automatically incorporate) हो जाते हैं। यदि ग्राहक अपनी प्रतिबद्धता (Commitment) पूर्ण करने में असफल रहता है तो अप्रत्यक्ष रूप से ऋण जोखिम उत्पन्न हो जाता है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

बैंकों में जोखिम प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाती है, जिसमें बैंक का उद्देश्य, बैंक का मिशन एवं विजन और विभिन्न प्रकार के जोखिम आदि का स्पष्ट उल्लेख होता है। बैंक विभिन्न जोखिमों के स्वीकार्य स्तर को भी लिखित रूप में देते हैं ताकि जोखिम उत्पन्न होने पर किसी प्रकार का भय न व्याप्त हो जाए। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक आवधिक आधार पर विभिन्न मदों की समीक्षा करते हैं ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

जोखिम प्रबंधन का महत्त्व

जो बैंक अपने जोखिमों का उचित आकलन और उनकी उचित मॉनीटरिंग कर लेता है उसे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जैसे कारोबारी रणनीति को लागू कर पाना, समय रहते प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों की पहचान करके उनका फायदा उठाना, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (कैपिटल ऐडीकेसी रेशियो) के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना और उसकी तैयारी करना, कारोबारी फैसले आसानी से लेना, सेवा की कीमत तय करने में आसानी होना, लेन–देन विभाग पर उचित नियंत्रण रख पाना और बैंक की प्रतिष्ठा बनाए रखना आदि। अस्तु, जोखिम प्रबंधन के बारे में यही कहा जा सकता है कि इसका प्रबंधन मुश्किल है पर असंभव नहीं। जो बैंक जोखिम प्रबंधन पर नियंत्रण कर लेते हैं सफलता उनके कदम चूमती है।

❍❍❍

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और बैंक

हम भारतीय स्वर्ण की आसक्ति से सदैव जुड़े हुए हैं। भारतीय लोग सोने और उससे बनी वस्तुओं का सर्वाधिक उपभोग करते हैं, चीन का नंबर दूसरा है। वर्ष 2004 में हमारा उपभोग 842 टन रहा जिसमें से 75% उपभोग उसकी ज्वेलरी के बनाने के काम आता है। सोना खरीदना, सोना पहनना और अधिक से अधिक अपने पास रखना हर भारतीय का न केवल सपना होता है अपितु इसके साथ वह भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेदन रूप से जुड़ा हुआ है। हम भारतीयों की यह सोच है कि सोना विवाह समारोह में अपनी बेटियों को आवश्यक रूप से दी जाने वाली अनिवार्य सौगात है तथा आकस्मिक और अपरिहार्य परिस्थितियों में इसे तुरंत बेचकर कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। हमने सोने को कभी भी निवेश के तौर पर नहीं लिया है। भारत देश में 20,000 टन सोना उपलब्ध है जो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। यदि इस सोने को बैंकों में जमा कर दिया जाए और इस पर हमें करमुक्त ब्याज मिल जाए तो न केवल हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी अपितु अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा होगा।

आर. के. शर्मा
इंण्डियन ओवरसीज़ बैंक, नई दिल्ली

- भारत में घरेलू व्यक्तियों की संख्या – 270 मिलियन
- जिन्होंने कभी सोना नहीं खरीदा – 39 मिलियन
- जिन्होंने कम से कम 1 बार सोना खरीदा – 213 मिलियन

केंद्रीय सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों में रखे सोने को बाहर निकालकर अर्थव्यवस्था में लगाना है।

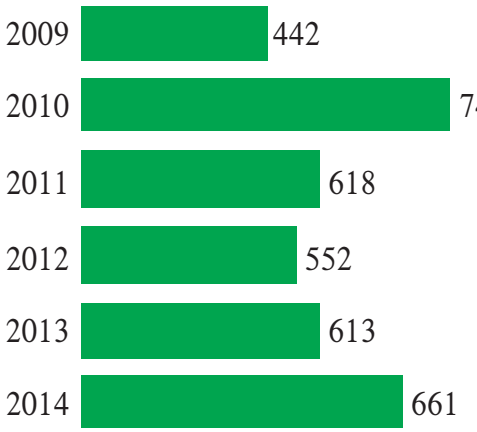

सौजन्य – (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल)

योजना का प्रारूप :–

1. शुद्धता की जाँच :– सर्वप्रथम इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 30 ग्राम सोना जमा करना होगा तथा यह जमा सोना आयकर, धनकर तथा पूँजीगत कर से भी मुक्त होगा। इसके लिए उन्हें 'बीआईएस' द्वारा प्राधिकृत 350 से भी अधिक हॉलमार्क केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर जाकर

Final Proof 18 August 2016

अपने सोने की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रमाणपत्र लेना होगा। इस जाँच से ग्राहक के सोने के बार, ज्वेलरी या सिक्का, जो भी हो, उसमें सोने की शुद्धता एवं मात्रा का पूरा विवरण सामने आ जाएगा। इसके बाद ग्राहक द्वारा बैंक के फॉर्म के साथ ही केवाईसी फॉर्म भी भरकर देना होगा जिसमें यह सहमति देनी होगी कि बैंक में जमा करने के लिए सोने को पिघलाया जा सकता है।

2. अग्निपरीक्षण :– ग्राहक के सोने को अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। मिलावट, सफाई आदि के बाद ज्वेलरी को तोला जाएगा और उसके बाद ग्राहक की अनुमति के बाद पिघलाया जाएगा। यदि ग्राहक परीक्षा की सत्यता से संतुष्ट नहीं है तो वह सोने की बार के रूप में उसे वापस ले सकता है। परंतु, शुद्धता की जाँच संबंधी फीस का भुगतान केंद्र को करना होगा।

3. जाँच की फीस :– सोने की जाँच करने की फीस अथवा शुल्क के रूप में कम से कम 300 रु. देना होगा। इसके साथ–साथ सोने के पिघलाने का शुल्क 100 ग्राम तक 500 रु. तथा 900 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक 1400 रु. तक देना होगा। इसके साथ–साथ सोने में से स्टोन निकालने का शुल्क 100 रु. रखा गया है।

4. सोना जमा करना :– जो सोने को जमा कराना चाहते हैं उनके समस्त खर्चे बैंक को अदा करने होंगे। उसके बाद स्वर्ण संग्रहकर्ता केंद्र द्वारा ग्राहक को एक प्रमाण–पत्र दिया जाएगा। इसमें सोने की मात्रा, उसकी शुद्धता तथा कीमत लिखी होगी। इसमें सोने की शुद्धता कैरट के अनुसार दर्ज होगी। इस प्रमाणपत्र के आधार पर बैंक ग्राहक का 'गोल्ड जमा खाता' खोलेगा और प्रमाणपत्र में उल्लिखित मात्रा के बराबर सोने की मात्रा ग्राहक के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस जमा किए गए सोने की अवधि कम से कम 1 वर्ष होगी तथा 1 वर्ष के गुणकों में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। उस जमा पर ब्याज की दरें बैंक द्वारा तय की जा सकेंगी। ग्राहक द्वारा 100 ग्राम सोना जमा करने पर एक वर्ष बाद उसे 120 ग्राम सोना प्राप्त होगा। यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह 120 ग्राम सोना प्राप्त करने का विकल्प चुने या सोने की कीमत के बराबर की धनराशि प्राप्त कर ले।

वास्तव में यह योजना जिसे, ''स्वर्ण मुद्रीकरण योजना'' नाम दिया गया है, उन छोटे निवेशकों को आकर्षित करने का अनूठा प्रयास है जिसमें वे कम से कम 30 ग्राम सोना जमा करा सकते हैं जबकि मौजूदा स्वर्ण जमा योजना में कम से कम 500 ग्राम सोना जमा कराने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत ब्याज दरें तय करने का मसौदा और निर्णय बैंकों पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना में जमा होने वाले सोने के इस्तेमाल के लिए बैंकों को अनेक विकल्प दिए गए हैं, जैसे जमा किए सोने को बेचा जाए तथा उस राशि में से विदेशी मुद्रा जुटाने वाले आयातकों–निर्यातकों को कर्ज दिया जाए, जमा सोने को सिक्कों में ढालकर ग्राहकों को बेचा जाए, आभूषण निर्माताओं को कर्ज दिया जाए आदि।

इसके अलावा बैंकों को घरेलू जिंस बाज़ारों में भी सोना खरीदने और बेचने की अनुमति होगी। इसका एक अन्य उद्देश्य सोने के आयात को कम करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना भी है। यह योजना तभी सफल हो सकती है जब ब्याज दरें आकर्षक हों। ब्याज दर अच्छी होने से नागरिक, संस्थाएँ, ट्रस्ट अपने यहाँ के सोने को, सिक्कों को तथा जेवरात को बाहर निकालने हेतु उत्साहित होंगे और उसे बैंकों में जमा कराएँगे।

इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देश अभी तक नहीं आए हैं, जिनका अनुपालन बैंकों को करना है। आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 4 से 6% तक ब्याज दर रखी जानी चाहिए ताकि आगे चलकर बैंक अधिक मार्जिन पर ज्वेलर्स को ऋण दे सकें। यदि ग्राहकों को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक जोड़ना है तो ब्याज दरों को तर्कसंगत रखना ही होगा। वर्ष 1999 में 'गोल्ड जमा योजना' में कम से कम 200 ग्राम सोना जमा कराने की अनुमति थी परंतु इस योजना में 30 ग्राम सोने को आधार बनाकर समाज के छोटे से छोटे तथा मध्यम वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ही यह योजना लाई गई है। निश्चित ही यह योजना लघु तथा मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

कुछ अनसुलझे प्रश्न इस प्रकार हैं। यह योजना यद्यपि करों की छूट से जुड़ी हुई है, परंतु बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज के बारे में पूरी तरह से मौन है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक है कि ग्राहक को सोना खरीदने की अनुमति करमुक्त आय पर होगी या अघोषित आय पर भी यह खरीदा जा सकता है। यह काफी महत्त्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारत में अधिकांशतः सोना नकद भुगतान के माध्यम से ही लिया जाता है और जिन आभूषण विक्रेताओं से खरीदा जाता है आमतौर पर वे उसकी कोई रसीद भी नहीं देते हैं। अतः ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास अघोषित सोना मिलेगा जो उसने संचित कर अपने पास रखा हुआ है और रसीद संबंधी प्रश्न का कोई उत्तर उसके पास नहीं मिलेगा क्योंकि अधिकांशतः सोना अघोषित आय से ही खरीदा जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि सोना केवल करमुक्त आय के माध्यम से ही लिया हुआ स्वीकार किया जाएगा तो ऐसी संभावना है कि बहुत कम लोग आएँगे। दूसरी ओर यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि सोना लाने वाले से किसी भी प्रकार का स्रोत नहीं पूछा जाएगा तो यह संभावना है कि लोग अपनी अघोषित संपत्ति के माध्यम से इसे खरीदकर बैंकों में जमा कराएंगे और सोने की माँग और अधिक बढ़ने की संभावना हो सकती है। यद्यपि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आभूषणों, सोने की छड़ों तथा सिक्कों को घरों से बाहर निकालकर पिघलाकर बैंकों में जमा कराना है परंतु महिलाओं का सोने से विशेष लगाव होता है। इसीलिए शायद वे इस योजना से जुड़ना पसंद करेंगी यह भी एक यक्ष प्रश्न है। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि अपने बेकार पड़े सोने से यदि आय हो जाती है तो इसमें बुराई ही क्या है परंतु ब्याज दर कम से कम 5 अथवा 6 प्रतिशत होनी ही चाहिए। चूँकि इस योजना में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा तो संभावना है कि अधिक से अधिक लोग इस आने वाली योजना में शामिल हों।

❍❍❍

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – एक समीक्षा

सूचना क्रांति के वर्तमान युग में सूचना प्राप्त करने के इतने अधिक साधन उपलब्ध हैं कि वस्तुतः हम सूचना से त्रस्त हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। यही कारण है कि इस दिशा में एक प्रभावशाली कानून की आकांक्षा नागरिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, किंतु वांछित सूचना प्राप्ति हेतु कानून का निर्माण इतना आसान भी नहीं था। यह जानते हुए कि सूचना प्राप्त करने का मनुष्य को मौलिक अधिकार है, यह अधिकार कभी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। इसी को लेकर लगभग विश्व के सभी देशों में रस्सा–कसी रही, और जहां भी जनता जागरूक रही, वहां इस अधिकार को प्राप्त करने में सफलता मिली, परंतु अनेक विकसित देश आज भी इस प्रकार के कानूनों से वंचित हैं।

सूचना का अधिकार कानून के विकास का वैश्विक घटनाक्रम–

सूचना के अधिकार को लेकर विश्व के विभिन्न देशों में समय–समय पर कानून बने। स्कॅन्डेनेवियाई देश 'स्वीडन' को सूचना का अधिकार का कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश होने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ वर्ष 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता नामक कानून के द्वारा नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। स्वीडन के प्रायः 200 वर्षों बाद, 1951 में 'फिनलैण्ड' के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हो पाया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली एवं विकसित देश में इस अधिकार का स्वप्न वर्ष 1966 में साकार हो पाया। वैसे यह पाया गया है कि सूचना का अधिकार कानून को ज्यादा से ज्यादा जिन राष्ट्रों ने स्वीकारा है, उनमें अधिक संख्या विकसित देशों की अभी तक रही है, जैसे – जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन इत्यादि। जहाँ तक विकासशील देशों का सवाल है, वहाँ इस अधिकार की कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई उनके लिए सूचना के अधिकार से बड़ी लड़ाई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानि भारत में सूचना के अधिकार का संघर्ष आज़ादी मिलने के लगभग पाँच दशक बाद सुनियोजित ढंग से प्रारंभ हुआ और इस तरह भारत इस प्रकार का कानून पारित करने वाला, विश्व के मानचित्र में 61 वां देश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्विष्ट माना जाता है, किंतु इस अधिकार को मूर्त रूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित होने का बाद प्राप्त हो सका।

प्रदीप कुमार राय
विधि अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक,
विधि विभाग, मुंबई

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – भारतीय पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान तो नहीं है, जो भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु फिर भी यह अधिकार ''विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'' के अधिकार के रूप में भारतीय संविधान

के अनुच्छेद 19(1)(क) में अंतर्निहित है। इस तथ्य को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया है। भारत में सूचना के अधिकार की लड़ाई आज़ादी की दूसरी एवं लोकतंत्र की पहली लड़ाई मानी जाती है। लोकतंत्र की लड़ाई की दिशा में प्रयासरत एवं जनांदोलन के दबाव में मई 2005 में संसद ने एक नया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्तूबर 2005 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में (जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर) लागू हुआ। इस प्रकार विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को यह अधिकार अधिनियम के रूप में आज़ादी के 58 वर्षों बाद मिल पाया। यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून के रूप में बनने से पहले देश के नौ राज्यों को यह अधिकार मिल चुका था – तमिलनाडु (1997), गोवा (1997), राजस्थान (2000), कर्नाटक (2000), दिल्ली (2001), महाराष्ट्र (2002), असम (2002), मध्य प्रदेश (2003) एवं जम्मू–कश्मीर (2004), आदि।

सूचना का अधिकार अधिनियम : दुरुपयोग या सदुपयोग?

सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, एवं एक शब्द 'सदुपयोग' या 'दुरुपयोग' में परिभाषित करना नासमझी, नाइन्साफी एवं जल्दबाजी होगी। हमें इस सूचना के अधिकार अधिनियम के दोनों पक्षों – सदुपयोग एवं दुरुपयोग को देखने की आवश्यकता है। अधिनियम के लिए यह परीक्षा की घड़ी जैसा ही है। सूचना के अधिकार अधिनियम के सदुपयोग या दुरुपयोग की गुत्थी को सुलझाने के लिए दोनों ही पक्षों का विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम : सदुपयोग?

सूचना का अधिकार गोपनीयता के विरुद्ध पारदर्शिता की वकालत तो करता ही है, इसके साथ–साथ यह नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनसहभागिता को भी प्रोत्साहित करता है। जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए यह एक हथियार भी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के सदुपयोग कुछ इस प्रकार हैं–

- सूचना का अधिकार एक मूल मानव अधिकार है। यह सभ्य समाज में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने का साधन है। यह व्यक्ति को समाज एवं देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान देने का सुअवसर प्रदान करता है।
- सूचना के अधिकार के माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान की जा सकती है, जो देश के सतत विकास के लिए आवश्यक है।
- सूचना का अधिकार जनसहभागिता का अभिकरण है। इस अधिकार से सार्वजनिक मामलों में जनता की भागीदारी बढ़ी है और लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं।
- जानकारी एवं सूचना का अधिकार या हक प्राप्त होने से जो लोकतंत्र केवल प्रतिनिधि के चुनाव तक सीमित था, आज वहाँ लोगों की भागीदारी एवं हिस्सेदारी की बात हो रही है।
- सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रक की तरह कार्य करता है। इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों का पर्दाफाश हुआ है। 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला आबंटन मामला, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, बिहार का चारा घोटाला, ताज कॉरिडोर मामला एवं अन्य कई छोटे–बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, जो भयावह व दिल को झकझोरने वाले हैं। भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश होने से कई बार सरकार अपनी गलत नीतियाँ बदलने पर मजबूर भी हुई है और अनेक मामलों में सी.बी.आई. और सी.वी.सी. भी केस दर्ज करने पर मजबूर हुए हैं। चंडीगढ़ में कई करोड़ की जमीन के घोटालों का पर्दाफाश, रेडक्रॉस में भ्रष्टाचार का खुलासा एवं ताबूत खरीद घोटाले का खुलासा जैसे दर्दनाक मामले भी सूचना के अधिकार के प्रयोग से ही संभव हुए हैं। भ्रष्टाचार एवं सरकार की गलत नीतियां देश के विकास को अवरुद्ध करने एवं निर्धन की रोटी छीनने का काम करते हैं, किंतु

सूचना का अधिकार इस भ्रष्टाचार रूपी भस्मासुरी दैत्य से मुक्ति दिलाने का एक सशक्त एवं धारदार हथियार के रूप में प्रकट हुआ है। भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासों से भ्रष्टाचार पर न केवल नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है बल्कि इसने लोगों के दिमाग एवं दिल में भय उत्पन्न करने का भी जोरदार कार्य किया है, जिसका प्रभाव समाज में शासकीय कार्यों एवं क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

- सूचना के अधिकार से देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक छोटी–बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पारदर्शिता आयी है। इससे प्रतियोगी अपने प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर खुद के प्रदर्शन में सुधार कर वांछित सफलता हासिल करते हैं। आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. जैसी देश की मशहूर संस्थाओं की प्रवेश–परीक्षा में व्याप्त अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ है। पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई राज्य सिविल सेवा परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं भाई–भतीजा–वाद के मामले को उजागर करना भी इसी की देन है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत ऐसी सूचनाओं के प्राप्त होने से जहाँ एक तरफ लोक–प्राधिकारियों में भय व्याप्त होना शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों एवं प्रतियोगियों में असंतोष की भावना में कमी आई है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रकट होने वाली सूचनाओं से देश की जनता में देश एवं देश के संचालकों के प्रति विश्वास की वृद्धि होती है और यह विश्वास लोकतंत्र को मज़बूत करता है एवं विकास में सहायक सिद्ध होता है।
- सूचना का अधिकार आजकल की वर्तमान स्थिति में अनिवार्य बन जाता है जबकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों तथा आर्थिक नीतियों में हो रहे बदलाव के कारण आज जनता प्रभावित हो रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम : दुरुपयोग ?

किसी भी अधिनियम का विकास हुआ है तो उसके सदुपयोग के साथ–साथ दुरुपयोग भी संभाव्य हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति या वस्तु परिपूर्ण नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार दुरुपयोग भी इस अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। अधिनियम के दुरुपयोग से संबंधित कुछ विशिष्ट व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विचार इस प्रकार हैं–

- केंद्रीय सूचना आयोग के सातवें सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सूचना का अधिकार नामक कानून के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उनका यह भी मानना है कि इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मानव संसाधन व सार्वजनिक धन का असमानुपातिक व्यय हो रहा है। उन्होंने सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया है।
- सूचना के अधिकार के बहाने बाज़ार की ताकत हमारे घर सहित हमारे निजी पलों में भी सेंध लगा रही है। मोबाइल नंबर, जन्मदिन एवं बैंकों में चल रहे खातों की संख्या का विवरण कब आपके हाथ से फिसल कर चला जाता है, इसका एहसास तक नहीं होता।
- सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए लोग जनभावनाओं को हिलाने जैसा कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अति–उत्साही बच्ची ने, अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 02 अक्तूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का कोई लिखित आदेश माँग लिया। इसी प्रकरण जैसा एक मामला प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता घोषित करने संबंधी प्रपत्र/आदेश की माँग कर डाली।
- 2009 में सूचना के अधिकार की आड़ में कई ओछे मामलों पर याचिकाएं दायर की गईं। इस स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा भी, 'चूंकि हम ऐसी याचिकाओं का आना नहीं रोक सकते, इसलिए ऐसी ओछी याचिकाओं की लागत का बोझ समाज को ही वहन करना पड़ेगा'।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह के मामलों से परेशान होकर इन पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ

सेकेंड्री एजुकेशन एवं अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 09 अगस्त 2011 के निर्णय में कहा कि, ''हमारा देश ऐसी स्थिति कतई नहीं चाहता जिसमें 75 प्रतिशत सरकारी अधिकारी अपने समय का 75 प्रतिशत हिस्सा नियमित काम करने के बजाय सूचना चाहने वालों के लिए जानकारियां जुटाने में बिता दें। इस अधिनियम के तहत जुर्माने का भय तथा दबाव इतना नहीं होना चाहिए कि सरकारी अधिकारी अपना रोजमर्रा का काम पीछे छोड़कर सूचना जुटाने को ही प्राथमिकता देना शुरू कर दें'।

सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग : वास्तविक भय किसे?

जैसे अच्छाई एवं बुराई समाज में एक साथ व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार से सूचना के अधिकार का सदुपयोग एवं दुरुपयोग दोनों का होना संभाव्य है। पर प्रश्न यह है कि इसके दुरुपयोग का वास्तविक भय किसे है? सूचना प्राप्त करने वाले को या सूचना देने वाले को; अर्थात लोक प्राधिकारी को? उदाहरण के तौर पर चलती हुई बस या गाड़ी को लेते हैं। बस जब सड़क पर चल रही होती है, तो यह भय किसको – ड्राइवर (चालक) या यात्री को – होता है कि बस सही ढंग से चल रही है या नहीं। साफ तौर पर यह जाहिर है इसका भय यात्री को होता है – चालक को नहीं। चालक तो अडिग एवं अटूट विश्वास के साथ चलाते हुए बस को गंतव्य स्थान तक पहुँचाता है एवं यात्रीगण के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर सूचना के अधिकार अधिनियम को एक गाड़ी मान लिया जाए तो लोक प्राधिकारी यानि सूचना देने वाले हैं ड्राइवर (चालक) और आम जनता है यात्री। तो इस परिस्थिति में भय किसके अंदर व्याप्त होना चाहिए? साफ तौर पर उत्तर तो यही मिलता है कि भय आम जनता में ही व्याप्त होना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में तो ऐसा प्रतीत होता है कि भय ने अपना पाला यानि स्थान बदल दिया है। यहाँ तो अधिनियम के दुरुपयोग का भय यात्री यानि आम जनता को नहीं, बल्कि ड्राइवर यानि सूचना देने वाले लोक प्रधिकारी को है। तो क्या इस अधिनियम के दुरुपयोग के भय को तर्कसंगत कहा जा सकता है? उत्तर का पलड़ा तो 'नहीं' की तरफ ही झुकता नजर आ रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग : वास्तविकता?

सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग होने के पहलू को भारत के विभिन्न लोक प्राधिकारी, संस्थाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया है और गहरी चिंता भी जताई है। ऐसे वक्त में, हमारे जेहन में एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि

- क्या इसे अधिनियम का दुरुपयोग माना जाना चाहिए? अधिनियम के दुरुपयोग होने का जो आधार बताया जा रहा है, उनमें प्रमुख हैं – अतार्किक एवं अनुपयुक्त सूचनाओं के बारे में पूछना, समय एवं धन की बर्बादी, ब्लैकमेल करना, जन–भावनाओं के साथ खिलवाड़, इत्यादि। इन आधारों में अतार्किक एवं अनुपयुक्त सूचनाओं की जानकारी ही प्राथमिक आधार प्रतीत हो रहा है, शेष सभी इसी के परिणाम हैं।
- इन आधारों पर इसे अधिनियम का दुरुपयोग कहना किस हद तक न्यायसंगत है? इस अधिनियम ने वर्ष 2005 में ही समाज में जन्म लिया है और अभी शैशवावस्था से गुजर रहा है। भारतीय कानून में भी वयस्कता हासिल करने की उम्र भी कम से कम 18 साल निर्धारित की गयी है। अगर सूचना का अधिकार अधिनियम की उम्र का आकलन किया जाए तो लगता है कि यह हकीकत में अभी सिर्फ 10 साल कुछ महीनों का नवजात शिशु है। इस अधिनियम रूपी नवजात शिशु के वयस्कता हासिल करने के बाद ही इसके दुरुपयोग की वास्तविकता का आकलन करना तर्कपूर्ण एवं न्यायसंगत होगा।
- इस परिस्थिति में अगर यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम का दुरुपयोग नहीं बल्कि लोगों की अज्ञानता एवं जागरूकता की कमी का परिणाम है। लेकिन ये कदम इस अधिनियम रूपी नवजात शिशु के विकास एवं मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण साबित होंगे। आने वाले समय में यह अधिनियम परीक्षा की हर घड़ी में खरा उतरेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम : सदुपयोग या दुरुपयोग में – किसका पलड़ा भारी?

अच्छाई के साथ बुराई एवं खुशी के साथ गम का होना भी प्राकृतिक है। लेकिन अच्छाई एवं खुशी की तुलना में अगर बुराई एवं गम की मात्रा नहीं के बराबर हो तो उसे मापना या तौलना सिर्फ समय बर्बाद करने जैसा ही है। ऐसी स्थिति में अच्छाई एवं खुशी की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो बुराई एवं गम स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस अधिनियम का सदुपयोग किया जा रहा है, तो इसका दुरुपयोग होना भी प्राकृतिक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को एक तराजू मान लिया जाए तो सदुपयोग एवं दुरुपयोग इस तराजू के दो पलड़े के समान ही हैं। अगर इस अधिनियम रूपी तराजू के दोनों पलड़ों को तौला जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सदुपयोग का पलड़ा भारीपन के कारण जमीन नहीं छोड़ रहा है, एवं दुरुपयोग का पलड़ा इतना हल्का है कि सदुपयोग के पलड़े को हिला नहीं पा रहा है, सिर्फ हिलाने के लिए छटपटा रहा है या बेचैन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनियम के दुरुपयोग के ऊपर शोरगुल मचाने या समय बर्बाद करने से कहीं ज़्यादा उचित यह होगा कि सदुपयोग के पैमाने को इतना मजबूत या अच्छा बना दिया जाए कि बुराई रूपी दुरुपयोग अपने आप ही इस अधिनियम के दायरे से विलुप्त होने की स्थिति में आ जाए।

एक प्रसिद्ध लोकप्रचलित दोहा है –

करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान।।

कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर अभ्यास करने से निर्जीव वस्तु में भी जान आ जाती है, जड़ यानि मूर्ख व्यक्ति भी सज्जन/ज्ञानी हो जाता है, जैसे कि बार–बार रस्सी के आने–जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम को सदुपयोग करने का इतना अभ्यास कराया जाए या इतनी जागरूकता फैलायी जाए कि इसका दुरुपयोग करने वाले स्वतः ही सदुपयोग करने के लिए बाध्य हो जाएं और सूचना का अधिकार अधिनियम रूपी रस्सी बड़े–बड़े बाधाओं एवं अड़चनों को काटते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनवरत चलती रहे।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सूचना का अधिकार अधिनियम ने संपूर्ण देश में क्रांति लाने का काम किया है। इस अधिनियम के मजबूत होने से समाज में भ्रष्ट एवं गैर जिम्मेदार लोगों में भय व्याप्त होने लगा है। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने यह चिंता जताई है कि भय एवं दबाव इतना न हो जाए कि सरकारी अधिकारी सिर्फ सूचना जुटाने को ही प्राथमिकता देने लगें। लेकिन यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि समाज को भ्रष्टाचारमुक्त एवं भयमुक्त बनाने के लिए कानून का भयमुक्त होना भी नितांत आवश्यक है। दण्ड, दबाव या भय के बिना कानून की स्थिति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे पतवार के बिना नाव और लंगर के बिना समुद्री जहाज। भगवान श्री राम भी भय दिखाए बिना समुद्र पार नहीं कर पाए। इस प्रसंग पर तुलसीदासजी रामचरितमानस (सुंदरकांड) में यह लिखने को विवश हो गए कि –

विनय न मानत जलधि जड़, गये तीन दिन बीत।
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत।।

अर्थात, काम अगर अनुनय विनय से न चले तो क्रोध एवं भय दिखाना भी आवश्यक हो जाता है और काम प्रेमपूर्वक सफल होता है।

भय एवं भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। भ्रष्ट ही भयभीत होता है एवं भय ही भ्रष्ट का निवारण भी करता है। सच्चाई या ईमानदारी को भय नहीं होता है। 'साँच को आँच कहाँ' कहावत इसे प्रमाणित करती है।

चूँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम अभी महज 10 साल की ही उम्र की दहलीज पार किया है, इसका सफर अभी काफी लंबा है एवं डगर बहुत ही कठिन है। इसे तो दुरुपयोग रूपी अंधकार को चीरकर सदुपयोग रूपी रोशनी सारे जग को सूचना अर्थात जानकारी प्रदान कर आलोकित करना है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सुझाव के रूप में चंद शब्दों को पिरोकर सफलता का सूत्र बनाने की ज़रूरत है।

कुछ अशिक्षित लोग अपने अतार्किक, अप्रासंगिक एवं अनुपयुक्त प्रश्नों के माध्यम से कुछ सूचनाओं को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे अधिनियम के दुरुपयोग की संज्ञा दी जा रही है। हालांकि यह दुरुपयोग नहीं, बल्कि ऐसा इस अधिनियम के सदुपयोग के सही तरीकों के ज्ञान के अभाव के कारण है। अब आवश्यकता है अधिनियम के उपयोग के सही तरीकों से अनभिज्ञ लोगों को शिक्षा के माध्यम से इस अधिनियम के महत्त्व एवं उपयोगिता को समझाने की एवं तर्कसंगत तथा प्रासंगिक सूचना प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने की। इस दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम से संबंधित प्रकरणों पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम को मजबूत बनाने की दिशा में थोड़ा और आगे सोचा जाए तो विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में इसे एक अनिवार्य एवं पूरक विषय के रूप में प्रस्तावित किया जाए। निश्चित रूप से यह कदम, देश का भविष्य कहे जाने वाले नौजवानों को शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित करेगा एवं देश के वर्तमान कहे जाने वाले धुरंधरों की करतूतों को जानने का भी अवसर प्रदान करेगा। अंततः यह कदम भी इस अधिनियम को मजबूत बनाने एवं इसके सदुपयोग में एक नया अध्याय शुरू करेगा।

सूचना के अधिकार अधिनियम को और क्रांतिकारी एवं प्रभावशाली अधिनियम बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में भी 6 से 14 वर्ष के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम का भी विस्तार करते हुए, निजी क्षेत्रों को भी अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह कदम निजी क्षेत्रों में भी व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियनितताओं का खुलासा, घर समाज में व्याप्त गंदगी का सफाया करने में कारगर साबित होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के हाथों में एक सशक्त हथियार के रूप में आया है एवं इस विकास के साथ ही फ्रेंच दार्शनिक एवं विचारक बैरन डी. मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित 'नियंत्रण एवं संतुलन (Check and balance)' के सिद्धांत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सिर्फ अब आवश्यकता है समुचित कार्यान्वयन एवं प्रभावशाली निगरानी के साथ–साथ विवेकपूर्ण तथा कुशलता के साथ इसका उपयोग करने की। यह कदम आने वाले समय में निश्चय ही ऐतिहासिक कदम एवं क्रांतिकारी सोच में परिवर्तित होगा, जो न केवल देश एवं समाज की व्यवस्था में बदलाव लाएगा, बल्कि यह लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उस समय इस अधिनियम के सदुपयोग या दुरुपयोग के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण ही सामने होगा, जिससे इस सूचना के अधिकार अधिनियम के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग पर लगा प्रश्नचिन्ह स्वतः मिट जाएगा और अधिनियम के सदुपयोग या दुरुपयोग के प्रश्न का उत्तर (प्रत्यक्षं किं प्रमाणम के अनुसार) प्रत्यक्ष परिस्थितियां ही देंगी।

जिस प्रकार लोगों के मरणोपरांत उनकी कब्रें बनाई जाती हैं, किन्तु उनकी आत्मा की शक्ति के अनुरूप उनमें से कुछ मज़ार बन जाती हैं और कुछ सिर्फ कब्र यानि मिट्टी का टीला बनकर रह जाती हैं। महात्माओं की कब्रों यानि मज़ारों पर मेलों का आयोजन होता है एवं लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। सामान्य कब्रिस्तानों में हजारों कब्रें अलग–थलग पड़ी रहती हैं। अतः अंत में मैं अपनी लेखनी को इस उम्मीद के साथ विराम देना चाहता हूँ कि हमारा सतत प्रयास रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जो जनता के अनवरत संघर्ष से प्राप्त हुआ है) अपनी आत्मा रूपी प्रस्तावना में इंगित पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के संवर्धन की दिशा में, किसी महापुरुष की मज़ार की तरह, भारत के लोगों को उपयोगी सूचना के रूप में फल देता रहे, न कि किसी मृतक की कब्र की तरह बनकर रह जाए।

❍❍❍

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का परिचय एवं बैंकों को इससे लाभ

जीआईएस में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से सूचनाओं (डेटा) को संगृहीत किया जाता है और उसको नक्शे पर चिह्नित करके अंकित किया जाता है। इस तरह से जीआईएस एक कम्प्यूटर प्रणाली है। इसमें किसी विशेष स्थान को बृहद करके भी देखा जा सकता है जिससे कि हम स्थान की सही लोकेशन एवं लैंडमार्क प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान समय में जीआईएस का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कम्प्यूटर, लैपटॉप अथवा स्मार्टफोन पर किसी भी शहर में किसी स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पहली जीआईएस सन 1962 में कनाडा के ऑन्टेरियो में कनाडा के संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग (फेडरल डिपॉर्टमेंट आफ फारेस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट) द्वारा बनाई गई थी तथा इसको डॉ. रॉजर टॉमलिसन ने बनाया था। इसलिए इसे कनाडा जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम कहा जाता है और इसका प्रयोग कनाडा लैंड इन्वेंटरी द्वारा आंकड़े इकट्ठे करने और उनका विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। पहले इस प्रणाली के माध्यम से कनाडा के ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन, कृषि, पानी, वन्य जीवन आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती थी।

इस प्रणाली के विकास पर लगातार शोध जारी है एवं नवीन तकनीक विकसित की जा रही है। आज संचार क्रांति ने इसे पूरे विश्व में लोकप्रिय बना दिया है।

जीआईएस – तकनीक और प्रौद्योगिकी

आधुनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली 'जीआईएस' कार्यक्रम बनाने एवं अपडेट करने में डिजिटल सूचनाओं का उपयोग करती है, इसके लिए वह नवीनतम तकनीक और प्रौद्योगिकी का सहारा लेती है। डेटा संग्रहण, उनका अन्वेषण करने एवं परिणाम

संतोष श्रीवास्तव
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल

Final Proof 18 August 2016

प्राप्त करने में डिजिटलीकरण उपयोगी होता है। इसके माध्यम से नक्शे की हार्डकापी या सर्वेक्षण योजना को एक सीएडी कार्यक्रम के प्रयोग के द्वारा डिजिटल माध्यम में परिवर्तित किया जाता है।

डिजिटल सूचनाओं का आधार (डेटा) वास्तविक वस्तुएं जैसे सड़क, भवन, भूमि, पहाड़, पेड़, नदी, तालाब, एवं परिस्थितिजन्य स्थिति जैसे वर्षा की मात्रा, मौसमी हवाएं, चक्रवात, समुद्र की लहरों की ऊंचाई, बर्फ गिरने की स्थिति, आदि होती हैं। इसी तरह से जीआईएस को डेटा स्टोर करने के लिए रैस्टर इमेज (रेखांकन छवि) एवं वेक्टर डेटा भंडारण की नई तकनीक में पॉइंट क्लाउड को चिह्नित किया जाता है जिसमें 3–डी पॉइंट को आरजीबी (लाल, हरा एवं नीला रंग) सूचना के साथ प्रत्येक पॉइंट पर मिलाया जाता है, जिससे एक रंगीन 3–डी छवि बनती है।

जीआईएस की उपयोगिता

भारत की सुरक्षा, मौसम संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत जीपीएस की आवश्यकता है। यद्यपि इस पर काफी धनराशि खर्च होती है, परंतु अपनी व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए स्वयं का सिस्टम आवश्यक होता है, क्योंकि दूसरे देश अपनी लाभ–हानि का हिसाब लगाकर ही सूचनाएं एवं डेटा साझा करते हैं।

मामला चाहे कारगिल युद्ध का हो या उत्तराखंड की तबाही का, अगर उस समय हमारे पास एक्यूरेट सैटेलाइट डेटा होते तो हम इनसे आसानी और कारगर तरीके से निपट सकते थे।

जीआईएस से बैंकों को लाभ

- जीआईएस का प्रयोग बैकों की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा रहा है।
- इस प्रणाली के माध्यम से बैंक उन क्षेत्रों को जान सकते है, जहां बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- भारत में बैंकिंग नेटवर्क के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग डीएफएस द्वारा आरंभ किया गया है।
- डीएफएस परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर बैंक शाखाओं, एटीएम, व्यवसाय प्रतिनिधि, समाशोधन गृहों और शेड्यूल्ड बैंकों के करेंसी चेस्ट की जानकारी संगृहीत करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- किसी अनजान शहर में ग्राहक, बैंक शाखा एवं एटीएम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से यह संतुष्टिपूर्ण ग्राहक सेवा में सहायक होगी।
- जीआईएस के माध्यम से कैश रेमिट करते समय सही मार्ग एवं कैश वैन पर निगाह रखी जा सकती है, जिससे कि किसी दुर्घटना के समय तुरंत कार्रवाई की जा सके।

इस तरह से हम पाते हैं कि वर्तमान समय में भौगोलिक सूचना प्रणाली बहुत उपयोगी है। यह बहु–उद्देशीय प्रणाली है तथा इसके विकास एवं आधुनिकीकरण पर लगातार शोध हो रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय युवाओं के करियर में भी यह सहायक सिद्ध होगी। आशा है भारत भविष्य में भौगोलिक सूचना प्रणाली में एक अग्रणी देश के रूप में उभर कर आएगा।

❍❍❍

रेग्युलेटर की नज़र से

[रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है जिसका निर्माण विशिष्ट कानूनों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध–विधायी (Quasi-Legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तंभ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का चौथा लेख।]

क) मसाला बॉण्ड

रिज़र्व बैंक ने कॉरपोरेट बॉण्ड में विदेशी निवेशकों के लिए निर्धारित निवेश की समग्र सीमा के भीतर भारतीय कंपनियों को मसाला बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को रुपए में बॉण्ड जारी किए जा सकते हैं पर उनका निपटान डॉलर में होगा। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसमें निर्गमकर्ता को करेंसी जोखिम का वहन नहीं करना पड़ता। परंतु रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के काफी समय बाद भी उच्च लागत के कारण इस प्रकार के बॉण्ड जारी नहीं किए जा सके। अब इनकी अवधि 5 से घटाकर 3 साल कर दी गई है ताकि निवेशकों के लिए बचाव अर्थात हेजिंग संबंधी लागत कम हो और भारतीय फर्मों के लिए इनके निर्गम की लागत में कमी आए। इसे भारतीय संस्कृति का रंग देने के लिए मसाला बॉण्ड कहा गया। पहली बार आईएफ़सी ने नवंबर 2014 में भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने तथा देश की बुनियादी संरचना को समर्थन देने हेतु अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार से पैसे जुटाने के लिए इस प्रकार का बॉण्ड जारी किया था, जिसकी लिस्टिंग लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हुई।

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

ख) मौसम डेरिवेटिव

सेबी मौसम डेरिवेटिव, जो कृषि क्षेत्र के जोखिम का प्रबंधन करने का वित्तीय लिखत होगा, में ट्रेडिंग की अनुमति देने की योजना बना रहा है। ऐसा नहीं है कि यह दुनिया में पहली बार होगा। विश्व में विभिन्न अंतर्निहित मौसम सूचकांकों के आधार पर पहले से ही मौसम डेरिवेटिव में ट्रेडिंग हो रही है। ये लिखतें स्वैप, ऑप्शन्स और फ्यूचर्स के रूप में होती हैं। विश्व में लगभग 95 प्रतिशत मौसम डेरिवेटिव की ट्रेडिंग यूएस में होती है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज और लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स एक्सचेंज में ट्रेडिंग फ्लोर पर मानकीकृत मौसम संविदाओं की पेशकश की जाती है। हर तरह के डेरिवेटिव के पीछे कोई अंतर्निहित प्रोडक्ट रहता है और मौसम डेरिवेटिव के पीछे मौसम सूचकांक अंतर्निहित प्रोडक्ट का काम करते हैं।

ग) आरईआईटी और इनविट

रीयल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सेबी ने इस प्रकार की निवेश लिखतों के लिए दिशानिर्देश 2014 में जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार रीयल एस्टेट सेक्टर में निर्माणाधीन परियोजनाओं के तहत निवेश

Final Proof 18 August 2016

की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई थी। अब इसे 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे आरईआईटी के निवेशकों के समग्र प्रतिलाभ में वृद्धि होने की संभावना है पर साथ ही परियोजना समय पर पूरी न हो पाने की स्थिति में इससे जोखिम भी बढ़ेगा।

सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के लिए 11 मई 2016 को लिस्टिंग संबंधी दिशानिर्देश भी जारी कर दिए, जिसके अनुसार इस प्रकार की लिखत के पब्लिक इश्यू में 75 प्रतिशत हिस्सा संस्थागत निवेशकों का और 25 प्रतिशत हिस्सा अन्य निवेशकों का होगा। आईपीओ के समय संस्थागत निवेशकों को आवंटित किए जाने वाले हिस्से का 60 प्रतिशत ऐंकर निवेशकों को दिया जाएगा। हाल ही में आईआरबी इन्फ्रा और जीएमआर इन्फ्रा ने भारत का पहला इनविट शुरू करने के लिए अनुमोदन की मांग की है। आरईआईटी के लिए भी आईपीओ संबंधी मानदंड सेबी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

घ) टीईआर अर्थात कुल व्यय अनुपात

म्यूच्युअल फंड स्कीम के कुल कॉर्पस का एक निश्चित प्रतिशत स्कीम के प्रशासनिक, प्रबंधनात्मक और अन्य खर्चों के लिए वसूल करते हैं। वर्तमान में यह राशि इक्विटी स्कीम के लिए 2.50 प्रतिशत और डेट स्कीम के लिए 2.25 प्रतिशत है। 2.50 प्रतिशत टीईआर पहले 100 करोड़ रुपए के लिए है। अगले 300 करोड़ तक टीईआर 2.25 प्रतिशत है और उसके बाद उस पर 1.75 प्रतिशत की अधिकतम सीमा रखी गई है। यह रिकरिंग खर्च है और इसका असर एनएवी पर पड़ता है। इसके अलावा देश के 15 बड़े शहरों से इतर क्षेत्रों से पैसे जुटाने के लिए 0.30 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार की भी अनुमति म्यूच्युअल फंड को है। इसमें 0.20 प्रतिशत के एक्ज़िट लोड को भी शामिल कर दें तो कुल टीईआर 3 प्रतिशत तक चला जाता है। सुमित बोस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे कम करने की सिफ़ारिश की है।

ङ) पी–नोट संबंधी मानदंड सख्त किए गए

पी–नोट, जिन्हें आफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ओडीआई) भी कहा जाता है, सेबी के साथ पंजीकरण कराए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति विदेशी निवेशकों को देते हैं। ये लिखतें सेबी के साथ पंजीकृत एफ़पीआई अर्थात विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी की जाती हैं। सेबी ने मई 2016 में इन पी–नोटों के लाभार्थियों के लिए भारत का केवाईसी और ऐन्टी मनी लांडरिंग नियम लागू कर दिया है। दो विदेशी निवेशकों के बीच पी–नोट की अंतरणीयता पर भी सेबी ने रोक लगा दी है। इससे अधिक पारदर्शिता आएगी।

च) इरादतन चूककर्ता अब प्रतिभूति बाज़ार से पैसे नहीं जुटा सकेंगे

सेबी ने इरादतन चूककर्ताओं को स्टॉक और बॉण्ड के माध्यम से जनता की निधियाँ जुटाने से वर्जित कर दिया है। वे अब लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में भी नहीं रह सकेंगे। यह निर्णय 12 मार्च 2016 की सेबी की बैठक में लिया गया था जिसे मई 2016 में अधिसूचित कर दिया गया है। ये बदलाव उन सभी व्यक्तियों और कंपनियों पर लागू होंगे, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित कर दिया गया है।

छ) स्टॉक एक्सचेंजों की लिस्टिंग

स्टॉक एक्सचेंज, जहां विभिन्न कंपनियों की लिस्टिंग होती है, के द्वारा अपने विकास के लिए आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने और उस आईपीओ की लिस्टिंग कराने का मामला कंपनियों के आईपीओ की लिस्टिंग से भिन्न है। जहां तक अपने देश का प्रश्न है, मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टीट्यूसंस (एमआईआई) के स्वामित्व और उनके गवर्नेंस की समीक्षा के लिए गठित जालान समिति इसके पक्ष में नहीं थी। पर सेबी ने समिति की चिंताओं का निराकरण करते हुए अप्रैल 2012 में स्टॉक एक्सचेंजों की लिस्टिंग का रास्ता साफ कर दिया था – जिसके तहत 51 प्रतिशत पब्लिक शेयर होल्डिंग को अनिवार्य बनाया गया और बोर्ड में ब्रोकरों को रखने पर पाबंदी लगाई गई, स्टॉक एक्सचेंज की न्यूनतम निवल मालियत 100 करोड़ रखी गई और व्यक्तिगत धारिता पर 5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा तय की गई। सबसे पहले एमसीएक्स की लिस्टिंग कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में हुई थी, जो सेबी और एफ़एमसी के विलय के बाद तकनीकी रूप से स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। बीएसई को आईपीओ शुरू करने और उसे लिस्ट कराने की अनुमति सेबी से मिल गई है। अब एनएसई भी इस दिशा में विचार कर रहा है पर वह सेल्फ–लिस्टिंग के पक्ष में है और प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज में लिस्टिंग अर्थात क्रॉस

लिस्टिंग के पक्ष में नहीं है जबकि सेबी द्वारा बनाए गए वर्तमान दिशा–निर्देश के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज के सेल्फ–लिस्टिंग की अनुमति नहीं है।

ज) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन सिस्टम)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पाँच स्कीमें हैं – जिनमें सी 3 स्कीमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हैं, 4थी स्कीम एनपीएस–लाइट गरीबों और असंगठित वर्ग के लिए है तथा अटल पेंशन योजना नामक 5वीं स्कीम 9 मई 2015 को सेवानिवृत्ति हेतु बचत प्रोडक्ट के रूप में शुरू की गई थी।

केंद्र सरकार की सेवा में 1 जनवरी 2004 से आने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य बना दिया गया। इसके तहत व्यक्तिगत बचत को एकत्र कर पेंशन निधि बनाई जाती है, जिसका निवेश पीएफ़आरडीए द्वारा विनियमित प्रोफेशनल फंड मैनेजरों द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र होने पर प्रति माह 1000 से 5000 रुपए तक, जो व्यक्तिगत अंशदान पर निर्भर होगा, पेंशन दी जाएगी।

पेंशन निधियों के तहत कुल प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) दिसंबर 2014 के अंत में 72,000 करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2015 के अंत में बढ़कर 1,07,802 करोड़ रुपए हो गई, जिसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई पेंशन स्कीमों का है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और एनपीएस–लाइट श्रेणी के व्यक्तियों का हिस्सा क्रमशः 8,887 करोड़ और 1988 करोड़ रुपए है। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या दिसंबर 2014 के अंत में 79 लाख थी, जो बढ़कर दिसंबर 2015 के अंत में 1.13 करोड़ हो गई।

❍❍❍

बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन

के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फॉर्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	तिमाही
3.	संपादक, प्रकाशक का नाम	:	डॉ. रमाकांत गुप्ता
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी 9, दुसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो इस पत्रिका के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई – 400 051

मैं, डॉ. रमाकांत गुप्ता, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक : 30 जून 2016

ह./–

डॉ. रमाकांत गुप्ता

प्रकाशक

इतिहास के पन्नों से

बैंकिंग व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जनता के पैसे को जमाखातों द्वारा मोबिलाइज कर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराना बैंकिंग का आधार है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहकों का बैंक पर भरोसा होना बहुत महत्त्व रखता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जहां एक ओर कई बैंक फेल हुए और ग्राहकों की जमापूंजी डूब गई, वहीं ऐसे बैंक भी रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए हुए हैं। आज हम कथा सुनेंगे एक ऐसे ही बैंक की जो अपनी शुरुआत से ही ग्राहकों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता को अपना सूत्र वाक्य मानता है। विभाजन की त्रासदी में भी इसने अपने ग्राहकों को सेवा देना जारी रखा, जबकि स्वयं इसे अपना मुख्य कार्यालय पाकिस्तान से भारत लाना पड़ा। तो, आइए इस बार सुनते हैं ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स की कहानी.....

मैं ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स आज जब गुड़गांव के अपने भव्य परिसर से अपने अतीत पर नजर डालता हूँ तो उतार–चढ़ाव के कितने ही चरण मेरे आँखों के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले

डॉ. मीनू मंजरी
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

मेरी स्थापना का क्षण मुझे याद आता है। मेरी स्थापना 19 फरवरी 1943 को लाहौर में राय बहादुर लाला सोहन लाल द्वारा की गई। मेरे संस्थापक ब्रिटिश भारत के अग्रणी भारतीय उद्यमी थे। उन्होंने बैंकिंग के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। इनका जन्म 15 सितंबर 1907 को लाहौर में हुआ। ये 1946 तक ओबीसी के चेयरमैन रहे, तत्पश्चात इन्होंने लाला करम चंद थापर को अपना स्टेक बेच दिया। ये अत्यंत विवेकशील व्यवसायी एवं प्रतिभाशाली उद्यमी थे। इनका देहावसान 73 वर्ष की आयु में 25 जुलाई 1981 को दिल्ली में हुआ।

राय बहादुर लाला सोहन लाल

मेरी पहली शाखा 5 अप्रैल 1943 को मोहनलाल रोड, लाहौर में खोली गई। मेरी पहली वार्षिक आम सभा 10 अगस्त 1944 को आयोजित की गई। 1944 में मेरी 6 शाखाएं और 1.12 करोड़ रुपए का कुल कारोबार था जिसमें रुपए 0.82 करोड़ की जमाराशियाँ तथा 0.30 करोड़ रुपए के अग्रिम थे। थापर समूह द्वारा 1946 में मेरा अधिग्रहण किया गया। आज मैं सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक हूँ।

मैं धीरे–धीरे अपनी जमीन तलाश ही रहा था कि भारत के इतिहास में विभाजन का मोड़ आया। मुझे अपना कामकाज भारत लाना पड़ा। मेरा पंजीकृत कार्यालय 1947 में अमृतसर स्थानांतरित हुआ। देश की लाखों जनता के साथ मुझे भी विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी तथा नवगठित पाकिस्तान में अपनी शाखाएं बंद करनी पड़ीं। मेरे तत्कालीन अध्यक्ष लाला करमचंद थापर जो 1946 से 1961 तक अध्यक्ष रहे, ने सदाशयता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए पाकिस्तान के जमाकर्ताओं को उनकी एक–एक पाई लौटा दी। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की जो सुदृढ़ नींव उस समय रखी गई, उत्तराधिकारियों द्वारा साल–दर–साल उसका निरंतर पोषण एवं संवर्धन किया गया। मेरा मुख्यालय 1951 में दिल्ली स्थानांतरित हुआ।

Final Proof 18 August 2016

1943 में लाहौर में बैंक की प्रथम शाखा

इसके बाद मैंने नई जगह फिर अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं। फिर भी 1970 से 1976 का दौर मेरे लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था जब घटते हुए लाभ को देखते हुए थापर हाउस ने मुझे बंद करने या बेचने का निर्णय लिया। किन्तु यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों ने पूरी मेहनत और निष्ठा से बैंक की स्थिति सुधारने का प्रण लिया। फिर प्रबंधन ने भी अपना निर्णय बदल लिया और कर्मचारियों के सहयोग से मैं एक मजबूत स्थिति में आ गया। तब से मैं प्रबंधन और यूनियन के मधुर संबंधों के लिए जाना जाता हूँ।

15 अप्रैल 1980 को मेरा राष्ट्रीयकरण एक महत्त्वपूर्ण घटना थी जिससे मैंने सामाजिक दायित्वपूर्ण बैंकिंग के क्षेत्र में पदार्पण करते हुए एक नए दौर की शुरुआत की। राष्ट्रीयकरण के समय मेरी 307 शाखाएं थीं, जिनमें से अधिकांश पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में थीं। उस समय मेरे कर्मचारियों की संख्या 3945 थी और 435 करोड़ का कुल कारोबार था।

राष्ट्रीयकरण के बाद से मेरी यात्रा उल्लेखनीय रही है। पिछले तीन दशकों में मैंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। वर्ष 1985 से 1995 तक का दशक मेरी प्रगति का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है जिसके दौरान मैंने न केवल अपने कारोबार में वृद्धि के लिए अनवरत एवं योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए बल्कि इसके भौगोलिक विस्तार पर भी पर्याप्त ध्यान दिया। मैंने निरंतर प्रगति की एवं 2007 में मेरा कारोबार 1 लाख करोड़ रु. को पार कर गया तथा तीन वर्षों में कारोबार दुगुना होकर 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। 19 फरवरी 2012 को अपने 70वें स्थापना दिवस पर मेरा कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली से गुड़गांव अपने नए एवं भव्य परिसर में स्थानांतरित किया गया।

हालांकि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति दवाब में रही, प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और अधिकांश बैंकों की लाभप्रदता कम हुई पर मैंने सतत अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा। मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया और कॉरपोरेट थोक कारोबार से हटकर खुदरा कारोबार पर ध्यान देते हुए अपने तुलनपत्र को मजबूत करने की नीति अपनाई है। वर्तमान में मेरा कुल कारोबार 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है जिसमें से 2,03,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमाराशियां तथा 1,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अग्रिम कारोबार है। इस समय मेरे कुल डिलिवरी चैनल 4739 हैं जिनमें 2251 शाखाएं तथा 2488 एटीएम हैं। आज मेरी सभी शाखाएं सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत हैं। वर्तमान में बैंक की अध्यक्षता श्री अनिमेष चौहान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कुशल नेतृत्व में है।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग में आनेवाली नई बैंकिंग अब धारणाओं व तकनीकों को भी मैंने तेजी से अपनाया है। मेरी आई–बैंकिंग सेवाएं अधिकतम ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई हैं। ये सेवाएं केंद्रीयकृत बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं के ग्राहकों को उपलब्ध हैं। प्राधिकृत ग्राहक अपने विभिन्न खातों को कभी भी और कहीं भी (24 X 7) देख सकते हैं। आई–बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों को

बैंक का गुड़गांव स्थित कॉरपोरेट कार्यालय

निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं तथा यह किसी भी बचत/चालू/सीसी/ओडी खातेदारों को उपलब्ध है।

इसके अलावा मैंने 15 प्रकार के जमाखाते और विशेषीकृत ऋण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु जीवन सारथी योजना या फिर विशेष सुविधाओं से युक्त ओरियन्टल प्रगति और ओरियन्टल उन्नति जैसी योजनाएं। महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हम विशेष ऋण योजनाएँ चलाते हैं। इस योजना में 10.00 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए किसी कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं है तथा लघु उद्योग के मामले में 25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए किसी कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं है। केवल बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का हाईपॉथिकेशन प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।

मैंने ग्राहक सेवा के साथ अपने कर्मचारियों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। कर्मचारियों को बदलते हुए समय के अनुरूप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने हेतु और उनके कौशल में वृद्धि करने हेतु मेरे 5 अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता तथा भोपाल में हैं। नोएडा स्थित मुख्य मानव संसाधन विकास संस्थान कर्मचारियों के कौशल विकास द्वारा मेरी प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है।

मैंने अपने लंबे सफर में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। आइये उन पर एक नजर डालते हैं:

- 1997 में बारी दोआब बैंक तथा पंजाब कॉपरेटिव बैंक तथा 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय मेरे साथ किया गया।
- मैं आईपीओ लाने वाला पहला बैंक था। 1994 में मैं अपने आईपीओ के साथ बाजार में उतरा।
- मार्च 2008 में मेरी शत प्रतिशत शाखाएं सीबीएस हो गईं। तब से मैं ग्राहकों को नवीनतम बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए अत्याधुनिक प्रतिस्पर्धी टेक्नोलोजी अपनाने में अग्रणी रहा हूँ।
- बैंकश्योरेंस कारोबार के लिए संयुक्त उपक्रम ''केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कं. लि.'' में मेरा 23% हिस्सा है।
- मैंने अत्याधुनिक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है तथा अपने डिलिवरी चैनलों के जरिए विभिन्न आईटी प्रोडक्ट प्रदान कर रहा हूँ।
- जयपुर, फिरोजपुर, श्रीगंगानगर, देहरादून तथा पलवल में मेरे 5 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए उन्हें क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- मुझे पारंपरिक रूप से व्यापारियों के बैंक के रूप में जाना जाता है और मैं एसएमई/ मध्य कॉरपोरेट/रिटेल ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग उत्पाद प्रदान कर रहा हूँ।
- मेरा ग्राहक आधार 24 मिलियन है तथा 20,000 से ज्यादा प्रतिबद्ध कर्मचारियों का कार्यबल है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य मेरा कार्यबल सबसे युवा है। मेरे कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष से कम है।
- प्रति शाखा कारोबार व प्रति कर्मचारी कारोबार के मामले

में मैं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में सर्वोच्च उत्पादकता अनुपात वाले बैंकों में से एक हूँ।

- मैं दिल्ली की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक का दायित्व निभा रहा हूँ तथा मेरे पास 4 जिलों अर्थात, पंजाब में फिरोजपुर, राजस्थान में श्रीगंगानगर, हरियाणा में पलवल एवं दिल्ली राज्य के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। दुबई में भी मेरा प्रतिनिधि कार्यालय है।

मैं भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 36.71 लाख खाते खोले गए और इनमें से 97% से अधिक खातों में रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैंने वंचितों को ऋण प्रदान करने और उन्हें 10 लाख रुपए तक की सुलभ ऋण सहायता के लिए आबंटित 1295 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार किया है।

अपने कार्यों के फलस्वरूप मैंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं:

- हमारी 5 आरसेटी में से 3 यथा, पलवल, फिरोजपुर एवं जयपुर को ''शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले आरसेटी के रूप में'' तथा आरसेटी पलवल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरसेटी में से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'प्रोत्साहन पुरस्कार' दिया गया।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय से वर्ष 2012 व 2013 में ''इंदिरा गांधी राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार'' प्राप्त हुआ।
- राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर से रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड पुरस्कार तथा बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका ''आधार'' को कई बार पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक को दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड 2013–14 के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग में पुरस्कार प्राप्त हुआ–
  - वित्तीय समावेशन में उत्कृष्टता पुरस्कार
  - एचओडी उत्कृष्टता पुरस्कार
- बैंक को इस साल के प्रगतिशील बैंक के लिए शीर्ष श्रेणी का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला (ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी)।

बैंक का विज़न है एक ग्राहक हितैषी अग्रणी बैंक बनना जो स्टेकहोल्डरों के मूल्यवर्धन के लिए वचनबद्ध है तथा इसके लिए बैंक के सभी 20000 कर्मचारी कॉरपोरेट तथा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा मिशन बहु–आयामी है और ग्राहक, कर्मचारी और बैंकिंग तकनीक तीनों को साथ लेकर चलता है। हमारा मिशन है:

- गुणवत्ता सुलभ करते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नवीनतम टेक्नोलोजी को उपयोग में लाकर निपुणता के साथ नई सेवाएं प्रदान करना।
- कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल एवं सामंजस्य–सुदृढ़ता में वृद्धि करना।
- ग्राहकों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए सम्पदा सृजन करना।

टीम ओबीसी मेरे सूत्र वाक्य ''जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है'' को चरितार्थ करते हुए अपने सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर पूरी निष्ठा व लगन से काम कर रही है। हम सब इस बात पर विश्वास रखते हैं कि:

''जो मोड़ कामयाबी दिलाए हमें/हम हर लकीर को उस तरफ मोड़ देते हैं।''

ओ. बी. सी. Oriental Bank of Commerce

○○○

घूमता आईना

जीडीपी संवृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रही, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा राष्ट्रीय आय पर जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2015–16 में देश का सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) 113.50 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 105.52 लाख करोड़ रुपये था। यह 7.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। जीडीपी में यह वृद्धि विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी 6.2 प्रतिशत बढ़कर 77,435 रुपये होना अनुमानित है।

बीते वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही की 7.6 प्रतिशत, तीसरी तिमाही की 7.2 प्रतिशत और चौथी तिमाही की 7.9 प्रतिशत रही। देश की संवृद्धि दर 2014–15 में 7.2 प्रतिशत जबकि 2013–14 में 6.6 प्रतिशत थी।

बैंक बचत खातों में ब्याज हर तिमाही में जमा करें : रिज़र्व बैंक

रिज़र्व बैंक ने करोड़ों बचत खातेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों से कहा है कि वे बचत खातों में प्रत्येक तिमाही अथवा इससे भी कम अवधि में ब्याज का भुगतान करें। अभी बैंकों द्वारा बचत खातों में ब्याज का भुगतान प्रत्येक छमाही में किया जाता है। हालांकि, 01 अप्रैल 2010 से बचत खातों में ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाती है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि घरेलू बचत खाता जमाराशियों पर ब्याज प्रत्येक तिमाही या इससे भी कम अवधि में जमा किया जाना चाहिए। यह भी बता दें कि इससे पहले रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2011 में नियंत्रित ब्याज दर परिवेश को समाप्त करते हुए बैंकों को बचत खाता जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर तय करने की छूट देने का फैसला किया था।

श्री के.सी. मालपानी
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक

आय घोषणा योजना, 2016 (आईडीएस)

सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि जिन लोगों ने पिछले वर्षों में अपनी आय की सही घोषणा नहीं की है, उन्हें अपनी अघोषित आय की घोषणा करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। अब आय घोषणा योजना, 2016 के नाम से यह योजना प्रारंभ हो गई है जो 01 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक जारी रहेगी। जानते हैं, इस योजना की कुछ खास बातें–

- इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 या इससे पहले के वर्षों की अघोषित आय या निवेश का खुलासा किया जा सकता है।
- विदेशी परिसंपत्तियां व ऐसी अघोषित आय जिस पर काला धन अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होते हैं इस योजना के तहत घोषणा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- इस योजना के तहत की गई घोषणाओं के संबंध में आगे किसी तरह की जांच या छानबीन नहीं की जाएगी।
- इस योजना के तहत घोषित आय पर घोषणाकर्ता को 30

Final Proof 18 August 2016

प्रतिशत कर के अलावा देय कर पर 25 प्रतिशत की दर से उपकर तथा 25 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इस प्रकार समग्र घोषित आय का कुल मिलाकर 45 प्रतिशत भाग कर, उपकर व दंड के रूप में चुकाना होगा।

- देय कर भुगतान 30 नवंबर 2016 तक किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत खुलासा आयकर विभाग की आधिकारिक ई–फाइलिंग वेबसाइट पर आनलाइन किया जा सकता है या फिर देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रधान आयकर आयुक्त के समक्ष किया जा सकता है।

आय घोषणा योजना के तहत फॉर्म (1,2,3 और 4) का इस्तेमाल ई–फाइलिंग या दस्ती तौर पर खुद जमा कराकर किया जा सकता है। ये फॉर्म आयकर विभाग के ई–फाइलिंग पोर्टल (http://incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपलोड किए गए हैं। फॉर्म–1 में आईडीएस के तहत आय/संपत्ति का ब्योरा देना है जबकि फॉर्म–2 के तहत इसकी प्राप्ति रसीद होगी जिसे क्षेत्र के प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही फॉर्म–3 और 4 ऐसे कोषों पर कर और जुर्माने के भुगतान तथा स्वीकृति से जुड़े हैं। यह भी बता दें कि सरकार इससे पहले विदेश में अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए भी इसी तरह की योजना लेकर आई थी।

भारतीय स्टेट बैंक में 5 एसोसिएट बैंकों के विलय को मंजूरी

कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहयोगी बैंकों के विलय के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के विलय का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय महिला बैंक के विलय की भी मंजूरी दी गई है।

5 सहयोगी बैंकों के विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक करीब 37 लाख करोड़ रुपए की बैलेंसशीट के साथ दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शुमार हो जाएगा। बैंकों की विलय प्रक्रिया मार्च 2017 तक पूरी हो जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और फिर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अपने में विलय किया था।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को मजदूर दिवस के मौके पर किया गया। इस योजना के तहत गैस चूल्हे तथा रेग्यूलेटर आदि की खरीद के लिए प्रति लाभार्थी 1600 रुपए की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्ष में 5 करोड़ परिवारों को ऐसे कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

8000 करोड़ रुपए की इस योजना का वित्तीयन 'गिव इट अप' अभियान के तहत बचाई गई राशि से किया जाएगा। 'गिव इट अप' अभियान के तहत अप्रैल 2016 के अंत तक 1.13 करोड़ लोगों ने उनको मिल रही एलपीजी सब्सिडी का त्याग किया है।

इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे। ऐसे परिवारों की पहचान राज्य सरकारों के परामर्श से की जाएगी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को एलपीजी कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के स्थान पर शुद्ध एलपीजी को बढावा देना, जीवाश्म ईंधन से खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करने के साथ ही महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना भी है।

उद्यमशीलता को बढावा देने वाली ''स्टैंड अप इंडिया'' योजना

स्टैंड अप इंडिया आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली योजना है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2016 को किया गया। संस्थागत ऋण संरचना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तक पहुंचाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है ताकि वे समर्थ होकर देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सकें। इस योजना से देश भर में स्थित 1.25 लाख बैंक शाखाओं के नेटवर्क से 2.5 लाख उधारकर्ताओं को फायदा होने का अनुमान है। इस योजना की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं :–

- इस योजना का ध्येय प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रु. से 1 करोड़ रु. के बीच ऋण प्रदान करना है।
- ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। गैर–व्यक्ति उद्यम के मामले में, 51% शेयरधारिता या नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- उधारकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था के प्रति चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी। इस संदर्भ में, नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना का अर्थ है – लाभार्थी का विनिर्माण या सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र में पहली बार उद्यम लगाना।
- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से 100 लाख तक के बीच सम्मिश्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी सहित) दिए जा सकेंगे। 10 लाख तक की कार्यशील पूँजी अधिविकर्ष (ओवरड्राफ़्ट) के रूप में तथा 10 लाख से अधिक की कार्यशील पूँजी नक़दी उधार सीमा के रूप में मंजूर की जाएगी। उधारकर्ता की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।
- इस योजना में 25% मार्जिन राशि का प्रावधान है, जोकि पात्र केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के रूपान्तरण से उपलब्ध कराई जा सकती है। इस तरह की योजनाओं में प्राप्त अनुदान सहायता अथवा मार्जिन राशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऐसे सभी मामलों में, उधारकर्ताओं को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% अपना अंशदान लाना अपेक्षित होता है।
- ऋण की चुकौती अधिकतम 18 माह की ऋण स्थगन की अवधि सहित 7 वर्षों में की जा सकेगी।
- बैंकों के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा या स्टैंड–अप इंडिया ऋण हेतु ऋण गारंटी निधि योजना की गारंटी से प्रत्याभूत किया जाएगा।
- योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुनः वित्त (refinance) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- ऋण गारंटी के लिए एनसीजीटीसी के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण किया जाएगा।
- ऋण पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण को सुविधाजनक बनाने, फैक्टरिंग और विपणन आदि के लिए सहायता के साथ ऋण लेने वाले को व्यापक समर्थन दिया जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिए वेब पोर्टल तैयार किया गया है।
- स्टैंड–अप इंडिया योजना भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा परिचालित की जाएगी।

आईसीआईसीआई बैंक की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण संबंधी सब्सिडी योजना

देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना पेश की है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके व निम्न आय वर्ग के कर्ज लेने वाली महिलाओं सहित व्यक्तिगत आवेदक अपने परिवार के लिए पहले मकान का निर्माण/उसकी खरीद काफी कम राशि वाली मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने पात्र आवेदकों को ऋण से संबद्ध सब्सिडी देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ गठजोड़ किया है। इस योजना के तहत पात्र ग्राहक अधिकतम छह लाख रुपये या उससे कम की ऋण राशि (जो भी कम हो) पर 6.5 प्रतिशत सालाना की सब्सिडी का लाभ अधिकतम 15 साल के लिए उठा सकेंगे।

❍❍❍

लेखकों से/पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। **लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :**

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
   ख. लेख में किसी सम–सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए **तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।**
3. क. लेख अधिकतम 8 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
   ख. वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
   ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
   घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा rama□antg□pta@rbi.org.in नामक ई–मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. **लेखक अपने पत्राचार का पता, ई–मेल आईडी एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अवश्य दें।**
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि **जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र–पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन : दशा और दिशा'

मूल्य : 165/- रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त)

पुस्तक मिलने का पता

निदेशक

निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001

फोन : 022 - 22604002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in

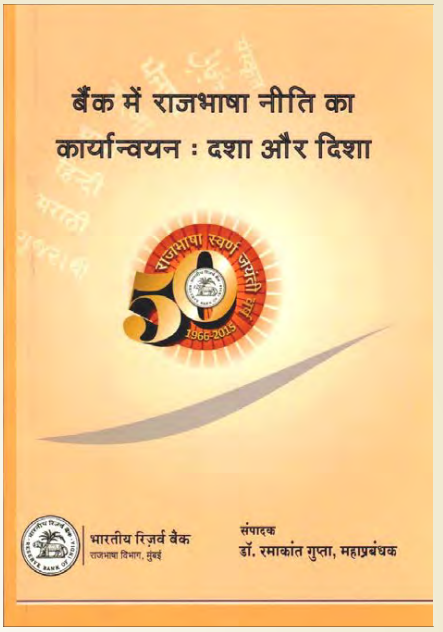

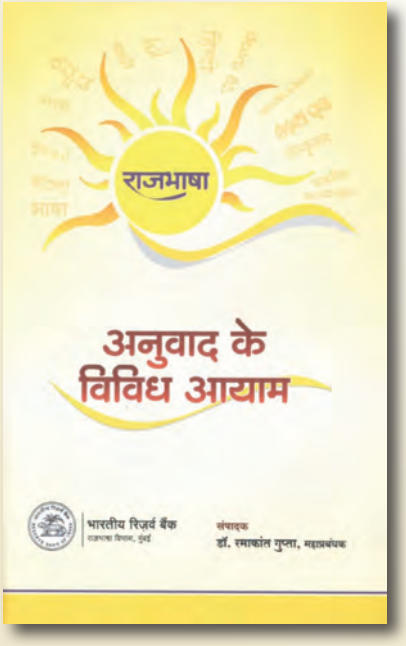

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'अनुवाद के विविध आयाम'

मूल्य : 165/- रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त)

पुस्तक मिलने का पता-

निदेशक

रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन

फोर्ट, मुंबई - 400 001

फोन : 022 - 22604002

ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती सुषमा फडणीस का सहयोग प्राप्त हुआ।

पंजीकरण संख्या – 47043/88